राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का २०वां दिवस [संख्या १६

गुरुवार,

दिनांक १७ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(कृषि, स्वायत्त शासन, सिंचाई, जन-सम्पर्क, गृह, पशु पालन, खाद्य, सामान्य प्रशासन–विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रावतराम।

अधिक अन्न उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम

३०६. श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या अधिक अन्न पैदा करने के लिये भारत सरकार ने विशेष कार्यक्रम अपनाने के लिये राज्य सरकारों पर जोर दिया है ? यदि हां, तो इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने अभी तक क्या विशेष कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री कृषि (श्री भीमसिंह) : जी हां।

सघन कृषि कार्यक्रम में ज्वार, बाजरा तथा गेहूं की खेती राजस्थान के कुछ जिलों में चालू है। इसके अतिरिक्त आलू की पैदावार बढ़ाने के लिये भी योजना चल रही है। जयपुर नगर में इस वर्ष घरेलू सब्जी पैदा करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है।

श्री रावतराम : मेरा पूछना यह था खास कर चूरू, बीकानेर इलाकों में जहां पर बारिश कम होती है, इर्रीगेशन के साधन नहीं है तो कृषि उत्पादन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या २ काम हाथ में लिये जावेंगे ? पहले क्या क्या लिये गये है ?

श्री भीमसिंह : आपने सारे राजस्थान का पूछा है। ज्वार कोटा में और बांसवाड़ा में अधिक पैदा हो इसके लिये कार्यक्रम बनाया गया है। गेहूं गंगानगर, अलवर में, भरतपुर में, उदयपुर में। सारे राजस्थान में अन्न अधिक से अधिक उपजे उसके लिये व्यवस्था की है।

श्री रावतराम : मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि डेजर्ट इलाके में, जहां पर वर्षा कम होती है, उन इलाकों मे काश्तकारों को क्या सुविधाये दे रहे हैं और चोथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम हाथ में ले रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप ही अभी

Page No. 2

(श्री नाथूराम मिर्धा)
तैयार नहीं हुआ है इसलिये उस सम्बन्ध में कुछ कहना संभव नहीं है।

श्री रावतराम : आपके कृषि महकमे के जरिये विशेष प्रोग्राम चल रहे हैं·······

श्री नाथूराम मिर्धा : खासतौर से आप सूखे इलाकों के लिये पूछना चाहते हैं कि चौथी योजना में कृषि के प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं। चौथी योजना का पूरा नक्शा ही अभी सामने नहीं है, विशेष तौर से उसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे यह कहना मुश्किल है। वैसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं और पंचायतराज के मार्फत लोन्स तकावी, जहां कुएं बनाये जा सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है वहां वह व्यवस्था की जा रही है। आप खुद ही मानते है कि वहां वर्षा नहीं होती है तो वहां पर सिंचाई के साधन के अभाव में फर्टीलाइजर आदि का क्या उपयोग हो सकता है। वर्षा के अनुसार सीमित प्रबन्ध है। जो टार्गेट दूसरों के लिये निर्धारित हैं उसी माफिक आपके लिये भी हैं।

श्री रावतराम : पानी का स्कोप है तो वह जमीन के नीचे है। उसको निकालने के लिये कुओं का सवाल आता है। फिर बिजली का सवाल आता है।

श्री अध्यक्ष : सारी बहस आपके इस प्रश्न पर नहीं हो सकती। आप इसमें सिंचाई भी ले आये। आज बजट पर बहस हो रही है उसमें आप इसको उठावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

डूंगरगढ़ नगरपालिका के भूतपूर्व चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें

३०७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि डूंगरगढ़ नगरपालिका के भूतपूर्व चेयरमैन श्री जीवराज डागा को उनके कार्यालय में उन पर पद के दुरुपयोग करने, अनधिकृत कार्य करने, अनियमितता, अवैधानिकता करने और बोर्ड को आर्थिक हानि पहुंचाने की और बोर्ड की सम्पति को मनमाने ढंग से भारी हानि पहुंचाने की गम्भीर शिकायतें हुई थी ?

(२) सरकार ने उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की और कब ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

(३) क्या संचालक, स्वायत्त शासन विभाग मौके पर जांच करने गये थे ? यदि हां, तो उन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब दी थी और क्या दी थी ?

(४) अब सरकार क्या कार्यवाही करेगी और कब तक ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) वर्ष ६१ में जांच करवाई गयी थी। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को आगे कार्यवाही हेतु भेजा गया।

(३) जी हां। दिनांक १३-६-६१ को जांच रिपोर्ट में पालिका को भंग करने की सिफारिश की गई थी और अन्य अनियमिततायें बताईं।

(४) दि० १७-६-६१ को यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजा गया उस विभाग में कार्यवाही चालू है।

Page No. 3

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १७-६-६१ को भ्रष्टाचार विभाग को यह मामला भेजा गया तो नगरपालिका को भंग क्यों नहीं किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका को उस समय तो भंग नहीं किया गया। थोड़े अर्से बाद उसकी मयाद खत्म हो गयी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने भंग क्यों नहीं किया ? अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार ने सेटिस्फाई होने के बाद उस मामले को भ्रष्टाचार विभाग के पास भेज दिया तो फिर नगरपालिका को भंग क्यों नहीं किया ? करप्शन के चार्जेज, प्राइमाफेसी आप सेटिस्फाई हो गये, भ्रष्टाचार विभाग को आपने भेज दिया मामला, फिर आपने नगरपालिका को भंग क्यों नहीं किया ?

श्री दौलतराम सारण : शिकायतें ज्यादातर चेयरमेन के खिलाफ थी। जांच रिपोर्ट में नगरपालिका को अवश्य भंग करने का था। चेयरमेन के खिलाफ ज्यादातर शिकायतें थी इसलिये नगरपालिका को भंग नहीं किया और भ्रष्टाचार विभाग को मामला भेज दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या चेयरमैन को, जिसके खिलाफ आपके अनुसार भी विशेष भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं, सस्पेन्ड कर दिया ?

श्री दौलतराम सारण : नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : उचित नहीं समझा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिये नहीं समझा कि आपके दोस्त हैं।

श्री दौलतराम सारण : मेरे दोस्त नहीं हैं। मेरे खिलाफ थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ही बताइये जिस आदमी के खिलाफ करप्शन के चार्जेज हों, प्राइमाफेसी सरकार सेटिस्फाई हो, जिसको सरकार को एन्टीकरप्शन को रेफर करना पड़ा हो ऐसे चेयरमैन म्युनिसिपेलिटी को सरकार सस्पेन्ड करना उचित नहीं समझती। डीडवाना की म्युनिसिपेलिटी को बोगस चार्जेज के ऊपर आप सस्पेण्ड कर देते हो क्योंकि उसमें आपका बहुमत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दोनों का यदि कम्पेरिजन किया जाय तो डूंगरगढ़ नगरपालिका के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं और डीडवाना के ऊपर नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : डूंगरगढ़ का ही यहां सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : वह मैं जानता हूं कि आपका क्षेत्र है।

श्री दौलतराम सारण : यह मामला ६०-६१ का है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : एक ऐसी कोई संस्था बना दें जिसके अन्तर्गत ये सब कार्यवाहियां हों; आप अपने हाथ में इसको न रखें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ६१ में एन्टीकरप्शन में मामला चला गया तो क्या कार्यवाही की ? विभाग को जानकारी है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : एन्टीकरप्शन की ऐसी सूचना है कि उन्होंने इस सम्बन्ध

(श्री दौलतराम सारण)
में धारा ४२०, ४६८ आई. पी. सी. ५१ ए. के मातहत एफ. आई. आर. दर्ज की और दर्ज करके विभाग के पास कापी भेजी ।

श्री भैरोंसिंह : ६१ में एफ. आई. आर. दर्ज की । ६१ से ६६ तक इस मामले में क्या प्रोग्रेस है इस विभाग को जानकारी है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : हमें यह सूचित किया गया कि एन्टीकरप्शन में कार्यवाही चालू है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फाइनल रिपोर्ट एन्टीकरप्शन द्वारा देदी गई और कोर्ट द्वारा मंजूर हो गई है ?

श्री दौलतराम सारण : हमारे पास सूचना है । फरवरी के अन्दर सूचना दी है कि मामला चालू है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एन्टीकरप्शन विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसमें उसने कहा है कि दो वर्ष से ज्यादा का केस पेन्डिंग नहीं है । यह केस छः वर्ष पुराना है उपमंत्री गृह यह बतायेंगे कि एन्टीकरप्शन विभाग में छः वर्ष से केसेज किस प्रकार से पेन्डिंग हैं ?

श्री दौलतराम सारण : २६ । २ । ६६ को पालिका को सूचित किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पालिका को सूचित किया है वह किस केस के बारे में किया है क्योंकि इनके खिलाफ अनेकों मामले थे, किस मामले के बारे में सूचित किया है, जिस मामले के बारे में एफ. आई. आर. मुर्तिब हुआ क्या उस बारे में लिखा था ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, चूंकि उप-मंत्री महोदय इसमें इन्ट्रेस्टेड है अतः इसका जवाब मंत्री महोदय से दिलाया जाय ।

श्री दौलतराम सारण : मैं इसमें कतई इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं यह आपका आरोप मिथ्या है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसमें इन्स्ट्रेस्टेड नहीं हैं तो आपने यह चिट्ठी जिसकी मैं फोटोस्टेट कापी लाया हूं वह किस आधार पर लिखी । यह उस चिट्ठी की नकल है जिसमें आपने जीवराज डागा और लाखोटिया के बीच झगड़ा था उसके लिये आपने लिखा है कि सुविधा देखकर आपके संरक्षण में सारे अध्यक्ष द्वारा किये गये गड़बड़ घोटालों आदि के बारे में राजीनामा किया जाय ।

श्री दौलतराम सारण : राजीनामा कराना कोई अनुचित है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक तरफ तो भ्रष्टाचार करें और उनको सस्पेन्ड न कर उनके बारे में राजीनामा कराते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : ये सन् १९६१ के मामले हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हजारों रुपयों का गबन कर दें, अनुचित तरीके से लेन्ड अलॉटमेंट कर दे, उसको तो सस्पेन्ड न किया जाय और दूसरी तरफ पंच सरपंच आठ आने का भी गबन कर दे तो उसके खिलाफ प्राइमाफिसी केस तैयार करके उसको एन्टीकरप्शन में दे दिया जाता है । यह मामला जो छः साल से चल रहा है उसके बारे में कुछ भी कार्यवाही नहीं हो रही है । यहां आपने न तो म्युनिसिपल बोर्ड को डिजोल्व

(श्री भैरोंसिंह)
किया, उल्टा उसके अध्यक्ष को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ।

श्री दौलतराम सारण : इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है । मैं आप से साफ निवेदन करना चाहता हूं जिस व्यक्ति के लिये कहा जाता है मैं उसका पक्ष कर रहा हूं इस भूतपूर्व चेयरमैन ने आम चुनाव में ६२ में मेरे खिलाफ जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था उसकी उन्होंने मदद की उसके एजेन्ट के हैसियत से काम किया ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु.) : फिर आपने उनके राजीनामे के लिए खत क्यों लिखा ?

श्री दौलतराम सारण : इसमें क्या अनुचित किया । उस समय तो यह विभाग भी मेरे पास नहीं था ।

एक माननीय सदस्य : पुलिस विभाग को जांच करने के लिये कहिये ।

श्री भैरोंसिंह : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप यह आवश्यक नहीं समझते कि जो व्यक्ति इस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप में सम्मिलित हो क्या उसको सस्पेन्ड नहीं किया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : (उत्तर देने के लिए खड़े हुए ।)

श्री भैरोंसिंह : मैं मन्त्री महोदय से पूछ रहा हूं ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): सस्पेन्ड उनको नहीं किया गया लेकिन सारे मामले को एन्टीकरप्शन विभाग को भेज दिया गया उन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज कर दी उसके बाद हम तो यह प्रिज्यूम करके चलते हैं कि उस मामले को एन्टीकरप्शन विभाग प्रोपरली परस्यू करेगा । उससे संबंधित जो सारे मामले थे जमीन के अलॉटमेंट के सम्बन्ध में, सही तरीके से ऑक्शन न करने के मामले, लोगों को तनख्वाह न मिलने के मामले, ये सारे के सारे सवाल एन्टीकरप्शन को भेज दिये गये । जब मामले एन्टीकरप्शन को चले जाते हैं उसका काम उसको परस्यू करने का होता है वह करता है ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो यह केटोगोरिकली बतलाइये कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ द्वारा जांच करने के बाद उसने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के आधार पर क्या इतने प्रमाण काफी नहीं थे जिससे उस व्यक्ति को सस्पेंड किया जा सकता था ?

श्री बरकतुल्ला खां : इस बारे में कोई जजमेंट देना मुनासिब नहीं है । पहले जो किया गया वह उस समय के मन्त्री महोदय ने जो उचित समझा उसको किया उस वक्त की हालत को देखते हुए ठीक किया होगा ।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री लोग तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मेरा सवाल तो जो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, उनसे है, किसी मन्त्री के प्रतिनिधि से नहीं है । क्या जो रिपोर्ट विभाग के संचालक ने दी है वह पर्याप्त कारण नहीं थे जिससे उसको सस्पेंड किया जा सके ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : एन्टीकरप्शन को यह मामला दिया है तो क्या अनादी काल के लिए दिया है या सदियों तक के लिए दिया है ? आखिर किसी मामले को निपटाने की कोई मियाद तो होगी ?

Page No. 6

(श्री दौलतराम सारण बोलने खड़े हुए)

श्री भैरोंसिंह : हम इनसे सुनना नहीं चाहते। इसका उत्तर मन्त्री महोदय दें। अध्यक्ष महोदय, जनसंघ की या स्वतंत्र पार्टी की या स्वतन्त्र लोगों की जहां जहां भी म्युनिसिपैलिटियां हैं वहां यदि थोड़ा भी गबन या कुछ हो जाता है तो फौरन म्युनिसिपैलिटीज को भङ्ग कर दिया जाता है लेकिन जहां कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटी है, कांग्रेस का अध्यक्ष है तो वहां उसको बचाने के लिए दोनों मन्त्री उप-मन्त्री एक हो जाते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : निवाई म्युनिसिपल सदस्यों को सस्पेंड किया गया डूंगरगढ़ म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष के खिलाफ इतने आरोप होने पर भी क्यों नहीं किया गया?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जमनाप्रसाद लाखोटिया में इन्टरेस्टेड न होकर जीवराज डागा में इन्टरेस्टेड थे, आपने जो चिट्ठी लिखी है उसमें जमना प्रसाद और जीवराज दोनों के नाम का हवाला दिया गया उन्होने लिखा है—

"अब मेरा लिखना है कि हम दोनों एक हो जायें सब बातें दौलतरामजी के सामने तै करलें।"

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह कैसे हवाला दे सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : इसमें पक्षपात करने की कतई बात नहीं थी मैं उसमें इन्टरेस्टेड किसी भी प्रकार नहीं था, वे तो चुनाव में मेरे विरोधी का साथ दे रहे थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस समय झगड़ा था उस समय खिलाफ थे।

श्री दौलतराम सारण : ६२ के चुनाव में उनने मेरे खिलाफ जो उम्मीदवार था उसका साथ दिया था।

श्री भैरोंसिंह : इस व्यक्ति के खिलाफ जो जांच हुई उस जांच के आधार पर जो उन पर आरोप लगाये गये हैं उसमें पर्याप्त कारण नहीं थे कि उनको सस्पेन्ड किया जाय?

श्री अध्यक्ष : इस तरह से पुराने सवालों के बारे में उत्तर नहीं दे सकते, अब आप यह कह सकते है कि क्या कार्यवाही हो रही है। एन्टीकरप्शन से इस बारे में जल्दी कार्यवाही कराने के लिए कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि जहां जनसंघ की नगरपालिका है या और पार्टी की नगरपालिका है उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। कांकरोली नगरपालिका के सदस्यों को अकारण ही सस्पेन्ड कर दिया। इसी प्रकार से डीडवाना की नगरपालिका के सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। जहां अपोजीशन की नगरपालिकाएं हैं वहां बिना किसी नोटिस के सस्पेन्ड कर दिया जाता है तो हम जानना चाहते हैं कि किस पार्टी की नगरपालिका या सदस्यों को सस्पेन्ड करने के लिए किस सीमा तक करप्शन चाहिए। जहां कांग्रेस की नगरपालिकाओं में ९० प्रतिशत करप्शन हो वहां पर सस्पेन्ड नहीं की जाती, दूसरी तरफ जनसंघ या अन्य पार्टी की नगरपालिकायें हैं हण्ड्रेड परसेन्ट करप्शन से बचती है तो भी उनको सस्पेन्ड कर दिया जाता है, वैसी हालत में आपकी क्या नीति है क्या सीमा निर्धारित

Page No. 7

(श्री भैरोंसिंह)

कर रखी है, जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी हो तो यह करने पर सस्पेन्ड कर सकते हैं और कांग्रेस की हो तो इतना परसेन्ट भ्रष्टाचार होने पर भी उसको सुपरसीड नहीं किया जा सकता।

श्री बरकतुल्ला खां : इसमें किसी पार्टी का सवाल नही है।

श्री भैरोंसिंह : मैं मुख्य मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि वे अपने मुंह से कहदें कि कांकरोली नगरपालिका के सदस्यों को सस्पेन्ड किया गया वह ठीक किया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। उदयपुर में जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी है बहुत आराम से काम कर रही है सुन्दर काम कर रही है सरकार की तरफ से मैं समझता हूं शिकायत का कोई कारण नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : कारण तो मैं बताऊंगा आप तो अपने मुंह से यह कह दीजिए कि कांकरोली नगरपालिका के सदस्यों को सस्पेंड किया है वह वाजिब किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: इसकी डिटेल्स मुझे मालूम नहीं, मैंने जनरल पॉलिसी की बात कही है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : निवाई म्युनिसिपैलीटी के सदस्यों को दो बार निलम्बित किया गया वह केवल इसलिए किया गया कि उन्होंने नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा। १५ दिनके बाद उनक वापिस लिया गया तो क्या वह राजनैतिक आधार पर उनका सस्पेंशन नहीं था ?

सैनिकों को सहायता

३०८. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रकाशित पुलिस "डिफेन्स एफर्टस् इन राजस्थान" के अनुसार फौजियों के लिए जो आश्वासन दिये गये उनका अब तक किस किस सीमा तक अमल किया गया है तथा इन कार्यवाहियों के अनुसार कितने लोगों को किस किस प्रकार की क्या क्या सहायता मिल चुकी है ?

(२) इस पुस्तिका में जिन घोषणाओं का उल्लेख किया गया है, क्या उसके अतिरिक्त भी सरकार द्वारा कुछ अन्य सुविधाओं की घोषणा की गई है ? यदि हां तो कब कब और क्या क्या ?

(३) इन आश्वासनों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से नियम बनाए गए और कौन कौन से सरक्यूलर्स जारी किये गये ? कृपया ऐसे नियमों तथा सरक्यूलर्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) नेफा तथा लद्दाक के युद्ध में राजस्थान के कितने फौजियो के मारे जाने, गुम हो जाने, बन्दी बनालिए जाने तथा अपंग होने की सरकार को सूचना मिली और सरकारी घोषणाओं के अनुसार, उनको कब कब कितनी सहायता दी गई ?

(५) सैनिकों के राजस्थान में किस किस प्रकार के कितने कितने फन्डस् हैं ? इन फण्डस् में पिछले ५ वर्ष में कितनी कितनी आय हुई और किस मद में कितना कितना खर्चा हुआ है ?

(श्री भैरोंसिंह)

(६) क्या यह सही है कि राजस्थान के फौजियों को उनकी बढ़िया सर्विसेज के इनाम के फलस्वरूप मेडल्स वितरण करने के लिये राज्य सरकार को प्राप्त हुए थे ?

(७) यदि हां, तो ये मेडल्स कब कब कितने कितने आये और कब कब कितने सोलजर्स को यह वितरण किये गये और अब कहां कहां कितने कितने बचे हैं ?

(८) कितने फौजियों को तथा उनके आश्रितों को अब तक उनके रिजर्वेशन के अनुसार नौकरी में लिया गया है ? तथा किस किस विभाग में और कब कब ?

उप-मंत्री राजस्व : (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो प्रश्न ३०८ और ३२१ दोनों का उत्तर साथ ही दे दूं क्योंकि सप्लीमेन्टरी भी इनके कामन होंगे और कुछ भाग भी कामन है ।

श्री भैरोंसिंह : इसे पांच–सात दिन के लिए पोस्टपोन कर दें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरा जवाब तो आप सुन लें ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो मैंने देख लिया । पूरा जवाब नहीं है । इसमें काफी सप्लीमेन्टरीज पैदा होंगे और फिर आप कहेंगे कि इसकी जानकारी करना है !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप सप्लीमेन्टरीज पूछेंगे तो जबाब दे दूंगा । आप करिये तो सही ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले बात कर लें । इन दोनों प्रश्नों को तब तक रख लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता ।

श्री अध्यक्ष : आप बता दें कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं ?

श्री जुझारसिंह ।

(प्रश्न संख्या ३०८ स्थगित किया गया)

ग्राम गुडला की माइनरों में पानी

३०९. **श्री जुझारसिंह (चेचट) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मंडोता पंचायत समिति सांगोद के ग्राम गुडला में दक्षिण साईड पर खोदी गई माइनर्स में पानी नहीं पहुंचाया जा सका है ? यदि हां, तो इन नहरों में कब और किस तरह पानी पहुंचाये जाने की योजना है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जी नहीं । कोई मुआवजा नहीं दिया गया ।

श्री जुझारसिंह : ३०९ में तो मुआवजे का तो सवाल ही नहीं पूछा गया है ।

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस वर्ष गांधी सागर में पानी की कमी के कारण दांई मुख्य नहर को पूरा नहीं चलाया जा सका, और इस लिए माइनर्स में पानी की कुछ कमी अवश्य रही है । अगले वर्ष से स्थिति में सुधार होने की पूर्ण आशा है ।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि जब से यह नहर बनी है तब से कभी इसमें पानी नहीं पहुंचा है । या तो वह हिस्सा ऊंचा है या कोई अन्य कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस साल भी पहुंचा है और करीब ३१-३२ एकड़ जमीन में सिंचाई भी हुई है।

यह बात जरूर है कि चम्बल में इस साल पानी की कमी होने से खुद में ही पानी का लेवल कम था और इसलिए जिस जगह सिंचाई करते हैं जिस लेवल पर नहर चल रही थी उससे काफी ऊंची है, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत पानी चला।

अब अगले साल ज्यादा सिंचाई हो या ज्यादा पानी उसमें छोड़ा जावे या रोक द्वारा माइनर्स पानी में छोड़ने की व्यवस्था की जावे या डिजाइन में परिवर्तन किया जावे तो ये सारे प्रश्न विचाराधीन हैं और आने वाले नेक्स्ट बरसात के सीजन के पानी से कैनाल चले तो इसके पहले पहले यह व्यवस्था करेंगे।

श्री जुझारसिंह : मैंने निवेदन किया कि जब से यह नहर बनी तब से पानी नहीं पहुंचा है। आपने भी मंजूर किया है कि...

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक करने का कह दिया, फिर क्या चाहते हैं?

श्री जुझारसिंह : एक ही गांव नहीं है, राइट साइड में मेन कैनाल का पानी नहीं पहुंचा है। लिफ्ट का प्रोवीजन किया है। वह तो मालूम नहीं कब आवेगा, पर बरसात में क्या होगा। इस साल पानी की कमी है, पर तीन-चार साल पानी की कमी नहीं थी और पूरी तरह से कैनाल बही तब भी इसमें पानी नहीं पहुंचा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : तब तक कैनाल पर कन्स्ट्रक्शन ही पूरा नहीं हुआ था। इस साल पूरा किया है। मेन कैनाल में पानी कम था फिर भी पानी पहुंचा है, ३२ एकड़ में सिंचाई हुई है।

श्री जुझारसिंह : कहां हुई है?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पता कर लीजिये, हुई है। फिर भी जैसा मैंने आपसे कहा है कुछ डिजाइन में अमेन्डमेन्ट करेंगे या पानी का बांध लगाकर पानी वहां तक जा सके इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, अगले साल से उनकी सिंचाई का रकबा इम्प्रूव हो इसकी व्यवस्था की जावेगी।

श्री जुझारसिंह : आप इतना कहते हैं तो मान लेता हूं। पर इसको बने काफी अरसा हो गया है। आपको मैं निवेदन करूं कि मैं वहां गया हूं, लोगों ने कहा उसी के आधार पर मैं अर्ज करता हूं। आप फिर इसकी जानकारी करा लें।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार।

विज्ञापन

३१०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

दिनांक १-२-६६ से १३-२-६६ तक कब कब कौन कौन से समाचार पत्रों को कितनी कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये हैं?

जन-सम्पर्क मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : संलग्न सूची के अनुसार।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक फरवरी से ८ फरवरी तक आप ८० हजार के विज्ञापन दे चुके हैं। इसमें दैनिक पत्रों और साप्ताहिक पत्रों के साथ साथ जो विज्ञापन दिये गये हैं. उसके सम्बन्ध में क्या नीति सरकार ने निर्धारित की ?

श्री हरिदेव जोशी : विज्ञापन देने की सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है कि प्लॉन की पब्लिसिटी की जावे, राज्य की पालिसी की और डेवलपमेन्ट की पब्लिसिटी की जावे, इसके लिये दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : किसी भी नियम में यह नहीं लिखा कि राज्य के डेवलपमेंट की, प्लान की पब्लिसिटी की जावे, और इस आधार पर एडवर्टाइजमेंट दिया जावे ?

श्री हरिदेव जोशी : एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य यह है। नियम जो हैं वे किस तरह से इनको रेगुलेट किया जावे उसके बारे में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विज्ञापन देने के नियम बने हैं और उनमें यह व्यवस्था नहीं है। किन अखबारों को दिया जावेगा, रेट क्या होगी, उनकी कैटेगराइजेशन क्या होगी, इसकी व्यवस्था है। आपने कारण बताये हैं वे नहीं हैं इनमें ?

श्री हरिदेव जोशी : जो विज्ञापन के नियम हैं वही हैं। बाकी यह नहीं है कि अमुक अमुक प्रकार से वह किया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो विज्ञापन देने के नियम बने हैं, विज्ञापन देने में हर कैटेगरी के पेपर में ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, इसके नियम बने हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : एक पेज पर कितने विज्ञापन की रेट क्या हो, यह उसके अन्दर है और ये सारे विज्ञापन उसी आधार पर दिये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जो पूछ रहा हूं वह यह है कि ए ग्रेड के पेपर्स हैं इनमें जो भी विज्ञापन दिये जावेंगे उनका इनमें ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बी ग्रेड के पेपर्स में जो भी विज्ञापन दिये जावेंगे उनका उनमें ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सी ग्रेड के पेपर्स में जो दिये जावेंगे उनका उनमें ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरह के इस कैटेगरी के और पेपरों में डिस्ट्रीब्यूशन के निश्चित नियम बने हैं इसके उपरान्त भी किसी को कितना दे देना, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा दे देना, यह कौनसा तरीका है आपका ?

श्री हरिदेव जोशी : जो विज्ञापन दिये गये हैं वे नियमानुकूल दिये गये हैं। नियमों का अतिरेक नहीं किया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर क्या कारण है कि अंग्रेजी पेपरों को दिये गये विज्ञापन की राशि पांच हजार तक है और उसी स्टेण्डर्ड के हिन्दी पेपरों का विज्ञापन दो हजार ही है ?

श्री हरिदेव जोशी : अंग्रेजी के अखबारों की जो लिस्ट दी गई है उनके लिये रेट्स हमारी ओर से निर्धारित नहीं हैं। बल्कि उनकी रेटों को स्वीकार करना पड़ता है इस लिये उनमें और राजस्थान के पेपरों के विज्ञापनों की राशि में अन्तर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दिल्ली से निकलने वाले हिन्दी अंग्रेजी पत्रों पर आपकी दरों के नियम लागू नहीं होते तो हिन्दुस्तान टाइम्स को ९ हजार और नवभारत टाइम्स को २८ सौ का क्यों दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : यह उनकी मांग थी। अध्यक्ष महोदय, रीडेबल मैटर एक अखबार में कितना छपेगा, यह भारत सरकार की राय से अखबारों ने ले कर लिया है। कौन कितना ज्यादा सप्लीमेन्टरी निकाल सकता है इसके आधार पर वे अपने कागज के कोटे को ध्यान में रखकर व्यवस्था करते हैं। इसलिये यह अन्तर है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हिन्दुस्तान टाइम्स में ६,८५४) का विज्ञापन था और इसके मुकाबले में हिन्दी का दैनिक हिन्दुस्तान है उसको २ हजार दिये हैं तो क्या अंग्रेजी को अधिक और हिन्दी को कम देने की सरकार की कोई नई नीति बनी है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने इसके लिये जैसे निवेदन किया यह उनकी मांग के आधार पर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि अंग्रेजी पेपरों की रेट पर कालम इन्च अलग है और हिन्दी के पेपरों की पर कालम इन्च रेट अलग है। तो जो पेपर चार पेज सप्लीमेन्टरी निकालता है तो २५ परसेन्ट और ज्यादा से ज्यादा ३३ परसेन्ट से ज्यादा विज्ञापन पब्लिश नहीं कर सकते हैं पर जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है उन पेपरों ने अपनी क्षमता के अनुसार जितना कागज का कोटा उनको अवेलेबल हो सकता था, उसके अनुसार छापा है। इससे अधिक वे छाप नहीं सकते, इसलिये विज्ञापन भी उनको अधिक नहीं दे सकते थे, यह स्थिति है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जितने विज्ञापन दिये गये कांग्रेस अधिवेशन के लिये विशेष समाचार निकाले जावें इसके लिये विज्ञापन अधिक दिये गये ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्या कारण है कि एक फरवरी से लेकर ८ फरवरी तक ८० हजार के विज्ञापन एक साथ दे दिये गये ?

श्री हरिदेव जोशी : इनमें क्लासीफाइड और डिस्प्ले भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : दो तारीख के पहले कांग्रेस अधिवेशन के लिये कोई विज्ञापन नहीं दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे जो प्रश्न भेजा गया है उसका यह उत्तर है। उसके पहले भी दिये गये होंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह भी सही है कि कई समाचार पत्रों ने दो तारीख के बाद या २ से १३ के बीच अपनी मरजी से एडवर्टाइजमेन्ट का उपयोग किया और बाद में बिल बनाकर भेज दिया है और दो सौ, ढाई सौ और तीन सौ के विज्ञापन उनके हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कोई पेपर ऐसा नहीं है कि जिसने मरजी से विज्ञापन छाप दिया हो और बिल बनाकर पैसे ले लिये हों। बल्कि जो आर्डर दिये हैं उन्हीं के बिल आये हैं।

Page No. 12

श्री भैरोंसिंह : इन विज्ञापनों के लिये सरकार ने मांग की थी या समाचारपत्रों ने ?

श्री हरिदेव जोशी : समाचारपत्रों की मांग पर।

श्री भैरोंसिंह : जो लिस्ट में आपने सूचना दी है उन पेपरों को सरकार ने लिखा है कि तुम इतना २ छापना, या जो कुछ समाचारपत्रों ने मांग की उसे ही सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : समाचारपत्रों ने मांग की उसके आधार पर और वे कितना क्या मेटीरियल छाप रहे हैं उसके आधार पर एक या दो पेज का विज्ञापन दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन पत्रों ने मांग की थी उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया था कि चूंकि कांग्रेस अधिवेशन के मौके पर विशेषांक निकालना चाहते हैं इसलिये एडवरटाइजमेंट दो ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आपने यह कैसे कह दिया कि कांग्रेस अधिवेशन के मौके पर विशेषांक निकालने के लिए एडवर्टाइजमेन्ट नहीं दिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह कहा है कि इसमें दोनों ही तरह के एडवर्टाइजमेंट हैं। क्लासीफाइड भी हैं और डिस्प्ले भी हैं यह एडवर्टाइजमेंट जो दिखाए गए हैं तो उसके पहले के लिए भी हैं और उस समय के लिए भी दिए गए हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह है कि आपने दोनों तरह के एडवर्टाइजमेंट दिए हों उसमें क्लासीफाई हों चाहे डिस्प्ले हों या और कोई हों लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं वे कांग्रेस के अधिवेशन के मौके के लिए दिए गए या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यह जो लिस्ट दी गई है उसमें क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट भी हैं और उसमें डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट भी हैं। इसमें जिन्होंने विशेषांक निकाले हैं उनके भी हैं और जिन्होंने नहीं निकाले हैं उनके भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन यह नहीं है कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट दिया वह क्लासीफाइड या डिस्प्ले है। मेरा क्वेश्चन यह है कि जिनको आपने एडवर्टाइजमेंट दिया उनमें जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के मौके पर विशेषांक निकाले वे भी शामिल हैं या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक बार नहीं कई बार ह कह चुका हूं। हां है, हां है और हां है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिनको एडवर्टाइजमेंट दिया गया है वे सब राज्य सरकार की अप्रूव्ड लिस्ट पर हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं समझता हूं कि होंगे ही। अगर नहीं भी हों तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट को यह पावर है कि अगर कोई पेपर अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है तो भी उसको विशेष स्थिति में एडवर्टाइजमेंट दे दें।

Page No. 13

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है वह केवल उन्हीं पेपर्स को दिया जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड लिस्ट पर हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उत्तर कहां दे चुके हैं। एक आदमी पांच दिन से पेपर निकाल रहा है और उसको भी आप एडवर्टाइजमेंट दे दें, यह कौन से रूल्स में लिखा हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह गवर्नमेंट का अधिकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड पेपर्स के लिए रूल्स बना रखे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया जावेगा वह इन्हीं रूल्स के तहत दिया जा सकेगा। रूल्स में लिखा है :

"No Government advertisement shall be released except in the provisions of these rules."

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट को रूल्स रिलेक्स करने की पॉवर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस तरह का कोई प्रोवीजन नहीं है। मैं भी उस बोर्ड का मेम्बर हूं। आपने उस बोर्ड को तमाशा बना रखा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जो कुछ कह रहा हूं अधिकारपूर्वक कह रहा हूं. आप उसको चैलेंज करना चाहें तो चैलेंज कीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, रूल्स के अन्दर इस प्रकार का कोई प्रोवीजन नहीं है कि रूल्स रिलेक्स करके एडवर्टाइजमेंट दे दें। वे रूल्स गवर्नमेन्ट ने बनाए हैं और स्टेट गवर्नमेन्ट के द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेन्ट दिए जाते हैं वे रूल्स के हिसाब से ही रिलीज किए जाते हैं। उन रूल्स को रिलेक्स करके गवर्नमेन्ट एडवर्टाइजमेन्ट जो अप्रूव्ड पेपर्स नहीं हैं उनको एडवर्टाइजमेन्ट रिलीज नहीं किया जा सकता। यह उसमें लिखा हुआ है। यह नहीं लिखा हो तो बता दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपनी बात कह चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्या बात कह चुके हैं, अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब तो दे चुके हैं लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जवाब गलत है। मंत्री महोदय यह बतावें कि जो अप्रूव्ड पेपर्स नहीं हैं उनको भी गवर्नमेन्ट एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया जाय यह कहां लिखा है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसमें कोई अप्रूव्ड पेपर नहीं है, यह मैं ऑफहैण्ड नहीं कह सकता, किन्तु गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि विशेष स्थिति के अन्दर जो अप्रूव्ड पेपर्स नहीं हैं उनको भी एडवर्टाइजमेन्ट दे दे।

श्री शेरसिंह : उनको क्या कांग्रेस अधिवेशन के मौके पर भी एडवर्टाइजमेन्ट दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : यह जो एडवर्टाइजमेंट दिए थे वह कोई स्पेशल डेट के लिए प्रेस्क्राइब्ड किए थे कि इनको फलां डेट तक पेपर्स में अवश्य निकाल दें ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : कौन सी तारीख तक ?

श्री हरिदेव जोशी : यह अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उसके लिए १२ तारीख तक का समय निश्चित था ?

श्री हरिदेव जोशी : मुमकिन है कि इस तरह का प्रबन्ध किया हो । अगर विशेषांक के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया होगा तो उसमें हमने निश्चित तौर से कहा होगा कि इस अवधि में निकाल दो वरना पेमेंट नहीं करेंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राजस्थान के ही हिन्दी साप्ताहिक अखबारों को भी अलग अलग कीमत का एडवर्टाइजमेंट दिया गया ।

श्री हरिदेव जोशी : Pardon.

श्री कृष्णकुमार गोयल : राजस्थान के अन्दर जितने हिन्दी साप्ताहिक पत्र निकलते हैं उनको विज्ञापन देने के अन्दर भी भेदभाव की नीति अपनाई गई ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि मरुराज्य को १२००) रु० का विज्ञापन दिया गया जब कि सेनानी को और ललकार को केवल सौ और सत्तर रुपये का एडवर्टाइजमेन्ट ही दिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य इसे रुपयों से आंक रहे हैं । मगर जो पेपर ए. केटेगरी में हैं उसका दो पेज का एडवर्टाइजमेन्ट डिफरेंट हो जाएगा, सी. केटेगरी के पेपर्स से । इसलिए इसे रुपयों से नहीं आंका जा सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो गवर्नमेन्ट ने नोन–अप्रूव्ड पेपर्स को एडवर्टाइजमेन्ट दिया है तो क्या गवर्नमेन्ट ने जो रूल्स रिलेक्स किए हैं उसके सम्बन्ध में कोई स्पेशल रिलेक्सेशन का ऑर्डर निकाला है ?

श्री हरिदेव जोशी : यहां पर कोई अप्रूव्ड पेपर्स के अलावा भी किसी को एडवर्टाइजमेंट दिया गया हो तो इसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है । जिन पेपर्स को एडवर्टाइजमेंट दिया गया उस की सूची मैंने आपको दे दी है । उसको आप देख लीजिए । किसी स्पेसिफिक पेपर के बारे में आपको कहना है तो उसको देख लेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर करके रूल्स रिलेक्स किए हैं क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह गवर्नमेंट की इन्हेरेंट पावर है कि वह अप्रूव्ड पेपर्स के सिवाय भी एडवर्टाइजमेंट दे सकती है । अब माननीय सदस्य कहते हैं कि नहीं दे सकते हैं तो उसको वे जो चाहें कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह जो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नमेंट को है तो इसमें कोई क्राइ-

Page No. 15

(श्री भैरोंसिंह)
टेरिया बना रखा है डिस्क्रिशन यूज करने का या मर्जी आए वैसे ही एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन का मतलब डिस्क्रिशन ही है। मतलब यही है कि उसकी उपयोगिता को देखकर अपने डिस्क्रिशन को यूज करे।

श्री भैरोंसिंह : जो उदयपुर से जनमंगल नामक पाक्षिक पत्र निकलता है उसको आपने किस आधार पर एडवर्टाइजमेंट दिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : जिस आधार पर युगद्रष्टा, हिन्दू संदेस, समाजवादी संदेस और आर्गनाइजर को एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसी आधार पर इसको भी दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जैसा अभी आपने युगद्रष्टा का नाम लिया अभी तो युगद्रष्टा तो साप्ताहिक पत्र है और रेगुलर निकलता है जब कि जनमंगल पाक्षिक पत्र है और उसके दो ही अंक निकले हैं अब तक ?

श्री हरिदेव जोशी : उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री भैरोंसिंह : कोई फर्क कैसे नहीं पड़ता ? आप उनको दो हजार का एडवर्टाइजमेन्ट देते है तो उसको देखना तो पड़ेगा ही। कोई हमारे पैसे से ही पेपर निकाले और कमाई करना चाहे तो क्या उसको देखना नहीं चाहिए ?

श्री हरिदेव जोशी : वह साप्ताहिक है और वह पाक्षिक है।

श्री जोरावरसिंह चौहान (गिरवा): जनमंगल की केवल दो कॉपियां निकली हैं और युग-द्रष्टा सरकार से स्वीकृत है जब कि वह सरकार से स्वीकृत नहीं है। उसकी दो कॉपियां निकली और सरकार ने एडवर्टाइजमेन्ट दे दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह भीलवाड़े के पेपर को तो आप इतना एडवर्टाइजमेन्ट दे दें और युगद्रष्टा को १५०) रु० का एडवर्टाइजमेन्ट ही मिले, यह इन-इक्वेलिटी क्यों है, क्या यह रूल्स का वायेलेशन नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

पुलियाओं की मरम्मत

३११. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि हथनि माइनर और पावसर ड्रेन पर जुरहड़ा और लाडला के बीच दो पुलियां हैं और दोनों पुलियां टूटी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : जी हां, मरम्मत का काम चालू है और आशा है कि यह कार्य अब थोड़े ही समय में सम्पूर्ण हो जायगा।

प्रश्न संख्या ३१२

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

Page No. 16

आलनियां बांध की सिंचाई क्षमता

३१३. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष आलनियां बांध (कोटा) में कुल कितना पानी था तथा उसको कितनी एकड़ भूमि को सिंचित करने की क्षमता है ?

(२) उपरोक्त क्षमता के विरुद्ध कुल कितनी एकड़ भूमि को पानी दिया गया ?

(३) पानी की कमी के कारण वितरण की कब व क्या व्यवस्था बनाई गई थी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) इस वर्ष आलनियां बांध में ४२५ मिलियन क्यूबिक फीट पानी था एवं ४२५० एकड़ भूमि को सिंचित करने की क्षमता थी।

(२) ३६६७ एकड़ भूमि में पानी दिया गया। पानी का कुछ भाग करार के अनुसार ओरियेन्ट पावर केबल फैक्ट्री को देना पड़ा।

(३) पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए जल वितरण सम्बन्धी बैठकों का आयोजन किया गया एवं इनके निर्णयानुसार फसलों को दो बार पानी देने के लिए नहरें खोली गईं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जो केवल इण्डस्ट्री है इसको कितना क्यूसक्स पानी रिजर्व किया हुआ है ?

श्री दिनेशराय डांगी : इस फैक्ट्री को २ लाख ५० हजार गैलन पानी प्रति दिन देने का तय हुआ था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या कभी सरकार ने इसकी जानकारी की कि जो केवल इण्डस्ट्री को पानी दिया जाता है और उसके लिए जितना पानी रिजर्व रखा जाता है उससे कितनी एक्स्ट्रा भूमि के अन्दर सिंचाई हो सकती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : क्या हो सकता है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो पानी केवल इण्डस्ट्री के लिए रिजर्व रखा जाता है और जिसे खेती के लिए नहीं छोड़ा जाता है, उसके लिए क्या सरकार ने यह जानकारी की कि अगर यह पानी सिंचाई के काम में लाया जाय तो इससे कितनी एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : करीब ५०० एकड़।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जब अकाल की स्थिति है और स्टेट में मानसून फेवरेबल नहीं रह रहा है तो ऐसी स्थिति में इस पानी को तो खेती के काम में लाया जाय और इण्डस्ट्री को बाध्य करें कि वह अपने पानी के लिए स्वयं कुए खोद कर पानी की व्यवस्था करे ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह पानी पीने के काम में भी आता है और एग्रीमेंट के मुताबिक यह पानी दिया जाता है। इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। गये साल से पानी की कमी होने के कारण ही आज यह सवाल पैदा हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : विशेष फर्क कैसे नहीं पड़ता है ? पांच सौ एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई होती है तो इससे कितना उत्पादन बढ़ सकता है, इस बात को अगर आप लाइटली लेते हैं तो अलग बात है। जहां

Page No. 17

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
तक सवाल पानी पीने के काम में आने का है तो सरकार फैक्ट्री को बाध्य करे कि वह खुद कुए खोदे और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी फैक्ट्री के लिए कुए खोदने में कोई दिक्कत भी नहीं आ सकती।

अब स्थिति यह रही है, कृषि मंत्रीजी कि वहां पर चावल सूख गया। जिस दूरी तक पानी पहुंचना चाहिए था वहां पानी नहीं पहुंच पाया है, जितनी बार पहुंचना चाहिये था उतनी बार नहीं पहुंच पाया है। आलनिया बान्ध से देहातों की सिंचाई की जो स्कीम थी वह खत्म हो गई है, तो ऐसी स्थिति के अन्दर आप इन्डस्ट्री को बाध्य क्यों नहीं करते कि वह अपने कुएं खोदे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आलनिया बांध जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं वह १५०० मिलियन क्यूबिक फीट पानी की कैपैसिटी का तालाब है, और इस साल इस तालाब में ४२५ मिलियन क्यूबिक फीट पानी था, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके मुकाबले में जो बरसात का पानी आया वह कम आया। इस वजह से सिंचाई पौने चार हजार एकड़ में ही हो पाई। आपने चावल के लिए पानी की कमी और दूसरी फसलों के लिये पानी की कमी बतलाई तो उसके पहले ही हमने लोगों की मीटिंग करके कि आपको दो पानी से ज्यादा पानी नहीं मिल पायेगा, क्योंकि पानी की कमी है। हमने पंचों, सरपंचों और प्रधानों को बुलाकर यह प्रोग्राम बता दिया था कि अमुक अमुक प्रकार की क्राप करें, क्योंकि हम इतना पानी नहीं दे सकेंगे।

अब रहा सवाल कि फैक्ट्री को पानी क्यों दिया गया जिसकी वजह से हम ५०० एकड़ ज्यादा जमीन में सिंचाई कर सकते थे और फैक्ट्री को बाध्य क्यों नहीं किया जाता कि वह अपने कुएं खोदे और पीने के लिए और अपने यूज के लिए वह अलग प्रबन्ध करे और इस पानी को सिंचाई के काम में लाने दें। अध्यक्ष महोदय, इस बान्ध के बनने के साथ जिस फैक्ट्री का यहां जिक्र किया गया है उसके साथ में एग्रीमेंट था कि हम आपको इतना पानी देंगे ६६ की जुलाई तक.......

श्री कृष्णकुमार गोयल : ६६ जुलाई तक ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां। उसके बाद में पानी वे ले रहे हैं। हमने एक फैक्ट्री लगवाई है जो कि प्रान्त की एक नीड को पूरा करती है, लेबर को एम्प्लाय करती है और अपना फायदा पहुंचाता है। इससे ५०० एकड़ सिंचाई में कमी होती है तो कोई बात नहीं। उनकी जरूरत का जो पानी है वह उनको दे रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मंत्री जी का कहना यह है कि यह पानी ६६ तक देंगे तो ६६ के बाद वह फैक्ट्री अपने एरिया में कुएं खोदेगी और दूसरे साधन पानी के पैदा करें। क्या सरकार उसको दुबारा एक्स्टेन्शन तो नहीं दे देगी कि इस बान्ध से वह पानी लेती रहे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि अच्छी बरसात हो जाती है तो कुल रकबे में पानी काफी है। उसमें १६-२० हजार एकड़ की सिंचाई हो सकती है। २२ हजार तक का उसका कमाण्ड एरिया है। उसमे

(श्री नाथूराम मिर्धा)
किसानों को दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद में क्या व्यवस्था करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इस इन्डस्ट्री के बारे में आपका एटीट्यूड है उसको प्रायोरिटी देने के बारे में क्या किया जाय, क्या न किया जाये उसकी पाबन्दी की स्थिति में आज मैं नहीं हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह पानी से पूरा भर जायेगा यह कैसे मालूम? जिस कैपेसिटी का यह बांध है उसमें आज तक इतना पानी आया नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब पानी आने पर ऐसा नहीं होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बढ़िया से बढ़िया बरसात हुई तो भी फसलें खराब हो गईं। उस एक्सटेन्ट तक पानी नहीं भरा और अब भी नहीं भरेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत!

श्री जुझारसिंह (केकड़ी) : कृषि मंत्री और सिंचाई मंत्री एक होते हुए भी दोनों डिपार्टमेन्ट्स में कोआर्डिनेशन नहीं है। उनको ऐसा बीज बोने को नहीं देना चाहिए था, जिसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता हो। उनको दो पानी वाला बीज नहीं दिया गया है। इस तरह के काम किये जाते हैं तो यह देखने का काम होता है कि ज्यादा पानी नहीं है तो इस तरह के बीज उनको दें कि जिनमें दो पानी से काम चल जाये। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को ऐसे बीज नहीं देने चाहिए जिनमें ४–५ पानी की जरूरत पड़ती हो। डिपार्टमेन्ट की यह ड्यूटी हो जाती है जब कि पानी नहीं हो तो।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने हमारी ड्यूटी पूरी की है। आपने आरम्भ में सुना नहीं। हमने पहले ही प्रोग्राम बना दिया था कि किसानों को जानना चाहिए वे उसी तरह का बीज बोयें जिनमें दो पानी की आवश्यकता हो। यह मैं पहले ही कह चुका हूं। इसलिए यह कहना कि कृषि विभाग ने नहीं कहा और दोनों का कोआर्डिनेशन नहीं है, मैं समझता हूं बहुत गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत!

(प्रश्न पूछने के लिए खड़ी नहीं हुई)

श्री मोहनराज!

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी के खड़े होने पर) इनके प्रश्न संख्या ३१४ का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : पूछना नहीं चाहती हैं। मैंने दुबारा कह दिया।

श्री भैरोंसिंह : अब तो खड़ी हो गई हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज!

ग्राम लाठारा के बांध से सिंचाई

३१५. श्री मोहनराज (बाली) : क्या मंत्री, सिंचाई विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बाली तहसील के लाठारा ग्राम स्थित बांध से इस वर्ष रबी में कुल कितने एकड़ में सिंचाई की गई?

Page No. 19

(श्री मोहनराज)

(२) क्या यह सही है कि इस बांध की मुख्य दीवार पर से महीना भर तक पानी ओटे होता रहा जिससे काफी पानी व्यर्थ ही बह कर चला गया ?

(३) क्या राज्य सरकार उक्त बांध की मुख्य दीवार को कुछ और ऊंची उठा कर पानी अधिक रोकने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, ताकि आस-पास की पड़ी हुई कृषि-योग्य सैकड़ों बीघा भूमि उपजाऊ की जा सके ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) (१) इस वर्ष में रबी फसल के आंकड़े अभी तक इस विभाग को उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि सिंचित क्षेत्र का माप राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है।

(२) जी हां, किन्तु जो पानी नीचे बहा उसे व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। थोड़ा-बहुत पानी नीचे बहना कुओं के पानी की सतह को ठीक रखने में लाभदायक है।

(३) अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री मोहनराज : अपने प्रश्न संख्या (२) के उत्तर में राज्य सरकार ने यह माना है कि बांध ओटे होता रहा और जैसा कि मैंने कहा कि अगर वहां पर और जमीन पड़ी हुई है तो फिर सरकार बांध को ऊंचा करने का विचार क्यों नहीं रखती ?

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय अध्यक्ष, मैंने नम्बर (२) में बताया है कि जो पानी निकल रहा है वह बांध की कैपेसिटी से ज्यादा होकर निकल रहा है। अब बांध अभी बना है और अब के साल में ही पानी भर है और ४-५ साल तक इसको देखेंगे कि इस तरह से पानी निकलता है या क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय !

सवाई माधोपुर शहर में नल लगाने का कार्य

३१९. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तीन वर्ष पूर्व सवाई माधोपुर शहर में नल लगाने के कार्य के लिए १२ लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर को नल लगाने के कार्य का ठेका दिया गया था ?

(३) अब तक नल नहीं लगने का क्या कारण है ?

मंत्री, जन-स्वास्थ्य विभाग (श्री हरिदेव जोशी) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : यह धनराशि किसके लिए स्वीकृत हुई थी ? यह १२ लाख की धनराशि शहर में किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई है ?

श्री हरिदेव जोशी : कौनसी धनराशि ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जल-प्रदाय योजना में सवाई माधोपुर के सम्बन्ध में १२ लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं राज्य

Page No. 20

(श्री राधाकृष्ण गोयल)
को ओर से, और वह धनराशि सीमेंट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर को दी गई है या सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर के किसी व्यक्ति को ठेकेदार के रूप में दी गई है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ गलतफहमी मालूम पड़ती है। सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड को उनके खुद के लिए १२ लाख रुपये का कर्ज स्वीकार किया गया। कोई कान्ट्रेक्ट नहीं दिया गया। अलबत्ता उनसे यह कहा गया है कि जो वाटर वे बनास से लायेंगे उसमें से ६ लाख गैलन पानी वे सवाई माधोपुर शहर की जरूरत के लिए देंगे तो जितना पानी देंगे उसकी कीमत चुकाई जायेगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : एग्रीमेंट में ६ लाख गैलन पानी की सवाई माधोपुर शहर के लिए व्यवस्था की गई है; तो उसकी किस तरह से मनवाया जा रहा है, क्या कार्य आरम्भ हो गया है और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक बनास से पानी लाने का सवाल है वह काम कम्पनी ने अपनी तरफ से पूरा कर दिया है। अब वहां पर रेलवे लाइन बीच में आती थी। रेलवे लाइन के नीचे से पाइप लाइन को रास्ता देने के लिए चिट्ठी लिखी है। उसके आने में अभी देरी हुई है। शहर में पाइप लाइन का फिटिंग हो गया है। उसका टेस्टिंग हो रहा है और मई के प्रथम सप्ताह में सवाई माधोपुर शहर को पानी मिल जायेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री को यह १२ लाख रुपये का कर्ज वह पानी की योजना बनने के बाद योजना के अनुसार दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं। यह लोन इन्डिपेन्डेन्टली इन्डस्ट्री को अलग से दिया है। अगर पानी नहीं लें तो यह आवश्यक नहीं है कि वे लोन नहीं चुकायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न तो यह है कि जो १२ लाख रुपये का लोन उनको दिया था, वह लोन उस फैक्ट्री ने किसी पर्टीक्यूलर एक स्कीम के लिए लिया था, सरकार ने उस स्कीम को देखा है और देखने के बाद सरकार को जब यह इत्मिनान हो गया कि इस वाटर वर्क्स के लिए १२ लाख की जरूरत है, कि अमुक प्रकार की स्कीम के लिए १२ लाख का लौन हो जावेगा।

श्री हरिदेव जोशी : स्थिति यह है कि सवाई माधोपुर फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री के लिए पानी चाहिए था। उस पानी को लाने के लिए उन्होंने अपने लिए लौन मांगा। हम भी अपना पम्प करेंगे बनास से और वे भी पम्प करेंगे तो उसको सरकार ने ठीक नहीं समझते हुए लौन सैंक्शन कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ यह भी कहा कि वे हमें पानी देंगे जो वाटर वे हमको देंगे उसकी कीमत हम उनको चुकायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां, उस में एक शर्त यह भी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उस एग्रीमेंट के अनुसार कब तक पानी देना चाहिए था ?

श्री हरिदेव जोशी : जो पानी जिस टाइम पर आना चाहिए था उस टाइम पर आगया। उसके अन्दर वे डिफॉल्टर नहीं हैं। पोजीशन यह है कि रेलवे लाइन को क्रोस करके शहर में पानी जो आना चाहिए था वह रेलवे लाइन के कारण नहीं आ सका उसमें देरी हुई।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या शहर में पाइप लाइन लग गई थी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : क्या नगरपालिका, सवाई माधोपुर, ने सरकार को १२ लाख के लोन के लिए लिखा था ?

श्री हरिदेव जोशी : वह अलग है। वह जो रेलवे लाइन से लगाकर शहर के अन्दर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए था। वह स्वीकार कर लिया गया है। वह १३ लाख है १२ लाख नहीं। उसको स्वीकार करके पाइप लाइन लगा दी गई है। उसका टेस्टिंग चल रहा है। मई के पहले हफ्ते में पानी शुरू कर दिया जायेगा, ऐसी मेरी आशा है।

हिंजर बांध को नहरों को अवाप्त भूमि का मुआवजा

३१७. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा–सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि हिंचर बांध (काली सिंध नदी) झालावाड़ बांध की नहरें निकालने में जिन किसानों की जमीनें दी गई थीं उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? अगर यह सही है तो उनको मुआवजा कब तक दे दिया जावेगा ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): जी नहीं कुल १३२० बीघा ५ बिस्वा अवाप्त की गई भूमि में से १०८५ बीघा १९ बिस्वा भूमि का मुआवजा पहले ही चुका दिया गया है एवं शेष भुगतान की कार्यवाही चालू है और राजस्व विभाग से एवार्ड प्राप्त होते ही मुआवजे का चुकारा कर दिया जावेगा।

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर): मामला यह है मैं थोड़ा साफ कर दूं क्योंकि यह ... क्षेत्र का मामला है, यह मुआवजा जो दिया गया है उसमें भेदभाव बरता गया है। यह आई. ए. एस. अफसरों के दिमाग की सूझ है पॉलिसी की बात नहीं है। जिस क्षेत्र में सांगोद पड़ता है वहां एक ही नहर थी एक ही तरह की जमीन थी पर वहां पर मुआवजा १००) बीघा दिया गया और खानपुर में १५) बीघा दिया गया। यह पोलिटिकल पॉलिसी नहीं थी। आई. ए. एस. के साथ सांठ गांठ थी। जिस समय तेजसिंहजी कोठारी कलेक्टर थे उस समय १५) रु० प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया गया। एक विधवा ने नहीं लिया और उसने कोर्ट में नालिस की सिंचाई विभाग के खिलाफ उसको बाद में ७५)-७६) रु० बीघा मिला। सिंचाई मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का भेदभाव खत्म करें। यह पॉलिसी का मैटर नहीं है। यह आई. ए. एस. अफसरों के दिमाग की सूझबूझ है। मैं स्वयं इसकी जांच करवाने को तैयार हूं अगर सत्य नहीं निकले तो··

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मुआवजे में भेदभाव करने क बात करना

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गलत है। मुग्रावजा एवार्ड ग्राफिसर के जरिये दिया जाता है। इसके लिये सिद्धान्त है, कानून है, नियम है उनके अनुसार दिया जाता है। जहां तक एवार्ड का प्रश्न है इरिगेशन विभाग से इसका ताल्लुक नहीं है। इसलिये इनको यदि एवार्ड के खिलाफ शिकायत है तो राजस्व विभाग से कहना चाहिये। एवार्ड होने के बाद रकम चुकाने का प्रश्न सिंचाई विभाग से ताल्लुक रखता है। कुल ११२० बीघा भूमि प्रवाप्त की गई उसमें से १०८५ बीघा का मुग्रावजा चुका दिया गया है। २३५ बीघा का मुग्रावजा देना बाकी है। यह मुग्रावजा पुराना बाकी नहीं है। ज्यों ज्यों एक्वायर जमीन की गई त्यों त्यों चुकाया गया। यह सन् ६३ से आज तक का मामला है। हमारी तरफ से ८७ हजार रुपये चुकाने का प्रोविजन था उसमें से ७६०००) चुका दिये है।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : प्रश्न इस बात का है कि मुग्रावजे की जिम्मेदारी आपके विभाग की नहीं है तो मैं पूछूं किससे ? मुख्य मंत्रीजी से पूछूं वह भी यहां नहीं हैं, आप ही बता दीजिये कि मुग्रावजा तय करने में भेदभाव बरता जाता है, उसको दूर करेंगे या नहीं। इसके बारे में लोगों में बहुत असन्तोष है; एक तरफ १५) रु० बीघा मुग्रावजा देते हैं और दूसरी तरफ १००) रु० बीघा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्रीजी कहते हैं कि मुग्रावजा कम है या ज्यादा, यह राजस्व विभाग की बात है, इनको राजस्व विभाग वाले लिखते हैं उतना देते हैं। तय करने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर आपने पहले भी आदेश दिया था कि मंत्री महोदय इस बात को देखें कि किसको जवाब देना है। बार बार यह झगड़ा होता है कि यह हमसे ताल्लुक नहीं रखता फलां से ताल्लुक रखता है। हमें इसका जवाब दिया जाना चाहिये। क्योंकि यह मामला ऐसा है, खानपुर तहसील की भूमि का लगान एक सा है। इस तहसील में जो नहर जाती है वही सांगोद तहसील में जाती है, दोनों तहसीलों की जमीन एक सी है फिर भी खानपुर तहसील में १५) रु० बीघा जमीन का मुग्रावजा तय किया गया और सांगोद में ८०) रु० तय किया गया। यह किस मंत्रीजी के अधिकार में आता है यह कह कर इस प्रश्न को नहीं टाला जा सकता। फलां मंत्री का है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम यह मानते हैं कि सरकार हमारे प्रति जिम्मेदार है इसलिये इसका जवाब आना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा: एवार्ड देने के लिये जैसा आपसे निवेदन किया, कानून के नीचे व्यवस्था है। एवार्ड से यदि कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो अपील का प्रावधान है। यदि उसको एवार्ड से संतोष नहीं है, डिस्क्रीमिनेशन किया गया है तो अपील कर लें और यदि अपील के बाद उनको रिलीफ नहीं मिलता है तो राजस्व विभाग के अधिकारियों से और मंत्रीजी से बात करके हल ढूंढना चाहिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पहले तो काश्तकारों की जमीन ले लेते हैं........

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके लिये कायदा बना हुआ है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कायदे के साथ में यह है कि जमीन का कब्जा लेने के बाद एक्वीजिशन ऑफिसर के पास भेजते हैं।

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
प्राइमाफेसी जब रेट एक सी लगती है तो अंतर नहीं रहना चाहिये। बाद में सारे लोग अपील करें, यह फिजीबल नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा: नियम और कानून सदन ने बनाये हैं। यदि सरकार के डिस्क्रिशन पर ऐसे मामले छोड़दें तो सदन के कई माननीय सदस्य इस चीज को पसन्द नहीं करेंगे। ये मामले कानून और नियमों के जरिये ऑफिसर्स के द्वारा तय किये जते हैं और इस तरह से ही होना चाहिये।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : एवार्ड देने के बारे में मंत्रीजी का कहना ठीक है, उसका रैफरेन्स डिस्ट्रिक्ट जज के यहां हो सकता है। लेकिन एवार्ड देनेवाले एस. डी. ओ. होते हैं। यदि एस. डी. ओ. किसी जगह १५) रु० और दूसरी जगह ८०) रु० देता है तो यह सरकार के देखने का काम है कि इतना भेदभाव क्यों बरता जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार के ध्यान में लाने पर सरकार देख सकती है।

श्री अध्यक्ष : आज राजस्व मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं आप उनके ध्यान में लेआवें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जरूर लाऊंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह बार बार कहा गया है कई दस्तावेज मुआवजे के बिना पड़े हैं।

सघन पशु विकास प्रोजेक्ट

३१८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) . क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे---

(१) बीकानेर जिले के पशुधन विकास हेतु एवं वहां पशुपालकों को उत्पादन की उचित कीमत उन्हें मिल सकें एवं बीकानेर, दिल्ली, जयपुर आदि शहरों के दूध की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, क्या इसके लिये भारत सरकार ने राज्य सरकार के समक्ष केन्द्रीय सरकार की योजना के रूप में एक सघन पशु विकास प्रोजेक्ट चौथी योजनाकाल के लिए प्रस्तावित की है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर डिवीजन के विधान सभाई सदस्यों की दिनांक १५ नवम्बर, १९६५ की बैठक में पारित एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से निवेदन किया गया है कि उक्त प्रोजेक्ट में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु धन राशि का प्रावधान अति आवश्यक है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उप-मंत्री, पशुपालन (श्री भीमसिंह) : (१) भारत सरकार ने सघन पशु विकास की योजना भेजी थी परन्तु उसे चतुर्थ योजना में शामिल करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(श्री भीमसिंह)

(२) उक्त योजना में पीने के पानी हेतु आवश्यक धन राशि का प्रवधान शामिल कर लिया गया है।

श्री भीमसेन : यह भारत सरकार के विचाराधीन है या स्वीकार गया हो ?

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी !

नगरपालिका कुचामन पर कर्जा

३१९. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (कुचामन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका कुचामन पर कुचामन पॉवर हाउस व राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कितने रुपये का कर्जा चुकाना बाकी है ?.

(२) नगरपालिका कुचामन को अपने कर्मचारियों को कितने माह की कितनी तनख्वाह देना बकाया है ?

(३) नगरपालका कुचामन के पास कर्मचारियों का प्रोविडेन्ट फंड का कितना रुपया जमा है ?

(४) क्या नगरपालिका कुचामन से सार्वजनिक निर्माण विभाग की ७५०००) की वसूली की कार्यवाही भी जारी है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) पॉवर हाउस व इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को २७,१०७.७८ पैसे का कर्जा चुकाना है।

(२) दो कर्मचारियों का वेतन सम्बन्धी मामला विवादास्पद होने से बाकी है। शेष कर्मचारियों को माह फरवरी, ६६ तक वेतन दिया जा चुका है।

(३) १,३३९.८१ पैसे।

(४) जी नहीं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : इतने रुपये बकाया होने के बावजूद भी क्या सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री दौलतराम सारण : इस बोर्ड ने मासिक किश्त बांध दी है चुकाने के लिए ४००) रु० माहवार।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : मेरा स्पष्ट सवाल था कि इतना कर्जा होते हुए भी सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की। समय पर लोगों को वेतन नहीं मिलता है, पी० डब्ल्यू० डी० का रुपया बकाया है, और का बकाया है।

श्री दौलतराम सारण : बोर्ड कर्जा चुका रहा है ५,०००) इस वर्ष में दिये हैं। अब ४००)माहवार भुगतान पेटे चुकाने का निर्णय लिया है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : निर्णय लेने से काम नहीं चलेगा, भुगतान किया या नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह ! प्रश्न संख्या ३२०।

केटल ब्रीडिंग फार्म, डग

३२०. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) केटल ब्रीडिंग फार्म पंचायत समिति, डग (जिला झालावाड़) में प्रारम्भ

(श्री गोविन्दसिंह)
करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितनी जमीन ली गई है, मकान बनाने में कितना खर्चा हुआ है और वहां कितने मवेशी व स्टाफ रखा गया है ?

(२) इस योजना की स्वीकृति कब हुई थी व कब तक यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए था ?

(३) मालवी नस्ल की गाय व बैलों की उपयोगिता देखते हुए राज्य सरकार ने इन नस्ल को प्रोत्साहन देने के लिए अभी तक क्या-क्या कदम उठाये हैं और भविष्य में क्या उठाये जायेंगे ?

उप-मंत्री-सहकारिता (श्री भीमसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सामग्री नहीं आ सकी है इसलिए उसे अगली टर्न पर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ३२१, श्री मोहनराज !

भारत-पाक युद्ध में राजस्थानी सैनिक

३२१. **श्री मोहनराज (बाली) व श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अब तक की सूचना के अनुसार गत वर्ष के भारत-पाक युद्ध में राजस्थान के कितने वीर (फौजी) शहीद हुए हैं ? कितने घायल व कितने अपंग ? नाम व पदों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) राज्य सरकार द्वारा इन वीरों के परिवारों को सहायतार्थ कुल कितनी धनराशि दी जा चुकी है ? क्या कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें यह राशि अभी तक न दी जा सकी है ?

(३) शहीद हुए फौजियों के परिवार वालों यानि स्त्री व बच्चों को राज्य सरकार की ओर से नकद रुपयों की सहायता के अलावा और क्या-क्या सहायता व सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसको आगे ले लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : लिखी हुई सूचना मिल जानी चाहिए ताकि देखकर बातचीत कर सकें

(प्रश्न संख्या ३२१ स्थगित किया गया)

१२.०० मध्याह्न

जिला टोंक में अकाल की स्थिति और सस्ते अनाज का वितरण

३२२. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)** [श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) द्वारा पूछा गया]: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला टोंक में इस वर्ष अकाल की स्थिति के कारण सस्ते अनाज का वितरण किया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां पर ?

(२) क्या इस सस्ते अनाज का वितरण कोओपरेटिव सोसाइटियों द्वारा करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो किन सोसाइटियों के द्वारा ?

(३) ग्राम उनियारा, तहसील उनियारा जिला टोंक में कौन-कौन सी सोसाइटियों को गल्ला दिया गया है ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(४) क्या यह सत्य है कि उनियारा में किसी अनरजिस्टर्ड फर्म को यह गल्ला दिया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के आधार पर ? क्या जिस तारीख को इसे गल्ला अलॉट किया गया उससे पूर्व कोई सिक्योरिटी जमा करवाई गई थी ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) क्या यहां पर कोआॅपरेटिव सोसाइटियां गल्ला लेने को तैयार हैं ? यदि हां, तो फिर उनको क्यों नहीं दिया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां । टोंक, पीपलू, झिराना, निवाई, झिलाय, मूंडिया, मालपुरा, डिग्गी, पचेवर, लाम्बा हरिसिंह, लावा, टोरडी, कोली सेडल्या, बाड़ली, देवल, कलमंडा कड़ाला, गनवर, टोडारायसिंह, सेरडा, देवली, नगर खावादूनी, घाव, अलीगढ़, उनियारा, कर्कोड़ा, बनेड़ा, चोरू, सोप ।

(२) जहां कोआॅपरेटिव सोसाइटी है वहां कोआॅपरेटिव सोसाइटी से व जहां सोसाइटी नहीं है वहां अन्य से । जैसे झिराना, पीपलू, देवली में कोआॅपरेटिव सोसाइटी है ।

(३, किसी सोसाइटी को नहीं दिया गया है ।

(४) जी हां । राजस्थान फूडग्रेन डीलर्स ला० आ० १९६४ के आधार पर दिया गया है और ७००) रुपये नगद माल देने से पूर्व जमा हो गये थे ।

(५) उनियारा की बहुउद्देशीय सहकारी समिति ने भाग ४ में वर्णित एसोसियेशन्स को गल्ला देने के बाद में तहसील उनियारा में एक प्रार्थना-पत्र गेहूं के वितरण करने के कार्य करने हेतु प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें कि कौनसी तारीख को प्रार्थना-पत्र दिया और गल्ला कौनसी तारीख को दिया गया ? आपने उत्तर यह दिया है कि गल्ला देने के बाद में प्रार्थना-पत्र दिया है तो यह बता दें कि कौनसी तारीख को गल्ला दिया गया है और कौनसी तारीख को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी !

श्री नाथूराम मिर्धा : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह आपकी सूचना गलत है कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र बाद में दिया है । प्रार्थना-पत्र पहले दिया था लेकिन कुछ व्यक्तियों के दबाव के कारण उस समिति को गल्ला न देकर कुछ व्यक्ति विशेष को दिया गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पूछ लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी !

ट्रेक्टर की खरीद हेतु ऋण

३२३. **श्री हनुमानसिंह चौधरी (कुचामन)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर जिले में कृषि विभाग द्वारा सन् १९६० से ६४ तक ट्रेक्टर हेतु कितनी धनराशि ऋण के बतौर कितने व्यक्तियों को दी गई ?

Page No. 27

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

(२) इनमें से कितने व्यक्तियों ने ट्रैक्टर खरीद किया व अन्य ऋण का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(३) उक्त ऋण की धनराशि में से कितनी वसूली आज तक हुई है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) सन् १९६०–६१ से १९६३–६४ तक २१ व्यक्तियों को १,६६,०००) रु० की धनराशि ट्रैक्टर ऋण के रूप में दी गई।

(२) १६ व्यक्तियों ने खरीदा । जिन ५ व्यक्तियों ने ट्रैक्टर नहीं खरीदा सम्बन्धित तहसीलों द्वारा वसूली की कार्यवाही चालू है तथा एक व्यक्ति से पूर्ण रकम मय ब्याज के वसूल भी हो चुकी है ।

(३) अब तक ५१६६१ रु० ३५ पैसे की वसूली की जा चुकी है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : जिन लोगों को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ट्रैक्टर खरीदने को आपने लोन दिया है वह अपने ट्रैक्टर को नमक ढोने और ट्रान्सपोर्टेशन करने के काम में ले रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आपके विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री भीमसिंह : रकम वसूल की है। जिन्होंने ट्रैक्टर नहीं खरीदे उनमें से एक से रकम वसूल हो गई है। एक आदमी की पूरी आ गई है। आपने फर्माया कि वह ट्रैक्टर का दुरुपयोग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पज में काम में न लेकर और दीगर काम में ले रहे हैं तो आप इसकी तफसील में जानकारी दें तो अवश्य जानकारी की जायगी और रकम वसूल होगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपने ऐरियर्स कितने बताये जो वसूल करने हैं ?

श्री भीमसिंह : पांच व्यक्तियों ने नहीं खरीदे, इनके पेटे एक से तो पूरी रकम वसूल हो गई है । दूसरे आदमी से थोड़ी रकम वसूल हुई है और तीन से नहीं हो सकी है । उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चालू है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि जो अनुदान सरकार दे या ऋण देवे वह उस व्यक्ति को देने के बजाय सीधे कम्पनी को सरकार दे दे ।

कृषि-मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह व्यवस्था पिछले एक साल से कर दी है ।

श्री अध्यक्ष : यह नये हैं या पुराने हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, यह पुराने हैं। पहले लोगों को देते थे। अब यह व्यवस्था कर दी है कि सीधे कम्पनी को दे दें, क्योंकि यह शिकायत होने लगी थी तो हमने कहा कि आप हमें मेक, कम्पनी और पसन्द दे दो। हम रुपया सीधे कम्पनी को देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :(जौहरी बाजार, जयपुर): इसमें प्रश्न यह है कि आप इनका पर्चेज डाइरेक्टर डिसपोजल के द्वारा करें तो आपको सस्ते मिल सकते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्योंकि वह अपनी पसन्द की कम्पनी, मेक और पसन्द का खरीदते हैं इसलिए डाइरेक्टर डिस्पोजल से खरीदने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप लोन देते हैं सो ट्रैक्टर खरीदने के लिए तो लोन न दे कर अगर खुद सौ ट्रैक्टर प्रोक्योर कर लें, तो सो

Page No. 28

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
लोन देते हैं उससे जो ट्रैक्टर खरीदते हैं उससे-ट्रैक्टर सस्ते मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को कन्सेशन मिलेगा, डिस्काउन्ट मिलेगा । इससे गवर्नमेंट को कुछ सेविंग भी हो सकती है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें यह हो सकता है कि हर आदमी किस हार्स पावर का, किस मेक का, किस कम्पनी का ट्रैक्टर खरीदना चाहे that will vary from the nature of the soil in which the tractor has to be used, therefore, हर आदमी की, इन्डिविजुअल की अपनी मेक की पसन्द होती है, अपने पर्टीक्यूलर हार्स पावर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अलग-अलग प्रकार के टैक्टर लोग खरीदते हैं तो सब ट्रैक्टर यूनीफार्म नहीं हो सकते हैं इसलिए सरकार इस काम को करे, मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप यह सर्वे करा सकते हैं कि किस मेक के कितने उपयोग में आते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो तीन कम्पनी के ट्रैक्टर सरकार ले सकती है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह जिम्मा सरकार नहीं लेना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : जो शिकायत सरकार को पेश की थी, क्या उसके ऊपर जानकारी की गई । मेरे क्षेत्र के अन्दर ही एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोन दिया है लेकिन ट्रैक्टर दूसरे काम में ले रहे हैं, नमक को ढोने के काम में और ट्रान्सपोर्टेशन के काम में ले रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने कहा कि एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया और ट्रैक्टर से लूण ढोने का काम कर रहे हैं । ऐसी पाबन्दी नहीं है कि अगर एग्रीकल्चर के काम के लिए ट्रैक्टर लें तो उसे दूसरे काम में नहीं ले सकते । इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । एग्रीकल्चर के लिए एक्सक्लुजिवली काम में आने वाला ट्रैक्टर होता है तो उसमें अमुक प्रकार की फीस और टैक्स जमा कराना पड़ता है, और दूसरे काम में लेते हैं तो उसमें अमुक फीस और टैक्स जमा कराना पड़ता है । इसलिए यदि वह लोग दूसरे काम में लेते हैं तो उनको वह टैक्स और फीस देनी चाहिए और नहीं दी है तो विभाग को वसूल करने की कार्यवाही करनी चाहिए । वह दूसरे काम में वह फीस और टैक्स जमा करा कर ले सकता है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : इस सम्बन्ध में जांच कराई है जो शिकायत की गई थी कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोन लिया लेकिन ट्रैक्टर दूसरे काम में ले रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा, यह टैक्सेशन विभाग का काम है । आप उनको जानकारी करा दीजिये तो कार्यवाही होगी । आप उनको जानकारी करा दीजिये कि लोन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लिया था, लेकिन हॉइलिंग का काम कर रहे हैं तो आपके जान कराने से उनको लाभ होगा और सरकार को भी होगा ।

श्री अध्यक्ष : क्या मंत्री महोदय उचित नहीं समझते है कि जो जिस काम के लिए लेता है वह उस काम में नहीं लेता है तो नियमों का उल्लंघन नहीं होता है ? इससे नियमों का उल्लंघन नहीं होता है कि लोन

(श्री अध्यक्ष)
एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लेता है, लेकिन उससे होडलिंग करता है, नमक ढोने का काम लेता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा है कोई ट्रैक्टर खरीदता है खेती के लिए लेकिन खेती के अलावा होडलिंग में काम में लेता है तो उस पर पाबन्दी लगाना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह टैक्स दे और रजिस्ट्रेशन करा दे कि वह ढोने के काम के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष : फिर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कहाँ रहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सीजनल रहेगा। जैसे रबी की फसल में काम में ले लिया। उसके बाद वह दूसरे काम में ले सकता है। जब रबी की फसल नहीं है तो ट्रैक्टर को होडलिंग के लिए और नमक ढोने के लिए काम में लेता है तो वह ले सकता है। उसको एग्रीकल्चर पर्पज तक समिति करने का मतलब एक आदमी को पर्सनल व्यापार करने से रोकना होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ट्रैक्टर इलेक्शन के मौके पर काम में आते हैं ?

श्री अध्यक्ष : उस पर पाबन्दी लगाने की बात नहीं है। श्री मोहनराज !

स्टडी सर्कल्स

३२४. **श्री मोहनराज** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे अधिकारियों में अधिक क्षमता, योग्यता, ज्ञान व विशेष जानकारी बढ़ाने हेतु कुछ स्टडी सर्कल्स बनाये हैं ?

(२) इन स्टडी सर्कल्स का संचालन कौन करता है और इनको कितनी सफलता मिली है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(१) जी हां।

(२) सरकार द्वारा गठित समिति इनका संचालन करती है, यद्यपि स्टडी सर्कल्स का गठन ५ विभिन्न विभागों में किया गया है किन्तु अभी तक सचिवालय के अतिरिक्त अन्य विभागों में विशेष उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी है।

श्री मोहनराज : वह पांच विभाग कौन-कौन से हैं जहां पर स्टडी सर्कल्स चल रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चल रहे हैं, यह मैंने नहीं कहा। सचिवालय सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग और आबकारी एवं कर विभाग।

श्री मोहनराज : पांच विभागों में स्टडी सर्कल्स कब से काम कर रहे हैं और अब तक कुल कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह निवेदन किया कि जो विभाग हैं वहां पर तो कोई खास काम नहीं हुआ है। सैक्रेटेरियट में जरूर हुआ है और सैक्रेटेरियट में अब तक करीब ८ लेक्चर्स अरेंज किये गये हैं जिनमें बाहर के और यहां के भिन्न भिन्न महानुभावों ने भाषण दिये हैं।

Page No. 30

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : खास काम क्या ? काम तो कुछ नहीं हुआ है। खास काम की परिभाषा आप बता सकते हैं कि किस जगह क्या हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो मीटिंग और डिस्कशन करके एक राय बनाने के लिए कायम हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमुवा रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। ३२५ !

रंगरों का सामाजिक बहिष्कार

३२५. जयनारायण सालोदिया (निवाई) [श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(१) क्या यह सही है कि मावली जिला उदयपुर के रेगरों के साथ माह फरवरी, ६८ से सामाजिक बहिष्कार सवर्णों द्वारा किया गया ? अगर हां, तो क्यों और उस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस सामाजिक बहिष्कार में रेगरों में मृत्यु होने पर मुर्दों के लिए कफन भी नहीं दिया गया ?

(३) क्या यह सच है कि रेगर बस्ती के पास जो धार्मिक चबूतरा है उस पर श्री रामदेवजी महाराज के चरण थे उसको भी किसी ने गायब कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस धार्मिक व ऐतिहासिक वस्तु की चोरी को पकड़ने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां, ज्ञात होते ही फौरन कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई।

(२) जी हां, ऐसा पाया गया है।

(३) जी हां। मुकदमा दर्ज कर तफतीश की गई, किन्तु माल मुलजिमान का पता कोशिश करने पर भी नहीं चला अतः फाईनल रिपोर्ट दी जा चुकी है।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-मु०) : यह फाइनल रिपोर्ट क्या दी जा चुकी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुकदमे की फाइनल रिपोर्ट दी जा चुकी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह अदम वकूआ हुआ या अदम सबूत ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अदम सबूत !

श्री दयाचन्द सोन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या फाइनल रिपोर्ट हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें मैं क्या करूं !

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन !

श्री दयाचन्द सोन : अध्यक्ष महोदय, आप आदेश दें कि वह जवाब दें। इस प्रकार के मुकदमों की पुलिस में रिपोर्ट नहीं हो और हरिजनों के साथ में ज्यादती हो। यह राजस्थान भर का सवाल है। इस प्रकार का राजस्थान में घटनायें होती हैं, उनके साथ मारपीट होती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सजा दी गई है।

Page No. 31

श्री दयाचन्द सोन : आप बैठ जाइये। सुनलें जरा !

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज करूंगा कि आपको बैठा दीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस हाउस में भी दबाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मुझे सीधे कहते हैं। मैं तो आपको अर्ज करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इनको बैठा दीजिये।

श्री दयाचन्द सोन : हरिजनों के साथ ज्यादती होती है। और हम कहें तो सुने नहीं। पुलिस हमारे साथ भेदभाव बरते ! आखिर क्या आप यह बता सकते हैं कि यह उचित है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका सवाल हो गया। कोई सवाल नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : फिर भी कुछ कह दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया कि छूआछूत का मामला था उसमें सजा दी।

श्री दयाचन्द सोन : आप बता दें एक भी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह दूसरा सवाल था।

श्री दयाचन्द सोन : इससे सम्बन्धित था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह चोरी के मामले में अदम सबूत हुआ है। छूआछूत के मामले में सजा दी गई है।

श्री दयाचन्द सोन : सैकड़ों केस छूआछूत के दर्ज हुए हैं उनमें क्या निर्णय हुआ है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सवाल अलग से रहा।

श्री दयाचन्द सोन : कितनों को सजा दी गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य ; यह मावली का मामला है जिसमें सजा दी गई है। कोई दूसरा मामला हो तो बता देना आप !

ट्यूब वैल्स से सिंचाई जैसलमेर

३२६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जिला जैसलमेर में अब तक कहां कहां बोरिंग कराके ट्यूब वैल्स से सिंचाई की सुविधा हो गई है ?

(२) किस किस गांव की कुल कितनी कितनी एकड़ जमीनों को उपरोक्त ट्यूब वैल्स के जरिये सिंचित किया जा सकता है तथा इस समय वास्तविक रूप से कितनी जमीन सिंचित की जा रही है ?

(३) राज्य सरकार उपरोक्त सिंचित जमीनों को किन शर्तों पर काश्त के लिए देना चाहती है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) :

(१) जैसलमेर जिले में नल कूपों से जो सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है उसकी सूची संलग्न की जाती है।

(२) प्रत्येक नल कूप की सिंचाई क्षमता संलग्न प्रति में दी गई है। इस समय ८८१ एकड़ भूमि में खेती की गई है।

(श्री भीमसिंह)

(३) जमीन निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है :-

(१) जोत की जमीन मिश्रित खेती के लिए ५० एकड़ निर्धारित की गई है। २५ एकड़ चरागाह के लिए और २५ एकड़ खेती के लिए।

(२) पहले पांच वर्षों के लिए जमीन का लगान नहीं लिया जावेगा।

(३) ३० साल के पट्टे पर दी जाती है।

(४) पहले पांच साल तक सिचाई की दर निर्धारित दर की १० प्रतिशत वसूल की जावेगी उसके बाद पूरी दर से वसूल की जावेगी।

(५) किसानों को यह रियायतें लेने के लिए मिश्रित खेती समितियां बनानी होंगी।

(६) यह रियायतें केवल उन्हीं काश्तकारों को दी जावेंगी जिन्हें सरकार इस स्कीम के तहत जमीन देगी।

(७) यदि कोई काश्तकार इन शर्तों को पूर्ण नहीं करेगा तो सरकार को जमीन वापिस लेने का अधिकार होगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भीमसेन : ट्यूब वेल्स के लिए कितनी जमीन अलॉट की जाती है और कितने एकड़ भूमि में खेती की जाती है ?

श्री भीमसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रत्येक नल कूप की सिचाई क्षमता अलग अलग है। इस समय ८८१ एकड़ भूमि में खेती की गई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जैसलमेर से पोकरण तक सड़कों के किनारे किनारे ट्यूब वेल्स हैं उन पर सहकारिता के आधार पर भूमि अलॉट की गई है मगर वहां पर खेती नहीं होती है।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : उनके आसपास दो मील इधर उधर होती है। इस समय ८८१ एकड़ भूमि में खेती की गई है। ये ११ ट्यूब वेल्स हैं जिनमें खेती होती है। इसलिए यह कहना कि वहां पर सिचाई नहीं होती है यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिस चीज को मैं आंख से देखकर आया हूं और कह सकता हूं कि वहां पर सिचाई नहीं होती है। पोकरण के पास एक कुआ है सोडायतों का कुआ है वहां पर होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कौनसे महीने में वहां पर गये ?

श्री भैरोंसिंह : मैं अगस्त, सितम्बर में गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : अजी भैरोंसिंह जी वहां पर सिचाई होती है और खेती होती है।

श्री भैरोंसिंह : अजी नाथूरामजी साहब मैं भी कहता हूं कि नहीं होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सितम्बर और अगस्त में रबी की खेती कैसे हो जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : इन सारे कुओं पर इंजिन लगे हुए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन सभी ११ कुओं पर एंजिन लगे हुए हैं और सिचाई हो रही

(श्री नाथूराम मिर्धा)
है। यह कहना सही है कि जितना पानी वहां पर है और उस हिसाब से जितनी सिंचाई होनी चाहिये नहीं हो रही है। वहां पर धोरे हैं। अभी हमने वहां पर पक्की नालियें लगाने की व्यवस्था की है। इसके अलावा वहां पर बाड़ें नहीं होने से भी इस पर बहुत असर पड़ा है क्योंकि खेतों के बाड़ें नहीं होने से जंगली जानवर वहां पर फसलों को बरबाद कर देते हैं। इसलिए उनके लिए वहां फेन्सिंग का प्रोग्राम किया है। इसके अलावा टीलों को लेवलिंग में करने के लिए ट्रैक्टर और मशीनों की व्यवस्था की है। इसके अलावा वहां पर डीजिल से चलने वाले इंजिन हैं, बिजली से चलने वाले नहीं हैं, इसलिए उनको कभी कभी इतना नीचे से पानी खेंचने में ब्रेक-डाउन होता है उसके लिए स्पेयर एपेरेटस की कमी थी उसको भी पूरा किया है। इससे आगे आने वाले किसानों को ज्यादा लाभ होगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने जो जो समस्यायें उनके सामने हैं बताई; वे होंगी, उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता और न कहने की स्थिति में हूं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मैंने वहां पर जाकर वहां के एक एक व्यक्ति से पूछा है कि यहां पर सिंचाई क्यों नहीं होती तो वहां पर लोगों का मत यह था कि कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी के नाम पर कुओं का पानी दिया गया है। और कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज में ऐसे लोग आ कर घुस गये हैं जिन्होंने कभी खेती नहीं की। उनका दृष्टिकोण यह था कि किसी तरह से उनका कुओं के आस-पास की जमीन पर अधिकार हो जावे। इसलिए उन्होंने इस तरह से अपना अधिकार कर लिया। आपने यह कहा कि वहां पर टीले हैं लेकिन जितना आपने बताया उससे ज्यादा समतल भूमि है। वहां पर ट्यूब वेल्स से पानी निकलता है और जमीन भी है लेकिन यह सरकार की इनएफीशियेन्सी है जिसके कारण वहां पर सिंचाई नहीं होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको निवेदन किया कि ८८१ एकड़ भूमि में सिंचाई से खेती की गई है। वहां पर जितनी भूमि में सिंचाई होनी चाहिये सचमुच इसमें कमी रही है। मगर यह कहना कि वहां पर खेती नहीं हुई है यह गलत है। मैं २२ तारीख को उधर जा रहा हूं आप मेरे साथ चलिये मैं आपको अपनी कार में बिठा कर ले जाऊंगा। मेरी मोटर में दो-तीन सदस्य चल सकते हैं। इसलिये यह कहना कि वहां पर खेती नहीं होती है, ठीक नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि वहां पर फसल खड़ी है। मैं खुद इसी इलाके का रहने वाला हूं और मैं तो उधर जाता ही रहता हूं।

श्री भीमसेन : यह तो सच है कि वहां पर खेती नहीं होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं खुद जैसलमेर के इलाके में एक-दो बार जाकर देख आता हूं and I make it a point to see the is whenever I visit.

श्री भैरोंसिंह : आप जानते नहीं पूरी तरह से........

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो जानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप उप मंत्री श्री भीमसिंहजी को इनके स्थान पर खड़ा कर दीजिये तो वे यह बात नहीं कहेंगे

Page No. 34

(श्री भैरोंसिंह)

और मेरी बात की ताईद करेंगे। मैं वहां पर गया था। वहां पर भीमसिंहजी भी डाकबंगले में कहीं से आ गये थे, मैंने कहा कि वहां पर खेती नहीं होती है। उन्होंने कहा कि होती है। मैंने उनसे कहा कि आप वापिस जाओ तो मेरे साथ चलें। उन्होंने देखा है। इसलिये या तो वे कह दें कि मैं कह रहा हूं वह गलत है या वे यह कहदें कि नाथूरामजी कह रहे हैं वह गलत है।

श्री नाथूराम मिर्धा : भीमसिंह जी कह रहे हैं कि लाटी का कुआ........

श्री भैरोंसिंह : लाटी का कुआ और चानण का कुआ बहुत पुराने हैं।

मैं यह कहता हूं कि अब तक वहां पर रबी की फसलें नहीं हुई हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां पर ६३-६४ में ५ हजार मन गेहूं पैदा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : कौन से कुओं में हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ९ कुओं पर हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि ये ६३-६४ में बन्द क्यों रहे।

श्री नाथूराम मिर्धा : ये बन्द नहीं रहे।

श्री भैरोंसिंह : तीन-चार सहादत हैं इसके लिये। महाराजकुमार कोटा साथ में थे सभी ने कहा था कि खेती नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जानकारी मंगा लें कि कौन से कुओं पर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अलग अलग कुओं की जानकारी मंगा कर देख लूंगा। मगर इस चिन्ता के लिये कि इस जमीन में जितनी खेती की जाती है वह जितनी खेती हो सकती है उससे कम है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। इतनी तो किसानों को मुसीबत है कि ऐसे लोगों को जमीन दी है कि जिन्होंने कभी खेती नहीं की है। यह भी सही बात है लेकिन वहां के जिला प्रमुख और प्रधानों की कमेटी बनी थी उन्होंने यह दृष्टिकोण रखा था कि जैसलमेर के लोगों को एम्पलॉयमेंट इससे मिले और वे भी खेती करना सीखें इसलिये ऐसे सदस्यों को जमीन अलॉट की गई जिनमें से बहुत से लोगों की खेती करने की आदत नहीं रही है। इसके लिये हमने नोटिस दिया है कि अगर आपकी समितियें ठीक तरह से काम नहीं करेंगी तो सरकार को इस पर विचार करना होगा। इसके अलावा २८ ट्यूब वेल्स और तैयार हो रहे हैं। इसके लिये एक सब-कमेटी बनी है। इसके लिये हम ऑर्डर दे चुके हैं। आगे आने वाली व्यवस्था में यह जमीन कुछ ऐसे लोगों को जो विशेष रूप से साधन शील हैं खेती करते हैं। ऐसी नीति के अनुसार २८ कुओं पर खेती करने की बात सोच रहे हैं।

तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि जिस तेज गति से जो पोटेन्शियल है उसका विकास होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ है। इस डेवलपमेंट को करने के लिये और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को करने के लिए सरकार सतर्क है।

श्री भैरोंसिंह : बाड़मेर से जैसलमेर की सड़क है उस पर कुएं बनाये गये हैं वे सिंचाई के काम के लिये बनाये हैं या पानी पीने के लिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नीमला और बताया के पास जो दो कुएं बनाये गये है वे बाड़मेर को पानी सप्लाई करने के लिये हैं। तीसरा कुआं फतेहगढ़ के पास आता है वह पीने के लिये और मवेशी के घास के लिये है। बाटका का सक्सेसफुल नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने बताया है, सैकड़ों और भी ट्यूब वेल्स बनाने में खर्चा किया जायेगा, यह खुशी की बात है। उन सब को डेवलप करने के लिये क्या योजना सरकार ने बनाई है, जो ट्यूब वेल्स की कमियां हैं उनको पूरा करने के लिये कोई योजना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २५० ट्यूब वेल्स के नीचे सरकार की यह योजना है कि बहुत से ट्यूब वेल्स वाटर सप्लाई को मीट करने के लिये बन रहे हैं, ३० हजार गैलन से नीचे पानी देने की जिनकी क्षमता है, उन ट्यूब वेल्स को उन गांवों और कस्बों के लिये वाटर वर्क्स के तौर से व्यवस्था की जायगी। उन सब कुओं पर पम्प के ऑर्डर हैल्थ विभाग ने दे दिये हैं। ३० हजार गैलन से ऊपर पानी का जिनका डिस्चार्ज है, उनकी व्यवस्था अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड की मार्फत करवा रहे हैं और जिन ट्यूब वेल्स का पानी का डिस्चार्ज ४५ हजार गैलन्स से ऊपर है वहां पंप लगा कर सिंचाई कराई जाय, एक्सपेरिमेन्टल तरीके से।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये पोटेन्शियल धन-राशि नियुक्त की है क्या शर्तें रखी हैं, कितना पिलाई का खर्चा लेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसलमेर के ११ का तो किया है, दूसरों की क्या शरायत होंगी यह वर्क आउट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसका अर्थ यह है कि भारत सरकार २५० ट्यूबवैल दे रही है और राजस्थान सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अर्थ निकालें तो हमारा दुर्भाग्य है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(कृपया तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट २ देखिये)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। दूसरे प्रश्न को मंत्री महोदय ने सूचना दी है शहाबाद की डकैती के बारे में 'ना' 'ना' कर गये हैं कि डकैतियां नहीं हुई हैं। मैं यह निवेदन करता हूं जांच करवाइये यह आपको गलत सूचना दी है, वहां पांच-छः डकैतियां हुई हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कल के प्रश्न में पूरी सूचना आ रही है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को भी कल ही लेलें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (अश्रव्य)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जनसंपर्क विभाग के रंगमंच पर व्यय

११२. **श्री जयनारायण खालोदिया** (निवाई): क्या सार्वजनिक सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर में रामनिवास बाग के पास सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा स्थापित रंगमंच पर वार्षिक व्यय कितना होता है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) इसके निर्माण पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

उत्तर

(१) रु. ८५८०) व्यय होता है ।

(२) रु. ९७२६) १५ पैसे व्यय हुआ है ।

सीमा के गांवों में हथियारों के लाइसेंस

२१४. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर बसे लोगों को हथियार रखने के लाइसेंस प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या क्या सुविधायें दी हैं ?

(२) क्या सरकार बाड़मेर इलाके के लोगों को हथियार बन्द करने के लिये कोई योजना रखती है ?

टिप्पणी:— गृह विभाग ने उनके पत्र संख्या पं० ६ (८) गृह (घ) । ६६ दिनांक १४ मार्च, १९६६ के द्वारा यह सूचित किया है कि इसका उत्तर दिया जाना जन हित में नहीं है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील रामगंज मंडी की सिंचाई योजनायें

६३. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा में कौन २ सी सिंचाई योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं और उनमें से अब तक किन किन का सर्वे किया जा चुका है ?

(२) ग्राम हरीगढ़ (मध्य प्रदेश) व रीछी की नदी से कितनी बीघा भूमि में रामगंज मंडी तहसील में सिंचाई की जा सकने का अनुमान है और उस पर कितनी रकम खर्च होगी ?

(३) क्या अमझार की नदी व देवली ब्राह्मणान व फाणदा में भी सिंचाई की संभावनाओं का सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो इन नदियों से लिफ्ट या फ्लो इरिगेशन द्वारा कितनी भूमि सिंचित की जा सकेगी ?

उत्तर

(१) जुल्मी नामक नाले पर एक बांध स्थल का सर्वेक्षण किया गया था किन्तु तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से उचित न होने के कारण इस योजना को स्थगित कर देना पड़ा ।

(२) रीछी नाले पर भी डाकिया नामक योजना के बंध स्थल का निरीक्षण किया गया है किन्तु अत्यधिक काश्त योग्य भूमि के डूब में आने के कारण एवं उचित बांध स्थल उपलब्ध न होने के कारण तकनीकी दृष्टि से यह योजना उपयुक्त नहीं है । हरिगढ़ ग्राम के निकट भी योजना अभी सर्वेक्षण-काल में ही है तथा उसके पश्चात् कुछ कहा जा सकता है ।

(३) अमझार नदी पर बांध योग्य कुछ स्थानों का निरीक्षण किया गया किन्तु तकनीकी दृष्टि से कोई भी आशाजनक स्थान अभी उपलब्ध नहीं हुए । फिर भी खोज जारी है ।

Page No. 37

चम्बल भूमि अन्वेषण केन्द्र

६४. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि कोटा नगर परिषद् क्षेत्र में चम्बल भूमि अन्वेषण केन्द्र खोला गया है ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के लिए भूमि अवाप्त की गई है ? अगर हां, तो कितनी ?

(३) क्या यह सही है कि अभी तक काश्तकारों को अवाप्त भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र प्रोजेनी आरचार्ड से पूर्व की ओर लगा हुआ है ?

(५) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई है वे भूमिहीन हो गए हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, फार्म खोला गया है।

(२) जी हां, करीब ७५ एकड़ है।

(३) काश्तकारों को अवाप्त भूमि का मुआवजा ४१ हजार ३ सौ ३८ रु० के दिया जा चुका है। बाकी के काश्तकारों का मुआवजा शीघ्र ही भुगतान कर दिया जावेगा।

(४) जी हां।

(५) केवल ८ किसान भूमिहीन होते हैं।

टोडवाडा बांध का पुनर्निर्माण

६५. विरदाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या जालौर तहसील में टोडवाडा के पुराने बांध का पुनर्निर्माण करने की योजना विचाराधीन है ?

(२) क्या इस बांध का सर्वे हो चुका है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या इस बांध के पुनर्निर्माण की कोई संभावना है ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी हां, इस बांध का सर्वे हो चुका है और तखमीने की स्वीकृति हो चुकी है।

३. जी हां, पंचायत समिति, जालौर द्वारा इस बांध के पुनः निर्माण होने की संभावना है।

कुचामन में सार्वजनिक पार्क के निर्माण पर व्यय

६६. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि कुचामन नगरपालिका द्वारा बनाये जाने वाले सार्वजनिक पार्क के निर्माण पर दिनांक २८-७-६१ को संचालक, स्थानीय निकाय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थगन आदेश के बावजूद अधिकारियों ने

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

पार्क का निर्माण चालू रखा ? यदि हां, तो स्थगन आदेश के बाद पार्क के लिए कितना धन व्यय हुआ व स्थगन आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

१. जी हां ।

२. जी हां । पालिका कोष से २३, ३७१-३४ पै० व अनुदान द्वारा प्राप्त १२, १००-०० पै० व्यय हुआ है । अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

जल प्रदाय योजनाएं एवं स्वीकृत धन-राशि

६७. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में सन् १९६० से मार्च, १९६४ तक कहां २ के लिए और कितनी कितनी धन-राशि जल प्रदाय योजना के लिए मंजूर की गई है ?

(२) किस किस जगह कार्य पूरा हो चुका है ? और किस किस जगह अधूरा है ?

(३) अधूरे कार्य को पूरा कराने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

(४) इस वर्ष कहां कहां पर नई जल प्रदाय योजनायें चालू की जाने वाली हैं ?

उत्तर

(१) राज्य में जल प्रदाय योजनाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है:—

(१) शहरी जल प्रदाय योजनाएं

(२) ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

(२) राज्य में सन् १९६० से मार्च, १९६४ तक जहां २ के लिए और जितनी २ धन राशि जल प्रदाय योजनाओं के लिए मंजूर की गई है, तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार धन-राशि स्वीकृत की जाती है । सरकार की नीति यह है कि रेगिस्तानी तथा अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों की योजना को शीघ्र पूरा किया जावे ।

(४) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१२.२४ म० प०)

राजस्थान—पाक सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में पाकिस्तान की फौजों और दूसरी गतिविधियों के बारे में यहां प्रश्न उठाये गये थे, उसके सम्बन्ध में मैं निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं :

"ताशकन्द समझौते के सिलसिले में भारत सरकार से जो निर्णय हुआ उसके

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मुताबिक सीमा के ऊपर अभी पहले की भांति ग्राउण्ड रूल्स का पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान की सेना या पुलिस द्वारा हमारी सीमा का अतिक्रमण किया गया है।

मांग संख्या २५, २६ व ४१–
वहु प्रयोजन नदी योजनाएं, सिंचन, नौचालन इत्यादि

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार, कृषि मंत्री जी अपनी मांगें प्रस्तुत करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अगर इजाजत हो तो मेरी जितनी मांगें हैं, सबको एक साथ पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष : तीनों मांगें एक साथ पेश कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३२,३५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक--

४३– सिंचन, नौचालन, तट–बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४४– सिंचन, नौचालन, तट–बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

४५– सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६०,८२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक–

९८– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

९९– सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

१००– सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,६३,७१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। कटौती प्रस्ताव।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :]

मांग संख्या २६

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :—

१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सीपेज व लोगिंग से उत्पन्न समस्या व ड्रेनेज की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा बेराज पर पानी की कमी के कारणों पर चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३—सिंचन, नौचालन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (रायपुरा टैंक के टूटने में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :—

४. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नांगल परियोजना के अन्तर्गत संधारण और जीर्णोद्धार के नाम से फिजूल खर्चे पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) :—

६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में ग्राम नाहर खौर बन्ध में पानी नहीं रुकने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये)।

७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सरकार ग्राम नाहूरी के भालपुर नाला को रोकने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४१

८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में छोड़ नाम नदी का बांध बांधने के विषय पर चर्चा के लिये)।

९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिकराय तहसील में बन्ध माधोसागर में पानी के भाव कर बढ़ाने तथा नहर को सही चालू हालत में रखने के सम्बन्ध पर चर्चा करने के लिये)।

१०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (इतना भारी खर्चा करने के बावजूद

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)
भी तहसील सिकराय में बिजली नहीं मिलने के सम्बन्ध में काम कम नौकर ज्यादा, पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ११. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (खारी बांध के कमांड को पानी की तादाद के मुताबिक घटाना व वितरण में अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

१२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आसीन्द तहसील अकाल के निवारणार्थ नौवाड़ी बांध, लाधूहा तालाव व अन्य फूटे तालाब बंधवाने तथा पानी की सतह नीचे चली गई जिससे पाताल फोड कुए खुदवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद):– (१३) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहर में हुए सीनेज के रोकने के लिये निर्माण कार्य में गड़बड़ पर चर्चा के लिये)।

१४. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहर पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

१५. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल की नहरों में पानी के प्रवाह व नहरों की मेन्टेनेन्स पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

१६. मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ४३– सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल बांध व सम्बन्धित नहरों में हुए खर्चे में घोटाले पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

श्री जुझारसिंह (चेचट) :

१७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सांगोद क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं के साधनों के विकसित नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

१८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ११– सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (तहसील रामगन्ज मन्डी में लघु सिंचाई व मध्यम सिंचाई योजना पर ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) :

१९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील चाकसू जिला जयपुर में ग्राम स्यामपुरा के नाले को रोककर बांध बनाने वास्ते चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

२०. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विरदवाल से बीकानेर तक Rajasthan Canal of left Channel में हो रही विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़):—

२१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नांगल योजनाओं का कार्य सुचारु ढंग से नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

२२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३– सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व जोधपुर राज्य के समय बने हुए पुराने बन्धों के नीचे दर्ज नहरी भूमि को नहरी पानी न मिलने की हालत में नहरी क्षेत्र को बढाना या नये सिरे से बनाने से उत्पन्न हालत में पानी के बटवारे पर चर्चा के लिये)।

श्री मावा (सलूम्बर) :

२३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाये (जय समन्द की नहरों की सफाई के बारे में विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन):

२४. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नहरों के अधूरे निर्माण कार्यों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

२५. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२ बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना में कार्य की असावधानी से उत्पन्न होने वाले संकटों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

२६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में १००) रुपया कम कर दिया जाय (निर्माण कार्य में किये जाने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

२७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नहरों पर नालों के अभाव की पूर्ति नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

२८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा किसानों से पिलाई वसूल करने में भ्रष्ट तरीके काम में लेने पर चर्चा के लिये)।

२९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल योजना पर विभाग द्वारा मजदूरों की छंटनी करने में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

३०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों के मनमाने खर्च व भत्तों पर रोक लगाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) :

३१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा-नांगल परियोजना के अन्तर्गत उचित लाभ नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

३२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गंग-नहर के उत्पादक निर्माण कार्य की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

३३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बाढ़ नियन्त्रण कार्य की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :

३४. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नांगल परियोजना से वांछित लाभ प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

३५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विभाग का ध्यान आकर्षित करने हेतु, चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

३६. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम

(श्री गंगासिंह राठौड़)
कर दिया जाय (राजस्थान नहर से नागौर जिले की भूमि को लिफ्ट् चैनल द्वारा सिंचित करने बाबत पर चर्चा के लिये)।

३७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (धन के अनुपात में राजस्थान नहर परियोजना से उचित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

३८. कुमारी उमा माथुर (रामगढ़): मांग २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर में सीलीसैड बांध से सिंचाई के लिये जल वितरण में फैली अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

३९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले को सिंचाई साधनों से वंचित रखने पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा–सु०):
४०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचा-लन, तट बन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा और खेर-वाड़ा में सिंचाई विभाग की ओर से सिंचाई साधनों के विकास की ओर ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

४१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील खैरवाड़ा में जवास के पास सोम नदी का बांध बनवाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया):
४२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (योजना के मुताबिक विभाग द्वारा कार्य नहीं करने से आर्थिक हानि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

४३. श्री प्रभुलाल सेंटर (खानपुर): मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय, (धन के अनुपात में योजना से उचित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू):
४४. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना में लिकेज पर चर्चा के लिये)।

४५. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना के अन्तर्गत नहरों के कार्य समयानुसार पूरे नहीं हुये इस पर चर्चा के लिये)।

४६. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १००) रुपया

Page No. 45

(श्री जोरावरसिंह बावेल)
कम कर दिया जाय (भाकरा नागल परियोजना के अन्तर्गत उचित फायदा नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

४७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राणा प्रताप सागर बांध का समयानुसार निर्माण नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये)।

४८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनोपुरा तहसील बेगूं के तलाब को बांधने के लिये चर्चा के लिये)।

४९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बे बेगूं को पानी नहरों द्वारा सप्लाई किये जाने के बारे में चर्चा के लिए)।

५०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खुमाखास बांध का सर्वे व कार्य चालू नहीं कराने के विषय में चर्चा के लिये)।

५१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बम्बल बांध पर व्यय का उचित लाभ न होने पर चर्चा के लिये)।

५२. मांग संख्या २६. मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा वसूली में गलत तरीका व सख्ती काम में लेने के बारे में चर्चा के लिये)।

५३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले के टूटे हुए बांधों की मरम्मत के बारे में चर्चा के लिए)।

५४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग की अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

५५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ओराई बांध के निर्माण कार्य की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा):–
५६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिवगंज तहसील में सुकली नदी पर बने (inundation) बांध को (storage) बांध बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१.

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा):-

५७-मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जोधपुर जिले में मुख्य केनाल के कार्य में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

५८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९--सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जोधपुर जिले के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में स्थाई सघन साधनों का विकास करने में सरकार सर्वथा उदासीन रही है—पर चर्चा के लिये) ।

श्री जीवराज (गुडा) :

५९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर वाटी तहसील, जिला झुंझुनू में बांधों का सर्वे व एस्टीमेट हुआ उन कार्यों का निर्माण करवाने की चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६.

श्री मोहनराज (बाली) :

म६०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३ सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध से कृषि हेतु पानी के कम मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४१.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत(भीम) :

६१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टूटे हुये बांधों की मरम्मत नहीं कराने पर चर्चा के लिये) ।

६२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९--सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर योजना का कार्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति न कर सका इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़):

६३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३ सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटड़ी तहसील जिला भीलवाड़ा के सर्वे शुदा बांधों जोड़ोल, किशनगढ़, देवरिया, सूठेका का सर्वे हो गया किन्तु अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिये) ।

६४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (मांडलगढ़ तहसील जिला भीलवाड़ा के बांधों बनवासा, जेतपुर, डामटी खोकरा के न बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

६५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (साजी, वड गांव, जैतपुरा एवम् लूनी नदी एवम् नर्मदा व माही नदी परियोजना से जालोर में सिंचाई के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

राजा श्री मानसिंह (डीग):

६६. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नागल परियोजना से वांछित लाभ प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) :

६७. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कर्मचारी वर्ग पर बढ़ते हुए खर्च पर चर्चा के लिये)।

६८. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (स्थापना सुधार शुल्क संगठन पर बढ़ते हुए खर्च पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री गोविंदसिंह (पिड़ावा) :

६९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बांधों पर अनुमान से अधिक खर्च पर चर्चा के लिये)।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) :

७०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सिंचाई के साधन उपलब्ध करने की व्यवस्था पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

७१. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सही रूप में समाजवादी समाज की स्थापना के आधार पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रम लागू करने के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) :

७२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३ सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ओराई नदी की योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य में देरी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४१

७३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६९—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बेड़च नदी में अविरल जल प्रवाह को सिंचन कार्य में लगाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

श्री मानसिंह महार (आमेर):

७४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३—सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (समुचित सिंचन व्यवस्था उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) :

७५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गंग नहर के संधारण में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

७६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना की पूर्ति में विभागीय अव्यवस्था के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये) ।

७७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३—सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण में देरी के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४१

७८. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान बिजली बोर्ड को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा):

७९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पिलाई वसूल करने में बरते जाने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

८०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिंचाई के कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने से धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २५

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर):

८१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना से उचित लाभ नहीं होने से चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २६

श्री जयलाल (डग) :

८२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३—सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाए (सिंचाई विभाग द्वारा पानी देने में बरती गई शिथिलता पर चर्चा के लिए) ।

श्री केसरीसिंह (पाली):

८३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)

मांग संख्या ४१

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा):—

८४. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास

(श्री जोधसिंह चौहान)
निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में कई नये बांध बनाये जा सकते हैं इस पर चर्चा के लिए)।]

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान की सिंचाई का प्रश्न है राजस्थान सरकार ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना से.........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष जी, एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है; मांगों पर बोलने का समय पार्टी के हिसाब से दिया जायेगा.......

श्री अध्यक्ष : हमेशा होता है उसी तरह है पार्टीज का समय भी है, सदस्य का भी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना में जहां हमारा लक्ष्य १२९ हजार एकड़ भूमि को सिंचित करने का रखा गया था वहां अब हमारी संभावना ७० हजार एकड़ की सिंचाई करने की ही रह गई है। तथा मुख्य एवं मध्यम परिसिंचन योजनाओं से ७८२ हजार एकड़ भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य था उसके मुकाबले में ५२९ हजार एकड़ ही सिंचित कर पायेंगे, ऐसी हमारी संभावना है। इसके विपरीत ६६-६७ के आने वाले साल में सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, राजस्थान नहर २.२५ एडीशनल भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य बनाया है, मुख्य एवं मध्यम परिसिंचन योजनाओं से ४.७ लाख एकड़ भूमि को सिंचन करने का लक्ष्य बनाया है तो आने वाले साल में हमारे लक्ष्य की पूर्ति हम कहां तक कर पायेंगे, यह तो राजस्थान नहर परियोजना और उसके विकास पर निर्भर करता है और दूसरी योजनाओं पर निर्भर करता है। पर यह स्पष्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना तक जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिये था उसको प्राप्त करने में हमारी सरकार असफल रही है। इस सम्बन्ध में मैं और अधिक न कह कर चम्बल परियोजना पर मेरे कटौती प्रस्ताव मैंने दिये हैं उनकी ओर मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चम्बल योजना का फर्स्ट स्टेज था कोटा बैराज, वह ६० में पूरी हो गई थी। १७ करोड़ से ऊपर खर्च कर चुके, ६६-६७ में ७० लाख का अनुमान लगाया है। जहां तक हमारा सिंचाई के टार्गेट को प्राप्त करने का ख्याल था २.९० लाख एकड़ तक की सिंचाई करना चाहिये था, उसके मुकाबले में हम केवल १.९० लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई इस योजना से कर पायेंगे। १.९० लाख एकड़ की संभावना बताई है कि ६६–६७ में हम इतनी सिंचाई कर पायेंगे। मेरा ख्याल है कि गांधी सागर में पानी की कमी के कारण कोटा बैराज पर असर पड़ता है और मैं समझता हूं कि आप १.९० लाख एकड़ की भी सिंचाई नहीं कर पायेंगे। अगर मान भी लिया जायगा कि कर सकेंगे तो यह तथ्य सरकार को स्वीकार करना होगा कि जितनी बार पानी एक फसल पर पहुंचना चाहिये, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे चावल की फसल हो वह पांच-पांच छः-छः बार पानी मांगती है, वह पानी सरकार नहीं दे पायेगी। जहां गांधी सागर, कोटा बैराज के पानी की कमी के लिये सरकार जिम्मेदार है उससे अधिक जिम्मेदार अधिका-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रियों का रवैया है। मंत्री महोदय ने कहा कि नहर अधिकारी हैं उन्होंने वहां पर बैठ कर, जिला परिषद् के समक्ष बैठ कर इस प्रकार के नक्शे तैयार किये हैं कि जिसके अनुसार खेतों को पानी दिया जायेगा। इस चम्बल नहर के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा भिन्न भिन्न समय पर बातचीत की गई, पर बातचीत करने के बाद भी जिस मात्रा में पानी पहुंचाना चाहिये था, नहर अधिकारी पानी नहीं पहुंचा पाये।

जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक कोटा के क्षेत्र का सवाल है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कृतपुर माइनर, हाथी खेड़ा माइनर, वहां किसान परेशान होकर चंबल अधिकारियों के पास जाता रहा, लेकिन जिस अवधि के अन्दर पानी पहुंचना चाहिए उनकी फसलों को, पानी नहीं पहुंचता। नतीजा यह हुआ कि गेहूं को समय पर पानी नहीं पड़ा, जिसके कारण उत्पादन के अन्दर कमी हुई।

मैं इस सम्बन्ध में केवल यह सलाह देना चाहूंगा कि पानी की कमी होती है उसको आप रोक नहीं सकते, बरसात से उसका संबंध है, लेकिन बरसात होने के बाद जो पानी का लेवल आकर कोटा बैराज में इकट्ठा होता है उससे जो आप संभावना बना सकते हैं कि इसके आधार पर इतनी भूमि पर सिंचाई करनी पड़ेगी। बरसात के बाद सुनियोजित ढंग से विचार करें, एक योजना बनाएं कि इस प्रकार से इस अवधि के अन्दर, इस क्षेत्र के अन्दर पानी पहुंचाना है। केवल योजना बनाना, केवल सरकार आंकड़े तैयार करे उससे काम नहीं चलेगा जब तक उसकी सूचना, जो किसान उससे प्रभावित है, उस तक नहीं जाती तब तक उस योजना का कोई मतलब नहीं। सरकार पंचायत समितियों को सूचित करें कि अमुक काल तक इतना पानी छोड़ेंगे ताकि किसान को मालूम हो सके और जब उसको पानी नहीं मिलने वाला हो तो वह आपकी सूचना के अनुसार वहां खेत बोये जहां उसको पानी की दिक्कत न हो और जिससे सरकार भी सतर्क हो और वह योजना बनाये।

दूसरी बात पानी किस समय किस क्षेत्र के अन्दर पहुंच जायगा, इसकी सूचना कम से कम पंचायत इकाइयों को पहुंच जानी चाहिए जो अभी तक नहर विभाग नहीं कर पाया है।

इसके अलावा सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि चंबल नहर की सफाई की ओर ध्यान दें। उसके कारण खरीफ की फसल के समय किसानों को दिक्कत होती है। जब खरीफ की फसल बोई जाने वाली है तो समय पर किसानों को पानी मिलना चाहिए, वरना अधिकतर यह देखा गया है कि काश्तकार पानी के लिए तड़पता रहता है। तो नहर की सफाई और नहर का पानी कब पहुंचेगा, ये सारी की सारी सूचनाएं प्रत्येक पंचायत इकाई को सरकार की तरफ से पहुंचानी चाहिए।

इसके अलावा आज स्थिति यह है कि आज सीपेज के कारण जगह-जगह के रास्ते रुक गये। उसके कारण एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं पहुंचा जाता। किसान को अपनी फसल काटने में दिक्कत होती है, समय पर नहर का इस्तेमाल करने का अधिकार उसको नहीं मिल पाता। इसलिए आपके विभाग का कर्त्तव्य हो जाता है कि किसानों

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

की वास्तविक दिक्कतों को देखते हुए कि कौन कौन से रास्ते सीपेज के कारण बन्द हो गये हैं, इसकी ओर कदम उठाएं। कम से कम जब उसको अपनी फसल को खेत से खलिहान तक पहुँचाना हो तो उसको नहर का फायदा मिलना चाहिए। अगर यह स्थिति डेवलप कर देते हैं तो जो टार्गेट्स आपने तय किए हैं, जो आपने ध्येय निश्चित किया है कि हम दो लाख एकड़ अधिक भूमि को सिंचित करेंगे तो वह कोई अधिक नहीं है। इससे अधिक भयावह स्थिति वहां जो वाटर लॉगिंग धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, वह बहुत चिन्ता का कारण है। आज वाटर लॉगिंग के कारण जमीन बेकार पड़ी रह गई। एक दिन था जब आरम्भ में इस सत्र में मैं बैठा था और वाटर लॉगिंग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन आज आपने स्थिति को आंका है, उसके कारण जो परिणाम होने वाले हैं उनको अपने मुंह से कहा है, उसके आधार पर आपने योजना भी बनाई, प्रोजेक्ट भी बनाया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपके स्वयं के आंकड़े के अनुसार आपने यह स्वीकार किया है कि १८ हजार एकड़ भूमि आज वाटर लॉगिंग के कारण बेकार हो गई, और उस १८ हजार एकड़ भूमि को खेत के लायक बनाने के लिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने ४ पाइलॉट स्कीम्स के तहत तय किया है कि १९६६ के अंत तक पांच हजार एकड़ भूमि को खेत के लायक बना दिया जायगा। आपकी मान्यता है कि ८ हजार एकड़ भूमि बेकार हो चुकी है वाटर लॉगिंग के कारण। पाइलॉट स्कीम चालू की गई हैं और उनके आधार पर यह मान कर चलते हैं कि १९६६ तक पांच हजार एकड़ भूमि काश्त के योग्य बना दी जायगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस चम्बल बांध के दायें और बायें जो नहरें हैं जिनका क्षेत्रफल दोनों को मिला कर लम्बाई ८० प्लस ८० मील लगभग १६० मील राजस्थान के अन्दर पड़ता है उस पर आपने केवल ४ पाइलॉट स्कीम्स चालू की हैं वह कहां तक उचित है और कहां तक पर्याप्त है?

आपकी मान्यता है कि हम धीरे-धीरे पाइलॉट स्कीम को पहुंच कर इसको पूरा कर लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने इस वाटर लॉगिंग के कारण करीब १८ हजार एकड़ भूमि बांधी है, मैं समझता हूं कि ये आंकड़े गलत हैं। इससे ढाई गुना और तीन गुना जमीन ऐसी है कि जो वाटर लॉगिंग के कारण बेकार हो गई है। इससे अन्दाजा यह लगता है कि ऐसी जमीन जो वाटर लॉगिंग के कारण बेकार हो गई है उसका आंकड़ा करीब ४० हजार एकड़ के होगा और जो बेकार हुई वह तो अलग प्रश्न है; लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या जैसे-जैसे बढ़ती हुई चली जा रही है इस भूमि के अलावा और कई हजार एकड़ भूमि ऐसी है कि जो उसके प्रभाव में आती चली जा रही है। आपके आंकड़े ऐसे हैं कि उनको सही मान भी लिया जाय कि १८ हजार एकड़ भूमि बेकार हो गई है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसका भी अनुमान लगायें कि धीरे-धीरे इस वाटर लॉगिंग के कारण कितनी अधिक भूमि इसके प्रभाव में आ जायेगी। इसके प्रभाव में आने की जो गति रही है वह क्या रही है? १९६६ के अंत तक इसके अन्दर कितनी भूमि प्रभाव में आ जायेगी? कहीं ऐसा न हो कि आपके आंकड़ों के अनुसार जो आपने १८ हजार एकड़ भूमि बेकार बताई है यह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

स्वयं आंकड़ों के अनुसार जब तक आप इस योजना को तैयार करें, यह ४० हजार एकड़ तक पहुँच जाय। १६० मील लम्बी जिसकी नहर की लम्बाई हो उसके अन्दर आप केवल ४ पाइलॉट स्कीम चालू करना चाहें, यह कहां तक उचित है ? इसके ऊपर जहां तक मुझे सूचना है आपने ड्रेनेज के ऊपर केवल अभी तक १४ लाख रुपये की योजना रखी है, और इसके बाद आने वाले साल के अन्दर आपने ५० लाख रुपये की और योजना स्वीकृत की है। १४ लाख रुपया तो इस साल के अन्त तक ड्रेनेज के ऊपर खर्च करना है और जो आने वाला साल है यानी १९६६-६७ है उसमें शायद ५० लाख रुपया निश्चित किया है। लेकिन आप स्वयं इसको स्वीकार करेंगे कि चम्बल नहर के कारण इस बढ़ती हुई वाटर-लॉगिंग की समस्या को लेकर आपने स्वयं चम्बल बोर्ड को, शायद मुझे याद है कि ५ करोड़ रुपयों के लिए लिखा था। आपने केन्द्रीय सरकार से मांग की थी और चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड से मांग की थी कि वाटर लॉगिंग की समस्या के लिए आवश्यक है कि हमें ५ करोड़ रुपये दिए जायें। तो जहां आपकी यह मान्यता है उसके मुकाबले में अभी केवल इस साल में १४ लाख रुपया खर्च करना और अगली साल ५० लाख रुपया खर्च करना यह कहां तक उचित होगा और यह कहां तक पर्याप्त होगा ? इसकी गंभीरता को आप स्वयं स्वीकार करके चलें।

जो वाटर-लॉगिंग की समस्या है इसके कारण आज किसानों के अन्दर इस प्रकार का भय पैदा हो गया है उसको समाप्त करने के लिए इस वाटर-लॉगिंग की समस्या की ओर से किसानों को निश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि नहरों के सम्बन्ध में सक्रिय होकर इस ८० मील की लम्बी नहर के सारे क्षेत्र में ड्रेनेज योजना को लेकर आप छा जायें। फिर कोई कारण नहीं कि सरकार पाइलॉट स्कीम सिर्फ ४ को ही लेकर चले और उसके दायरे को सीमित कर दे और इस ड्रेनेज की योजना को आखिरी नहर तक सरकार यदि फैलाती चली जाती है तो इस समस्या का हम समाधान कर पायेंगे। आप कह सकते हैं कि हम इतना पैसा कहां से लायेंगे। लेकिन जहां आपने अन्न-उत्पादन की समस्या को स्वीकार किया है, जहां अन्न के सम्बन्ध में अपने पैरों पर खड़े होने के सिद्धान्त को स्वीकार किया है वहां दूसरी अन्य योजनाओं पर करोड़ों रुपया आप कर्ज का ले रहे हैं और उनका व्याज चुका रहे हैं वहां आपको इस चम्बल क्षेत्र के अन्दर ड्रेनेज समस्या को सफल बनाने के लिए करोड़ों, रुपया खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस रोज आप इस स्थिति के अन्दर आ जायेंगे कि सम्पूर्ण चम्बल कमाण्डेड एरिया के अन्दर ड्रेनेज सिस्टम का जाल बिछा देंगे उस रोज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपका कहना जो यह है कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति सिंचाई के मामले में नहीं कर पाये हैं हम लगभग आधे क्षेत्र में कर पाये हैं उसकी पूर्ति तुरन्त हो जायेगी। समस्या एक है कि जो आज किसान की समस्या है, और जो आज किसान को भय और दिक्कत पैदा हो गई है अगर उस तरफ आप जागरूक रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि वहां का आप पूरा का पूरा क्षेत्र सिंचित नहीं कर पायें, और इस सम्बन्ध में और निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो ड्रेनेज सिस्टम डाला है, मेरी जहां तक सूचना है वह सफल नहीं है। आप स्वयं उसका निरीक्षण करें।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मैंने एक दो स्थानों को देखा है। जो आपने ड्रेनेज सिस्टम डाला है वह कम गाहरा है। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? कितना गहरा होना चाहिए, कितने क्षेत्र में फैलना चाहिए ये जो विशेषज्ञ हैं उनके सोचने का प्रश्न है। लेकिन एक लेमैन की हैसियत से केवल इतना कह सकता हूं कि जो आपने ड्रेनेज बनाया है वाटर–लॉगिंग को खत्म करने के लिए वे नालियां ब्वाडब भरी हैं। तो जो ड्रेनेज सिस्टम हमने डाला है और जो ४ पाइलॉट स्कीम में ड्रेनेज सिस्टम डाला है वह कहां तक सफल हुआ है, उसमें क्या खामियां हैं, सरकार को उस ओर भी जागरूक रहना पड़ेगा। अगर सरकार इस ओर जागरूक हो गई तो कोई कारण नहीं कि सारे क्षेत्र के अन्दर आप नहरों का जाल बिछा कर जितनी क्षमता आप मानकर चलना चाहते हैं उससे कहीं अधिक संख्या में आप वहां पर सिंचाई कर पायेंगे।

तो सभापति महोदय, आप जो आज वहां पर टार्गेट पूरे नहीं कर पाये हैं उसका सारा का सारा दोष अधिकतर किसानों के ऊपर डाला गया है। ठीक है, यह मानकर चलते हैं कि उस क्षेत्र का किसान नहर के पानी का उपयोग नहीं करना जानता है, लेकिन केवल यह कह कर चलना कि वर्षा की वहां अधिकता है, केवल यह कह कर चलना कि वहां पर धौरों की कमी है, वहां मिट्टी और तरह की है, मैं समझता हूं यह वास्तविकता से आंख मींचना होगा। सब समस्याओं के बावजूद भी वह क्षेत्र आपका आभारी है, आज उसको नहर का पानी चाहिए, नहर के पानी के लिए आज वहां का किसान तरसता है और पानी के अभाव में उसकी फसल सूख जाती है; नहर का पानी वहां के लोग लेना चाहते हैं, लेकिन जो उनको आशंकाएं पैदा हो गई हैं उससे वह डरता है। जहां तक धौरों का सवाल है आप स्वयं मानते हैं कि उस क्षेत्र के अन्दर ८५३६ मील के क्षेत्र के अन्दर धौरे पड़ने चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

८५३६ मील के क्षेत्र के मुकाबिले में ८४११ मील के क्षेत्र के अन्दर धौरे डाले जा चुके हैं। तो १०० मील के करीब क्षेत्र के अन्दर जो धौरों की कमी है क्या आप मानते हैं कि उससे आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये कि लोग धौरे नहीं बनाना चाहते हैं? जितने धौरे आप बनाना चाहते थे उसके मुकाबिले ९० परसेन्ट से अधिक धौरे बन चुके हैं। आपको आवश्यकता केवल इस बात की है कि किसान की समस्याओं के प्रति आप जागरूक रहें।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यदि आप खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो जो बैटरमेंट लेवी है उसको आप कम करिये। हमारे दल के नेता ने कल इस पर ध्यान आकर्षित किया। आपने १९६५-६६ के अन्दर उस क्षेत्र के अन्दर ११ लाख रुपये का अनुमान लगाया था कि बैटरमेंट लेवी में ११ लाख रुपये वसूल कर लेंगे और आपको रिवाइज्ड एस्टीमेट्स बनाने पड़े १।। लाख के, और मैं समझता हूं कि १।। लाख में से ५० हजार भी वसूल नहीं हुए होंगे और आपने फिर १९६६-६७ के अन्दर ९ लाख रुपये रख दिये। पहले तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने पहले १।। लाख का ध्येय बनाया था वह १९६६-६७ के अन्दर ९ लाख आपके आंकड़ों के अनुसार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
क्यों रह गया ? तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई की उनकी समस्याओं को देखते हुए, उनकी कठिनाइयों को देखते हुए, उनकी उत्पादन क्षमता कम हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आप कम से कम फिलहाल, जहां तक हमारा प्रश्न है हम बेटरमेन्ट लेवी को लेकर इसका विरोध करते हैं। लेकिन मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप खुद मानते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : वह विरोध क्यों है, वह आप स्पष्टीकरण कर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : विरोध का प्रश्न बहुत स्पष्ट है। हमारा सैद्धान्तिक विरोध है।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्यों ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : हम केवल यह कह कर नहीं चलना चाहते हैं कि अभी क्योंकि उस क्षेत्र के अन्दर किसानों का डेवलपमेन्ट नहीं हुआ इसलिए बेटरमेन्ट लेवी नहीं लेनी चाहिये। हमारी मान्यता केवल यहां तक नहीं है, हम यह मानकर चलते हैं कि जो किसान प्रत्येक राजस्थान या हिन्दुस्तान के नागरिक के अनुसार सरकार के बढ़े हुए टैक्सों का भार वहन करता है, टैक्सो का चुकारा करता है उसके आधार पर सरकार अपनी योजनायें बनाकर चलती है तो किसान को यह कहकर चलना कि क्योंकि हमको दूसरी योजनायें बनानी है इसलिए इसका अतिरिक्त भार तुम भी वहन करो, यह उचित नहीं है।

आज शहर के अन्दर डेवलपमेन्ट होता है। आज मैं कोटा क्षेत्र से जीत कर आया हूं। किसान से शायद मेरा १० परसेन्ट सम्बन्ध है, जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है ९० प्रतिशत शहरी हैं और किसान नहीं हैं। लेकिन मंत्री महोदय ने इस बात को विचारा होता कि जिस कोटा शहर में एक आना वर्ग गज के हिसाब से जमीनें लोगों को बेची, आज वे ही लोग बिजली की सुविधा के कारण, सड़कें बन जाने के कारण, उद्योग-धन्धे खुल जाने के कारण, सारे बेटरमेन्ट हो जाने के कारण उस एक आना वर्ग गज की जमीन को ४) फी वर्ग गज के हिसाब से बेच रहे हैं। उससे अधिक किया है आपने विकास से। आज किसान ही एक गरीब आपको मिलता है। सारी बातें आप किसानों पर डालना चाहते हैं। बेटरमेन्ट के नाम से वह दे। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, हम एक मीटिंग कर रहे थे वहां उन्होंने तुलना दी थी साधारण सी बात है लेकिन उसको सुनकर सब को हंसी आयेगी उन्होंने कहा कि नाई की दूकान पर हजामत बनाने के लिए गये। दाढी और हजामत बनाने का एक रुपया। हजामत बनायी, दाढी बनायी एक रुपया दे दिया कि यह ले ले। उसके बाद दूकान से वह जाने लगे कांच उठा कर उनके सामने रख दिया। क्यों ? बेटरमेन्ट हुआ चेहरे का आठ आना, इसलिए और लाओ। नाई ने एक रुपया मजदूरी लेली। उसका आठ आना बेटरमेन्ट का मांगना किस कारण सही है ? आज किसान राजस्थान सरकार की नीतियों के साथ साथ लगान देता है टैक्स देता है, पर्चेज टैक्स के रूप में देता है, वह सब अदा कर चुका है, लेकिन उसके अलावा योजनायें बनेगी तो उस किसान से यह कहना कि बेटरमेन्ट के नाम से और रुपया दे, यह उचित नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
बेटरमेन्ट का सवाल छोड़ दें। मेरी मान्यता है कि आप ६७ के चुनाव तक एक रुपया वसूल नहीं कर सकते और हिम्मत हो तो चम्बल कमान्डेड एरिया में चुनाव लड़ लें। मैं यह मानता हूं कि आप इस टैक्स को नहीं लगायें।

तो सिंचाई मंत्रीजी जिन समस्याओं की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है उनकी ओर जागरूक रहेंगे तो जितनी जमीन आप सिंचाई के लिये लेना चाहेंगे उससे भी अधिक सिंचित कर सकेंगे।

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने सब तरफ से प्रयत्न किये हैं और उनका नतीजा हमारे सामने आया है। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कांग्रेस हुकूमत ही है कि जिन्होंने योजनायें बनायीं और उसके मुताबिक उनको पूरा करने के लिये सारे राजस्थान में पूरे प्रयत्न हुए। किसान इस बात को अच्छी तरह से समझता है। जिसने देखा है पहले राजस्थान को पहले वाले कोटा को चम्बल के पहले वाले कोटा को उसकी आंख में उङ्गली डाल कर अब उसको नहीं दिखाना पड़ेगा कि वहां पर क्या इन्किलाब आया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १५ साल बड़े हो गये हो तब से, पैन्ट और बुशशर्ट में घूमते हो !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने जो बात फरमाई मैं उसको मानता हूं।

उसको मानने के साथ १५ वर्ष कोटा महाराजा के नीचे लेटकर निकले थे....

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री जोधसिंह चौहान : कुत्ते लौटते थे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उदयपुर महाराजा को भी देखा है।

आज हिन्दुस्थान और राजस्थान में कोई दावा नहीं कर सकता कि किसी चीज का विकास किया है, रुपया में रुपया नहीं मानो, बारह आना मानो, बारह आना नहीं मानो तो कोई शर्म हो तो आठ आना मानो यह भी नहीं तो छः आना, चार आना और कम से कम दो आना तो मानो कि कोई तरक्की का काम किया है तो यह इस कांग्रेस सरकार ने ही किया है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : अत्याचार किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, अब किसी बात को बात करके हंसी में उड़ा देना और बात है और काम को करके बात करना और बात है। इस सरकार को काम करके बताना पड़ता है। आज एक अजीब तरीका है नाई और किसी का उदाहरण देकर उसको समझाने के लिये सदन में कहा जाय, यहां पर हम लोगों को भी तो समझा जाय। और कहा कि एक रुपया ले लिया और फिर आठ आना मांगा, मैं कहना चाहता हूं इस बात को कि यह ध्यान रखना चाहिये कि सारा राजस्थान एक है और इसको बनाना है, इसका विकास करना है, जितने साधन हैं उनके हिसाब से

Page No. 56

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लेकिन डाइरेक्ट फायदा हो और उनसे बैटरमेंट लेवी ली जाती है तो वह नाथूराम जी मिर्धा के घर में तो नहीं जाती, सिर्फ राज्य का इम्प्रेस्ट मनी बढ़ता है। जिसकी आर्थिक ताकत बढ़ती है उससे कुछ लें, उससे कुछ न लें, यह नारा जो आपने दिया है, विकास को रोक कर आप चैलेन्ज करते हैं कि वसूल कर लेवें और इलेक्शन में आ जाना, यह ...रेक्ट चीज नहीं है, यह सोचने वालों की चीज नहीं है, गैर-समझदारी की बात है।

राजस्थान के छोटे-बड़े सिंचाई के सब मामले लिये जायं तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि इस ईरिगेशन मिनिस्ट्री ने एक हिस्ट्री बनायी है राजस्थान में इतनी इतनी योजनायें बनायीं और चालू करके काम कराया। गलतियां रही होंगी। वे हमेशा ज्यादा कल्पनायें करते हैं उनकी कल्पनाओं की तरक्की देख कर तुम्हारा दिल सूखता है। इन सारी चीजों को देखते हुए इस सरकार को गर्व करने का हक है ईरिगेशन और दूसरे मामलों में इस प्रान्त को बनाने में, इस मुल्क को बनाने में। उसमें कई चीजें होती हैं, कई दिक्कतें होती हैं। यह नहीं हो सकता कि चित भी मेरी, पुट भी मेरी और अन्टा मेरे बाप का। आप जरा जिम्मेदारी की बात करो। बैटरमेंट लेवी के लिये आप तैयार हों कि सन्यासियों का झंडा लेकर कहोगे कि नहीं दोगे। कोई तरकीब की बात करो। जनता के खून-पसीने की कमाई का रुपया लगा कर एक जगह डेवलपमेंट किया जाय, पोटेन्शियलिटी हो सरकार प्रोग्राम बना कर इतना बड़ा काम करे

(१.०० म. प.)

और उस काम के बाद कुछ लोग पहुंचे उस काम के करने का फायदा जिन गरीबों के फायदे के लिये वह पैसा लगता है दूसरी जगह आप वहां भी झंडा लेकर के मौजूद हैं और कहते-फिरते हैं कि कोई तरक्की नहीं।

आपका यह भी कहना है कि आपने केवल डेढ लाख ही वसूल किया फिर ९ लाख रुपया बाकी क्यों रख दिया? किसान के अगर एक साल खेती नहीं होती है तो वह उस साल नहीं दे पाता है तो उसकी वसूली स्थगित करके आयन्दा साल करते हैं। आप चाहते हैं कि सरकार मजबूर हो जांय और किसान को उजाड़ कर भी उससे पैसा वसूल करले? एक तरफ तो बैटरमेन्ट लेवी का आप विरोध करते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं, ये दोनों प्रकार की बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। यह मेरा सबमिशन है।

अब मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपके इस कार्य ने तरक्की की, आश्चर्य-जनक तरक्कियां कीं। मैं आपका ध्यान अजमेर जिले की तरफ खींचना चाहता हूं। आपको पहले भी मैंने निवेदन किया था। आपने इन्कार कर दिया था। हमेशा कहता रहा हूं इस तरह से सिंचाई की योजनाओं का काम नहीं होगा। आप एक जगह नहीं ले सकते। इस सरकार को और दूसरों को करना चाहिये उसकी बजाय सरकारी नौकरों को करना चाहिये इस प्रकार डेवलपमेन्ट के मामले में अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिये। कुछ रूल्स बना दिये उन रूल्स के जरिये जिनको पता चल जाय वे तो उसका फायदा उठा लेते हैं। जो आपकी सदन को और सरकार की इच्छा होते हुए भी उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती। हम बार बार

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सोचते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप हर कुएं पर हर होल्डिंग पर जाकर तकावी लोन दें। मैं आपसे यह कहता हूं कि आप खूब फैलाव के साथ विकास कीजिये लेकिन उसके लिये अर्जियां मत मांगिये। तकावी वितरण करने के लिये आप खुद जायें। किसानों की होल्डिंग पर किसान के खेत में जाकर उसकी पोटेन्शियलिटी को देखकर आप उसको अपने ठिकाने पर तकावी दीजिये, लोन दीजिये। ताकि आप देखेंगे किस प्रकार तरक्की होती है खेती-बाड़ी के बारे में।

अजमेर का केकड़ी इलाका है। वह ऊपर होने की वजह से वहां नहरें नहीं जा सकतीं, बिजली द्वारा वहा पानी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन किसानों को आज १७ साल में वह सुविधा नहीं मिली। अजमेर इलाके के बारे में मैं आपके सामने सुझाव रखना चाहता हूं कि जैसा कि गोयल साहब ने कहा उसके बाद में भी मैं वहां के रिप्रेजेन्टेटिव की हैसियत से किसानों की तरफ से सुझाव रखता हूं कि वहां के लिये आप योजना बनाइये लिफ्ट इर्रिगेशन की, दस फीट आप ऊंचा उठाइये। वहां जरखेज जमीन है, जो सिंचाई के अन्दर आती है। एक माइल के ऊपर देवली के आगे पोटा बान्ध है अजमेर के पास वहां से आप दस फीट ऊपर उठायेंगे तो उसके पास लगे हुए सारे इलाके को सरसब्ज पायेंगे। हमारे वहां का एक इतिहास है वहां न किसी को राजा मानते थे। नो-मैन्सलैन्ड की तरह वह इलाका था। वहां अंग्रेजों ने लगन से काम किया। हर गांव के अन्दर तालाब बनवाये। आज भी वे तालाब मौजूद हैं। आपको कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। आप पानी ऊंचा उठाकर लिफ्ट इर्रिगेशन द्वारा हर तालाब में उन नहरों को डाल दीजिये। आपको इसके बदले में क्या मिल सकता है। मैं आपको वहां के किसानों की तरफ से आश्वासन दे सकता हूँ हम आपको पांच साल तक डबल रेंट, डबल रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं। किसानों की होल्डिंग पर डबल रेन्ट ले लीजिये। आप दूसरी जगह पहले पैसा लगा कर बाद में जब अच्छी फसल हो तो बैटरमेंट लेवी लेते हैं हम शुरु से पांच साल तक डबल रेंट देने के लिये तैयार हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : पहले आप योजना बनाइये उसके लिये कानून बनाइये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो आदमी को औरत बना सकते हैं औरत को आदमी बना सकते है, यह लेजिस्लेचर क्या नहीं कर सकता, अपना मुंह आइने में देखो।

मैं सभापति महोदय, इस सिलसिले में निवेदन करूंगा वहां की जमीन अच्छी है वहां फीडर की जरूरत नहीं, आप तो तालाब भर दीजिये। वहां कोई गांव ऐसा नहीं जहां तालाब नहीं हो, सब जगह तालाब हैं; आप सर्वे करके प्लान बनाइये।

अजमेर को निग्लेक्ट किया गया है मैंने कभी इस तरह की शिकायत नहीं की आपके यहां से आश्वासन दिये गये जब अजमेर का मर्जर हुआ उस समय कहा गया कि अजमेर मेरवाड़ा के स्टेन्डर्ड के माफिक वहां के लिये जो प्लान्स के अन्तर्गत पैसा मिलेगा वह रुपया वहीं लगायेंगे····

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अजमेर के चार-चार मंत्री है, फिर भी आप निगलेक्टेड कहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : केवल मंत्रियों की संख्या से कोई डेवलपमेन्ट होता है क्या ? चार की जगह आठ भी कर दो तो क्या होगा ?

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अजमेर का डेवलपमेंट रुक गया है चाहे वह शहर का हो, चाहे गांव का हो। साढ़े तीन करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट करके वहां पानी देने की स्कीम है अगर यह स्कीम पूरी हो जाती है तो अजमेर क्या नसीराबाद तक चम्बल का पानी आ सकता है और सारा अजमेर का इलाका सरसब्ज हो सकता है। पैसा नहीं लगाते हैं और आप वादा करते हैं कि मई के महिने में मीठा पानी दे दिया जायगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप पानी नहीं दे सकते। वादा कर देते हैं, लोगों को आशायें बन्धा देते हैं, लेकिन जब वे वादे पूरे नहीं होते हैं तो लोगों की आशाओं पर तुषारापात होता है। हम लोगों को जो वहां के प्रतिनिधि हैं उनको वहां वोटर्स से मुकाबला करना पड़ता है। साढ़े तीन करोड़ की जो स्कीम बन गई है लेकिन उस स्कीम से क्या फायदा जिससे पानी नहीं मिल पाता ? बिजली की लाइन खिंच गई, मकान बन गये, प्राइवेट कम्पनी स्टील के पाइप नहीं बना सकी, तो वह एक प्रकार से हमारे लिये वेस्टेज हो रहा है। आप इस तरह की स्कीम बनाइये जैसे जवाई बान्ध से लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई होती है उसी प्रकार अजमेर-नसीराबाद का भी ध्यान रखें। आबाद रहे कोटा, आबाद रहे गंगानगर, लेकिन आखिर नम्बर हम लोगों का भी तो आना चाहिये, हमारी भी सुनाई होनी चाहिये।

मैं इस इलाके के बारे में दावे के साथ कहता हूं कि जमीन वहां अच्छी है अगर बरसात हो जाय तो यह ग्रेनरी कहलाता है सारे अजमेर मेरवाड़ा को खाना देता है। अपनी कोशिश से उसको सरप्लस बनाइये, सारी सुविधा किसानों को दीजिए। हम पहले से उठे हुये थे आपके साथ आने से दबे हैं। वहां के किसान का डेवलपमेन्ट नहीं हुआ, न वहां के शहरों का ही विकास हुआ है। यह कहा जाता है कि वहां तो घड़ियों का कारखाना लगेगा पब्लिक सेक्टर में टूल्स बनाने का कारखाना लगने वाला है। पांच साल होगये अजमेर के अन्दर कौन सा कारखाना है कोई कारखाने की शक्ल नहीं, एलान आप कर देते हैं अगर एलानों की लिस्ट बनायी जाय तो वे एलान इतने हैं कि जो याद नहीं रह सकते केवल स्लोगन्स देकर किसी का पेट नहीं भरा जा सकता............

श्री हरिप्रसाद शर्मा: इन सब बातों का कारण यह आपकी सरकार है.........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी पॉलिसीज़, रिएक्शनरी पॉलिसीज के सामने ये कर नहीं सकते।

श्री भवगलाल (हिन्डौन-मु०) : चार चार मिनिस्टर आपके यहां के हैं काम नहीं करते हैं तो हटाओ।

(१.०८ म० प०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अजमेर का क्लेम मैं आज रख रहा हूं, जब कि चार साल हो गये, पानी मिल जाय। आपने वादा किया कि मई में हम आपको मीठा पानी मुहैया करेंगे। पांच साल के बाद इलेक्टोरेट्स को हम क्या जवाब देंगे ? आप लूणकरणसर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
में पानी मीठा नहीं दे सकते तो क्या दे सकते हैं ?

(करतल–ध्वनि)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपको मीठा पिलाने के लिए तालियां बजाते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कौओं के कांव कांव से अगर ढोर मरने लगे तो एक भी पशु नहीं बचे।

सभापति महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं हमारा जो कमिटमेन्ट है, हमने जो मेनीफेस्टो निकाला है हम सब जगह मीठा पानी पीने के लिए प्रबन्ध करेंगे। लूणकर-णसर में दीजिये और जगह दीजिये, बेटर-मेन्ट लेवी पे पानी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। इस प्रायोरिटी को जिस प्रकार से निगलेक्ट किया जा रहा है, वह जनता के साथ अन्याय है।

श्रीमती सुमित्रा: (अश्रव्य)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सुमित्राजी ने कहा यह सही है। कानून के जरिये उनकी बात सही है। लेकिन भावावेश के अन्दर मैं इतना कहने का हक रखता हूं कि हमारे मेनिफेस्टो के जरिये जो हमने किया, सिंचाई के पानी से भी पीने का पानी मिलता है। मैंने गंगानगर में नालियों का पानी पीते देखा है। मैं पीने के पानी के ऊपर जोर देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं चाहे इलेक्शन आये या नहीं, हों या नहीं हों, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जो आम जनता है उसको इसके लिए किसी दूसरे से कोई उम्मीद नहीं है। अगर उसको उम्मीद है तो केवल कांग्रेस से है। इतना ही मुझे कहना है।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण पटेल।

श्री लक्ष्मण पटेल (सिकराय–सु.) : सभापति महोदय, सिंचाई की मांग को लेकर हाउस में चर्चा की जा रही है। मेरा सिंचाई के बारे में कटमोशन है। सिंचाई के बारे में मेरे इलाके में एक ही बांध है और वह पूरा बांध है और उसमें गवर्नमेन्ट ने अभी तक किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं किया है। वह २५ फुट के भराव का बांध होते हुए भी वहां की जनता ने कभी नहीं देखा कि उसको १०-१२ फुट से ज्यादा भरा गया हो और उसका पानी दूसरी जगह से क्रॉस करके जयपुर–भरतपुर रूट को हमेशा तोड़ता हैं। तो मेरा निवेदन है कि उसके पानी को बांधकर माधोसागर बंध के अन्दर रोका जाना चाहिये। इसके अलावा उस बांध के पानी को बढ़ाया जाये। दूसरे इस प्रकार का बांध नारखोला का बांध है और वह करौली में है। इसके अलावा एक कालगो का बंध था जिससे मानपुर तक सप्लाई होती थी। पहले इसको ३ नहरें थीं और अब केवल एक ही नहर चलती है जिससे मुश्किल से दो पंचायतों को पानी मिलता है और आगे की पंचायतें बिलकुल पानी के बगैर रह जाती हैं। पंचायत समितियों से कोई लोन नहीं मिलता है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वहां पर माधोसागर बांध में पानी को रोकें और मारैल और कालगो के बंध को भी रोकें। इससे सड़क का टूटना बन्द हो जायेगा। इसी तरह से टोडा भीम में नारखोड़ा का बांध है उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। सिकराय में आज तक कोई नया बांध नहीं बांधा है। वही पुराना है। इसलिए उसको पास देखें।

(श्री लक्ष्मण पटेल)

दूसरे छोजीराम का नाला है उसकी हर साल सर्वे होती है और छोई के पानी को रोक दें तो काफी तादाद में सिकराय के एरिया को वह कवर कर सकता है। यह पांच-सात पंचायतों को पानी बड़े आराम से दे सकता है। इसलिए छोई के पानी को रोक कर कहीं बांध बनाया जाये, यह मेरा सुझाव है। एक चौमासे में रास्ता बन्द हो जाता है इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर पानी की व्यवस्था सही ढंग से की जाय।

ग्रामीण योजनाओं में भी आपने इसी तरह से किया। हमारे यहां हलावा में ३-४, जगह पानी देते थे। गीजगढ़, सिकराय सिकन्दरा में एक भी गांव में पानी नहीं दिया है। इसलिए सिंचाई के साधनों को देखते हुए और ग्रामीण योजनाओं को देखते हुए आप पानी की व्यवस्था को सही हालत में करें। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति: मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई ४ बजे होगा। बहुत सारे कटमोशन्स हैं और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेम्बर्स बोल सकें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात कह कर समाप्त करें।

(विराम)

श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान में सिंचाई के साधनों का सवाल है, यह तो माना जा सकता है कि राजस्थान बनने के पूर्व और आज की स्थिति में क्या अन्तर है। आज चौथी पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के साधन बढ़े और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिस प्रकार सिंचाई के साधनों से १.७० लाख एकड़ जमीन को कवर करने का जो सिद्धान्त बनाया है और इसके अलावा जिस प्रकार राजस्थान कैनाल, माही डैम और पोंग डैम का कार्य चल रहा है उसके पूरे होने के बाद में राजस्थान का नक्शा बदलेगा। और राजस्थान की बहबूदगी किस प्रकार से होगी, यह ऐसा विषय है जिस पर माननीय मन्त्री महोदय ने कल भी प्रकाश डाला था कि राजस्थान ऐसा प्रान्त है जिसमें सिंचाई के साधन अगर पूरे कर दिये जायें तो राजस्थान तमाम हिन्दुस्तान को अन्न सप्लाई कर सकता है। तो जहां तक सिंचाई का प्रश्न है और जो कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है उसमें कोई कमी महसूस करने की बात नहीं है। मगर उनमें जो खामियां हैं और अव्यवस्थायें हैं उनके बारे में ध्यान आकर्षित करने का सवाल है। जहां तक छोटे छोटे बांध और मीडियम प्रोजेक्ट्स बनाये गये हैं राजस्थान सरकार द्वारा और उनमें जो टैक्नीकल डिफेक्ट रह गई हैं, जितनी कमांड एरिया होनी चाहिए थी और जितना पानी आता है वास्तविक रूप में, उनमें बहुत बड़ा अन्तर है और उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ी अनियमिततायें होती हैं। जैसा खारी बांध के बारे में मैं निवेदन करूं कि आसींद तहसील में ३५ हजार एकड़ जमीन को कमांड एरिया में लिया गया जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि उसमें १० हजार एकड़ के लिए भी पानी नहीं होता है। तो कमांड एरिया में ३५ हजार एकड़

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

रख दिया और तीस मील लम्बी नहर बनाई, लेकिन आज वास्तविक स्थिति यह है कि केवल १० हजार एकड़ को पानी देते हैं। तो ३० मील लम्बी नहर के अन्दर उसका सारा का सारा पानी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें क्या होता है कि नजदीक की जमीन को तो पानी नहीं मिलता और दूर की जमीन को भी पानी नहीं मिलता और दूर की जमीन को भी बहुत बड़ा खर्चा करने के बाद मिलता है। तरह तरह की अनियमिततायें प्रोसीजर में होती हैं।

पिछले दिनों मैंने इसकी ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित किया और चीफ इन्जीनियर से भी मैं मिला, एडीशनल चीफ इन्जीनियर से भी मिला और सब लोगों को वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी दी। वैसे उनके डिपार्टमेंट की तरफ से भी यह सुझाव आया है कि इसकी कैपेसिटी केवल १० हजार एकड़ जमीन को पिलाने की है, इसलिए ३५ हजार से हटाकर १० हजार कर दिया जाय, ऐसा प्रोपोज़ल भीलवाड़ा के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने चीफ इन्जीनियर को भेजा है, लेकिन उस पर ध्यान न देकर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह एरिया अगर गैर-कमांड नहीं कर दिया गया तो रात-दिन गड़बड़ होती रहेगी।

पिछले साल मैंने सवाल किया था कि बांध में लिफ्ट कैनाल है जिसमें पानी नहीं दिया गया तो ४ हजार बीघा जमीन भीलों की थी, जिन्होंने उधार पर बीज लाकर खेती की थी इस आशा पर कि पानी मिलेगा, ओवरसियर और एस० डी० ओ० ने गड़बड़ करके उसको पानी नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि वहां का सारा अनाज जल गया। और वहां एक पैसे की भी पैदाइश नहीं हुई मेरी रिक्वेस्ट पर यहां से आर्डर्स दिये गये कि वहां पर इन्जन लगाकर पानी दिया जाय। उस पर २ हजार का खर्चा भी किया गया लेकिन इससे भी जमीन की पिलाई नहीं हुई और सारे का सारा अनाज उन भीलों की जमीन का जल गया और कुछ भी पैदावार नहीं हुई।

इसी प्रकार इस साल भी एस०डी०ओ० ने गड़बड़ की और अनुचित पैसे लेकर एक एक रुपया बीघे का वसूल करके दो-तीन गांवों में कैनाल के तालाब को छोड़ दिया जबकि पिछले कई सालों से उस तालाब में पानी स्टोर नहीं किया जाता था। जिनको दस दिन भी नहीं हुए थे उनको दूसरी पिलाई दी गई और जो जमीन बांध के नजदीक थी उनको जान-बूझ कर पानी नहीं दिया गया।

ऐसे लोगों के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी होती है, नुकसान होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कई बार शिकायतें की गईं पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे जितने तालाब बान्ध आदि बनाओ, पर जब तक आपकी व्यवस्था ठीक नहीं होगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आप सख्ती से सजा नहीं देंगे और ऐसे भ्रष्ट आदमी विभाग में बने रहेंगे तब तक आप किसी प्रकार की ठीक व्यवस्था नहीं कर सकते।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आप कड़ी निगरानी रक्खें, गलती करें तो सख्त से सख्त सजा दें, ताकि दूसरों के लिए वह नसीहत बन सके, नहीं तो आप

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि राजस्थान प्रगति करे, तो वह प्रगति की ओर जा नहीं पायेगा। आप ऐसे लोगों के भ्रष्ट कारनामों के कारण बदनाम होते हैं। आपको ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जो खारी बान्ध बना और उसमें से जो गांव उठे उनको जो आपने पानी देने का वायदा किया था उनको आपने नहीं निभाया, वे एक डेढ़ मील पर ही बसे हुए हैं। पर दस साल से कोशिश करने के बाद भी दूरिया माइनर अभी तक नहीं हुई। तो इसलिए निवेदन है कि आप जब जिस चीज के लिए कमिटमेन्ट कर लेते हैं तो उनको पूरा करना चाहिए। अगर कमिटमेन्ट करने के बाद भी उनको उनकी जमीनों में पानी नहीं देंगे तो इससे सरकार के प्रति अविश्वास की हालत पैदा होगी।

एक बदनोर तहसील में नेखाड़ी नदी है। उस तरफ जितना एरिया पड़ता है उसमें दूसरे तीसरे साल पानी का अभाव पड़ जाता है। जब नेखाड़ी नदी ऊपर से बहकर आती है तो उस नदी पर बान्ध बनवाने के लिए बराबर दस बारह वर्षों से प्रयत्न किये जा रहे हैं। आप उस पर ध्यान दें। आप हम चाहते हैं कि चप्पा-चप्पा जमीन को सिंचाई के साधन मिलें और इसके लिए जब सुझाव दिये जाते हैं तो उसके अनुसार व्यवस्था न करें तो फिर साधन कैसे मिलेंगे ? तो मन्त्री महोदय का इस ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके अलावा छोटासा मेरा एक प्रश्न और है। जागीरों के समय के बने हुए हैं तालाब, वे टूट चुके हैं वे-मरम्मत पड़े हैं। उनसे फिर काम लिया जाना चाहिये और इससे काफी जमीन की सिंचाई की जा सकती है। पर उनको अभी तक नहीं बन्धवाया गया है, जो काम लायक बन सकते हैं थोड़ी सी मरम्मत से उन की मरम्मत भी नहीं कराई गई है। उनसे दो ढाई परसेंट के करीब रिटर्न बैठता है जो चीफ इन्जीनियर के पॉवर में है। जैसे लाल सोढा का है और हैं जिनको बन्धवा दें तो काफी जमीन पीवल होगी।

इसी प्रकार से कुओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। भीलवाड़ा जिला राज्य में ज्यादा कुओं वाला जिला है। भीलवाड़ा जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा कुए हैं। पानी कम बरसने से उन कुओं का वाटर लेवल नीचे बैठ गया है। उन कुओं को आप और गहरा करा दें या नदियों के किनारे जैसे खारी नदी है ट्यूब वेल या पाताल फोड़ कुओं की व्यवस्था कर दें तो आप तालाब नहीं भी बनावें तो इससे काम चल जावेगा।

उम्मीद है आप इन पर गौर करेंगे।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी (दीगोद): सभापति महोदय, चम्बल के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करने का प्रयास किया गया है, पर जहां तक मैं समझता हूं प्राथमिकता सिंचाई को न देकर बिजली उत्पादन को दी गई है। यही कारण है कि कोटा बैराज में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। जिस समय फसलें सिंचाई के लिए पानी मांगती हैं उस समय कोटा बैराज में पानी दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

चम्बल की नहर में राइट और लेफ्ट केनाल में जितना पानी गांधी सागर से छोड़ते हैं वह इरिगेशन विभाग को उस समय छोड़ना

(कु० श्री महेन्द्रसिंह)

पड़ता है जिस समय गांधीसागर से पानी रिलीज़ होता है इसके बाद अगर मान लिया जावे खेतों के लिए आवश्यकता नहीं है तो कोटा बैराज के फाटक खोलकर सारा पानी निकाल दिया जाता है।

मैं निवेदन कर दूं कि जितना पानी गांधी सागर में था अगर वह सिर्फ सिंचाई के काम में लाया जाता और बिजली को प्राथमिकता नहीं दी जाती तो इरिगेशन का टार्गेट आप अचीव कर लेते।

(श्री नाथूराम मिर्धा को दूसरी तरफ बात करते हुए देखकर) सिंचाई मन्त्रीजी जरा सुन लीजिये हमारी भी। पर आज करते क्या हैं, बरसात के दिनों में जब वर्षा मुतवातिर हो रही थी तो १८-१८ दिन तक लगातार आपकी नहरें भी चलती थीं तो जिस समय खेत भी पानी से भरे थे, उस समय आप की नहरें भी पानी से भरी थी, अच्छा होता चम्बल की वे नहरें उस समय बन्द कर दी जातीं। तो वह पानी जिस समय जरूरत थी उस समय तो नहीं छोड़ते, पर देखते यह हैं कि जिस समय खेत भी पानी से भरे रहते हैं तब नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है, वे फ्लडेड हो जाती हैं, ओवर फ्लो होती हैं और सीपेज का बड़ा कारण यह है।

अब कहते हैं कि बिजली का उत्पादन बन्द कर दिया गया तो औद्योगिक उत्पादन ठप्प हो जावेगा, इन्डस्ट्री नहीं पनपेगी, विद्युत् की योजनाएं सफर करेंगी। शहरों में लाइट बन्द होती है। यह कारण है कि गांधीसागर का पानी कम होते हुए भी सिंचाई के लिए नहीं दिया जाकर बिजली के उपयोग के लिये छोड़ा जाता है। आज वाटर लॉगिंग का कारण भी यह है कि बरसात के समय पर उधर तो बारिश होती है, खेतों में पानी वैसे ही भरा रहता है, उधर वे पानी छोड़ते हैं। पानी खेतों में आता नहीं, बाहर नालों में चला जाता है। इससे कई जगह भूमि-कटाव होता है, नहरें टूट-फूट जाती हैं। तो या तो इस पानी को चम्बल नदी में छोड़ दें, बजाय इसके कि आप इसे नहरों में चलावें। इससे तो सीपेज बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन करना यह है कि जब सिंचाई के लिये पानी की जरूरत हो तो पानी छोड़ा जावे और जब जरूरत न हो तो उसे न छोड़ा जावे। अब जब जरूरत होती है पानी की और उस समय पानी छोड़ने के लिये कहते हैं तो इरिगेशन विभाग कुछ और ही बातें कहता है।

वह कहता है कि इस समय तो हमें मरम्मत करानी है, सिल्ट निकलवाना है। तो जब पानी की जरूरत होती है तो पानी इस तरह से रोक दिया जाता है और बरसात में जब खेत वैसे ही भरे रहते हैं तो पानी छोड़ा जाता है। तो अगर ऐसे ही नहरें आपको चलानी हैं तो इन से कोई लाभ नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इस टाईम में, नहीं सॉरी, सभापति महोदय, इस टाइम में मैं अब इन नहरों की बैंकों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। हमारी चम्बल केनाल है और इसमें जो बैंक्स हैं, एक मैन केनाल को छोड़कर जो बाकी सब-ब्रांचेज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूट्रीज़ हैं, माइनर्स हैं, जितने भी हैं उन सारी ब्रांचों में एक भी ऐसी नहीं है जिसका बैंक लेवल जो एस्टीमेट है उसके अनुसार बराबर हो या ऊंचा हो। सारी बैंकें बैठ चुकी हैं। माइन

(कुं० श्री महेन्द्रसिंह)

उतना पानी ले नहीं सकती। जो नहरें बनी हुई हैं उनमें एक महीने में २८ दिन तक पानी चले तो जितना कमाण्डेड एरिया है उसको इरिगेट किया जा सकता है। इस वक्त पानी की शॉर्टेज होने की वजह से इरिगेशन डिपार्टमेंट प्रत्येक महीने में दस दिन तक माइनर्स में पानी छोड़ते हैं, दस दिन से आगे नहीं छोड़ते हैं। जो उनकी कैपेसिटी है उसके अनुसार महीने में २८ दिन पानी चले तभी सारे एरिया में पानी पहुंच सकता है, उसकी जगह हम चला रहे हैं महीने में केवल १० दिन। इसका नतीजा यह हुआ है सभापति महोदय, कि वहां पर जितनी माइनर टेल्स हैं उनमें पानी नहीं पहुंच पाया है। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि उसकी डिजाइन के मुताबिक भी महीने में १८ दिन पानी चलना चाहिए तभी पूरे कमाण्डेड एरिया में सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा उसमें यह है कि उनका बैंक लेवल जो है वह ऊंचा नहीं है। उसका जो मेंटीनेंस टाइम पर होना चाहिए वह होता नहीं है। माइनर्स की केपीसिटी इतनी नहीं है कि जितना पानी छोडा जाना चाहिए वह उसको झेल सकें और उससे पानी को सप्लाई कर सके। तो इस समय पानी की सप्लाई में माइनर्स में कमी हो गई है, और पानी की डिमाण्ड ज्यादा हो गई है। इस समय कई जगह टेम्परेरी आउट लेयर्स की व्यवस्था नहीं है जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने रखा कि डेढ़ सौ एकड़ जमीन एक धोरे में इरिगेट होनी चाहिए। अब एक धोरे में डेढ़ सौ बीघा जमीन इरिगेट करना और वह भी पन्द्रह दिन के अन्दर, यह सम्भव नहीं है। जितना छोटा कमाण्ड होगा, जितने वॉटर कोर्सेज होंगे उतनी ही सुविधा होगी, इरिगेशन अच्छा होगा, वेस्टेज कम होगा और इससे लडाई-झगड़े भी कम होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि आप जो कम से कम पर्मानेंट आउटलेट हैं उनको दुबारा तय करें क्योंकि जितने भी आउटलेयर हैं उनमें अक्सर यह होता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के ओवरसियर्स, एक्जीक्यूटिव इन्जिनियर्स असिस्टेण्ट इंजीनियर्स जितने भी हैं उनकी मर्जी में आगया तो उसके आउटलेयर को लगे रखेंगे, चाहे वह टेम्परेरी ही हो लेकिन अगर उन लोगों की नाराजगी हो गई तो चाहे परमानेन्ट आउटलेयर ही क्यों न लगे हों, उसको उठा कर फेंक देते हैं और कह देते हैं कि तुम्हारे तो टेम्परेरी लगे हुए हैं। उस पर तावान ठोक देते हैं।

हम तीन साल से इस विधान सभा के अन्दर मंत्री महोदय के सामने सारी प्रोब्लम्स को रखते आ रहे हैं। मुआवजे के बारे में, नहरों के बारे में, इरिगेशन द्वारा पिलाई के मामले हैं, सिंचाई दर्ज के मामले हैं, पानी के तावान के मामले हैं। ये सब हम यहां मंत्री महोदय के सामने रखते रहे हैं, लेकिन आज तक मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया है। मैं यह मानता हूं कि वह आज भी किसानों को राहत पहुँचाने के लिए किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेंगे और न ही ले सकते है, क्योंकि न तो उनमें हिम्मत है और न ही वे लेने वाले हैं। गत वर्ष वे वहां आये थे, सुल्तानपुरा में। वहां पर उनसे डेढ़ हजार किसान मिलना चाहते थे लेकिन उनको इसकी फुर्सत कहां थी? वे जब आते हैं तो भी लोगों से मिलते नहीं हैं। एम० एल० ए० को सूचना ही क्यों देने लगे। वे तो दावत खाकर लोगों से मिल कर, अपने अफसरों से बातें करके

(कुं० श्री महेन्द्रसिंह)

वापस आ गए। किसानों से बात करने की तो उनको आवश्यकता ही क्या है? पानी के अभाव के कारण सूखे हुए चने, गेहूँ, ज्वार, चांवल की फसलें मंत्री महोदय के सामने रखीं, लेकिन आपने एक भी नहीं सुनी। वहां फसलें पानी अधिक जाने के कारण भी गल चुकी थीं, उनकी और भी समस्यायें थीं जिनको लोगों ने मंत्री महोदय के सामने रखा लेकिन मंत्री महोदय ने एक बात नहीं सुनी। उन्होंने तो सिर्फ एक बात कही कि बच्चे कम पैदा करो फसलों को तो आग लगे, नहरें जहन्नुम में जायं। हम तो एक बात जानते हैं कि बच्चे कम पैदा करो। मंत्री महोदय से जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि रेस्ट हाउस में आओ, वहां मैं आप लोगों से बात करूंगा....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपने मंत्री महोदय की सलाह मानी या नहीं?

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : मैं तो सलाह मानता हूं....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आपके मंत्री महोदय से पूछो कि आप दूसरी जगह क्या करते हो?

श्री सभापति : आपस में बातें करके व्यर्थ में समय बर्बाद न करें।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : उन्होंने वहां कहा कि अब हम रेस्ट हाउस में चलेंगे, आप भी वहां आओ और जो भी शिकायतें हों इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में, वे वहां रख देना। मैं, उस पर जरूर विचार करूंगा। लेकिन, सभापति महोदय, वहां पर जाने के बाद रेस्ट हाउस में किसी को घुसने नहीं दिया। कुछ लोग ही गए जिनको निमंत्रण दिया गया था दावत का....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : काहे की दावत?

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ा : खाने की दावत!

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपको नहीं बुलाया होगा।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : आपने दावत खाई और चले आए। अगर आप चाहते, अगर मंत्री महोदय चाहते तो यहां के लोगों की दिक्कतें दूर हो सकती थीं, लेकिन उसको देखने की तो मंत्री महोदय को फ़ुरसत ही कहां थी? हो सकता है कि जितनी बातें यहां कही जाती हैं उसमें थोड़ी बहुत अधिक बातें भी हों, दिक्कत कम हों और यहां अधिक कही जाती हों लेकिन यह तो वास्तविकता है ही कि लोगों की दिक्कतें हैं। आप भी महसूस करते हैं कि लोगों की दिक्कतें हैं तो फिर आपको उनकी जांच करनी चाहिए, और उसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे ऐसी शिकायतें दुबारा विधान सभा में न आएं। इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान नहीं देकर जब जवाब देंगे तो बस सिवाय उस विभाग को प्रोटेक्शन देने के और कुछ नहीं कहेंगे, और मैं जानता हूं कि आज भी जब वे जवाब देंगे तो अपने डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करने की बातें ही करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की आज डिपार्टमेंट की हालत है, जैसी उसकी अवस्था है उसमें उनको हाउस को एश्योरेन्स देना चाहिए कि आगे ऐसी गल्तियां नहीं होंगी, इसके प्रति वे जागरूक रहेंगे। मैं जानता हूं कि आज भी जब जवाब देंगे तो मुझे लगता है कि उसी

(कुं० श्री महेन्द्र सिंह)

बात को प्रोटेक्ट करेंगे; किसी प्रकार का कदम उठाने वाले नहीं हैं, जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको करेक्ट करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं, सभापति महोदय, कि पूरे चम्बल प्रोजेक्ट में इरिगेशन डिपार्टमेंट की अव्यवस्था के खिलाफ एक कमेटी बैठाई जाय जो इस बात का निर्णय करे कि किस प्रकार की व्यवस्था हो, किस प्रकार की गल्तियां हैं और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है, क्या सोल्यूशन निकल सकता है, उसको सामने रखें। लेकिन मंत्री महोदय की समझ में यह बात नहीं आती है, उनके दिमाग में यह बात बैठती नहीं है कि वहां गड़बड़ियों का कारण क्या है; तो एक कमेटी का निर्माण कर दें ताकि वह वहां जाकर इलाके की सारी परिस्थितियों को देख कर उनके बारे में सुझाव दे कि किस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है ताकि सारी दिक्कतें दूर हो सके। आज आपकी सीपेज की प्रोब्लम है, लिफ्ट इरिगेशन की प्रोब्लम है, वॉटर कोर्सेज की प्रोब्लम्स हैं, इस पर वे विचार करें।

आपने वॉटर कोर्सेज के भी डिपार्टमेंट बहुत से खोल दिए हैं; वॉटर कोर्स का डिविजन, ड्रेनेज का डिविजन और इरिगेशन का डिविजन। आपने तीन तीन डिविजन कर दिये हैं, लेकिन इस तरह स्टाफ बढ़ाने से और अलग अलग डिविजन खोलने से भी लाभ क्या हुआ है? सिवाय सरकार का प्रशासनिक खर्चा बढ़ने के कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने भी यह विचार व्यक्त किया है कि आपका प्रशासनिक खर्चा ज्यादा है, यह कम होना चाहिए! मैं समझता हूं, सभापति महोदय, कि वहां पर जो ड्रेनेज का विभाग खोला है, लिफ्ट इरिगेशन का विभाग खोला है और वॉटर कोर्सेज का अलग डिविजन है तो इन तीन-तीन डिविजन की कोई आवश्यकता नहीं थी, यह सारा काम इरिगेशन का असिस्टेंट इंजीनियर कर सकता है। आपका ओवरसियर रहता है, इसकी सारी प्रॉब्लम्स मिली-जुली प्रॉब्लम्स है; जैसे केनाल पर वॉटर लोगिंग की समस्या है, कितना एरिया है, कितनी ड्रेनेज खुदेंगी, उसके माइनर्स की क्या स्थिति है। इन सब के बारे में ओवरसियर रिपोर्ट दे सकता है। वॉटर कोर्स के किस माइनर से कहां-कहां वॉटर कोर्स कितना लम्बा जाना चाहिए, इसको मैनेज तो वहां का ओवरसियर कर सकता है, लेकिन आपने तो तीन डिविजन खोल दिए, इसके बाद भी काम कुछ नहीं होता!

जहां तक स्टाफ बढ़ाने का सवाल है और लोगों को नौकरियां दिलाना चाहते हैं तो वह तो अलग बात है, लेकिन इससे काम कुछ होता नहीं है। आप जितना खर्चा करते हैं उतना काम नहीं होता है। आज वॉटर कोर्स में क्या काम हो रहा है? आपने जितने भी धोरे खोदे हैं, किसान रोता है आज उसमें पानी पहुंचता नहीं है। वहां किसानों को खुद को अपने पैसे से अलग अलग धोरे खुदवाने पड़ते हैं। आपके कई धोरों में वाटर कोर्स का पानी नहीं पहुंचता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पंचायतों ने अपने वाटर कोर्सेज खुदवाये हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इस वर्ष, सभापति महोदय, काफी तावान इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा लगाये गये

(कुं० श्री महेन्द्रसिंह)

हैं, और मैं समझता हूं कि १ पर्सेन्ट ही सही हैं और ९९ पर्सेन्ट गलत तावान हैं, और बिना किसी सेंक्शन के ही लगाये गये हैं। उनके बारे में कमेटी का कोई निर्णय नहीं है और न उससे पूछा गया है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ यह देखने में आया है कि नहर की हद में वहां पर वॉटर कोर्स से पानी निकलता है। नहर की हद में वॉटर कोर्स के मैन्टीनेन्स नहीं होने के कारण सीपेज हो रहा है, और पानी से गड्ढे भरे पड़े हैं, और उसके लिए किसान को दोषी ठहराया गया है। एक खेत है, एक किसान का जितना एरिया है उसमें वाटर कोर्स टूटकर पानी का वेस्टेज होता है तो उसके लिए किसान दोषी है, लेकिन नहर कट जाय, टूटकर नहर की सरहद में पानी भर जाये जिसके कि आप मालिक हैं, उस एरिया में वॉटर कोर्स टूटकर मैन्टीनेन्स नहीं होने के कारण अगर पानी गड्ढों में भर जाये तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसान होगा या उसकी जिम्मेदार इरिगेशन डिपार्टमेंट की है? उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन खुद की गलती है और उसको किसान पर लाद देते हैं। कई इस तरह के केसेज हैं जहां कि दूसरे किसान ने वेस्टेज किया और उस पर थोप दिया गया है।

मुआवजे के मामले के कई केसेज फैसल होकर सिंचाई विभाग के पास चले गये हैं, लेकिन उनको चैक नहीं मिल रहे हैं। उनके पास जो एप्रोच कर लेता है उनको चैक मिल जाता है। जो गांव में बैठे हैं उनको चैक नहीं मिलता है इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय, ऐसी व्यवस्था करें कि इतने दिन में केसेज फाइनल होकर आपके डिपार्टमेंट में आ जायें तो उनके चैक किसान के पास पहुंच जायें बिना किसी एप्रोच के।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव सांगोद और चेचट क्षेत्र में इरिगेशन के साधनों को प्रोवाइड करने के बारे में हैं।

अभी मौजूदा परिस्थिति में सांगोद में पांच इरिगेशन की योजनाएं हैं—एक भीम सागर बान्ध, दूसरा काली सिन्ध, तीसरा परवण है, चौथा आलनिया है और कुछ आसोद गांव वगैरह हैं जो कि चम्बल के कमाण्ड एरिया में आते हैं। इन पांच स्कीमों के बावजूद भी वहां पर सिंचाई के साधन सेटिस्फेक्ट्री नहीं हैं।

जहां तक भीम सागर के बान्ध का सवाल है वह आज से १०–१२ वर्ष से सरकार के विचाराधीन है, भीम सागर अभी तक नहीं बन पाया है। कब बनेगा यह मालूम नहीं। हर साल इस सदन में आश्वासन दिया जाता है कि इसके रिवाइज्ड एस्टीमेट्स तैयार हैं और इतना इस्टीमेट बढ़ गया है और इसको सेन्ट्रल वॉटर एण्ड पावर कमीशन में भेजा गया है और अगले साल ले लिया जायेगा, लेकिन आज तक भीम सागर और उससे सम्बन्धित जितने भी मामले हैं उनके बारे में सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। यह स्कीम राजस्थान के बनने से पहले की सबसे पहली स्कीम थी। आज तक वह उसी स्टेज पर पड़ी हुई है। इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए ये साधन जो उस क्षेत्र में उपलब्ध होने वाले थे वे उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

दूसरी स्कीम रोछड़ की है काली सिन्ध पर फुल युटिलाइजेशन उस स्कीम का होना

(श्री जुझार सिंह)

चाहिए था, वह डिफेक्टिव बनी है, उसके बारे में सरकार योजना को रिवाइज्ड करने के ख्याल रखती है, और यह भी शायद सरकार का ख्याल हो कि उस योजना को रिवाइज करके दूसरी जगह पर बान्ध बनाया जाय ताकि उसका फुल युटिलाइजेशन हो सके। जितना भी प्रोपोज्ड एरिया इससे इस साल और पिछले साल कमाण्ड होने वाला था उसका एक-तिहाई और आधा भी एरिया नहीं होने वाला है। इसके बारे में अभी संदिग्ध अवस्था है कि इसका फुल युटिलाइ-जेशन, स्कीम का कब होगा ? कनवास तहसील में लिफ्ट लगाने की जो योजना सरकार की है कि किस तरह से वहां पानी पहुंचाया जाय, इसके बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, उसकी वजह से जो साधन इन दो योजनाओं से उपलब्ध होने चाहिए थे वे नहीं हो रहे हैं।

तीसरी स्कीम आलनिया की है। सुबह ही मंत्री महोदय ने बताया है कि जितने हजार एकड़ जमीन इससे सिंचित होने वाली थी उसके मुकाबले में चार या तीन हजार ही इस साल हो पाई है। जब से यह बान्ध बना है फुल केपेसिटी आलनिया बान्ध की पूरी नहीं हो सकी है। यही बात नहीं है। इसके साथ-साथ आज मौजूदा में जितनी इरिगेशन होती है उसमें भी कई तरह की कठिनाइयां हैं। जो टेल हैड है कैनाल के उनको किसी नेचुरल नाले में नहीं डाला जाता है जिसकी वजह से जगह जगह उनका पानी फैल जाता है और खेतों को खराब करता है। कालीसिन्ध से जो पानी जाता है उसमें एक नाला जिसको बगदा का नाला कहते हैं, यह एक तरह का ग्रेडियेन्ट है, नाला तो नहीं है, लेकिन इसका पानी सारा खेतों को काटता हुआ जगह जगह फैलता है। इस नाले को कहीं पर रिलीज नहीं मिला है। एक तरफ तो जितनी सिंचाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है और दूसरी तरफ पानी का वेस्टेज बहुत होता है। नाले का पानी अनकन्ट्रोल्ड रूप से फैलने की वजह से वहां गांवों में भूमि का इतना कटाव बढ़ रहा है कि इसको किसी तरह से कन्ट्रोल करके उसको रोकना चाहिए। या तो इसका नेचुरल फ्लो होना चाहिए या इस तरह से रिलीज होना चाहिए ताकि दूसरी इसके नीचे आने वाली, जमीन को वह नहीं काटे और पानी का वेस्टेज न हो। पूरा रिलीज नहीं होने की वजह से परबन की जो स्कीम चल रही है उसमें जितना एरिया कमाण्ड हुआ करता था उतना एरिया कवर नहीं कर पाये हैं।

चम्बल के बारे में कोटा क्षेत्र से आये हुए कई माननीय सदस्यों ने कहा है। उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। जो चार स्कीमें मेरे क्षेत्र में आती हैं उनका फुल युटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। जो प्रोपोज्ड स्कीम थी, राजस्थान की २३ स्कीमें थीं उनमें से २१ कम्प्लीट हो चुकी हैं। ये दो स्कीम ऐसी हैं जो पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हो सकी हैं इसलिए इस एरिया में सिंचाई के साधनों को देखते हुए और पानी की मात्रा को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन स्कीम्स के बारे में वे जरूर कुछ सोचें ताकि इनका पूरा युटिलाइजेशन हो सके।

दूसरे यह तो मैंने गवर्नमेंट की जो प्रोपोज्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में निवेदन किया, लेकिन इनके अलावा भी इस क्षेत्र में हर दो-तीन मील के ऊपर नदी, नाले और

(श्री जुझारसिंह)

नेचुरल पानी के रिसोर्सेज हैं। उनमें अभी भी इतना पानी भरा रहता है कि इस साल गवर्नमेंट ने वहां पर खाद्य की स्थिति खराब हो जाने की वजह से यह सोचकर कि जहां भी पानी भरा हुआ है उसको लिफ्ट करके टेम्पोरेरिली खाद्य–समस्या को सॉल्व करने के लिए पानी दिया जाय। इसका सर्वे कराने के लिए जयपुर से सर्वे पार्टी भेजी गई। वह कोटा डिस्ट्रिक्ट में पहुंची। उसने इसके लिए सांगोद क्षेत्र को सबसे ज्यादा उपयुक्त पाया, और इस साल वहां पर १४ पम्पिग सेट डिस्ट्रिब्यूट किये और उनसे ३-४ हजार एकड़ एक्स्ट्रा सिंचाई होगी। यह पर्मानेन्ट स्कीम नहीं है। जहां भी पानी भरा देखा वहां लिफ्ट के लिए पम्पिग सेट लगा दिये गये हैं लेकिन ये सोर्सेज पर्मानेन्ट सोर्सेज हैं और इनसे पर्मानेन्ट इरिगेशन हो सकता है। इसका प्रोपर्ली सर्वे करवाकर कायदे से इस स्कीम को किया जाय तो उस क्षेत्र में गांव-गांव में सैंकड़ों बीघा जमीन इरिगेशन के साधन बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब आपको यह बात मालूम हो गई है कि इस एरिया में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं और वे इन्हीं को इसको युटिलाइज कर सकते हैं तो इसके लिए पर्मानेन्ट योजना बनायें ताकि इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन पर्मानेन्ट तरीके से बढ़ सकें और काश्तकारों को राहत मिले।

इसके अलावा रामगंज मंडी में कई छोटे-मोटे नाले कोटा डिस्ट्रिक्ट में हैं जो कि अभी तक अभिशाप बने हुए हैं, क्योंकि उनसे जमीन का कटाव बहुत बढ़ जाता है, और दूसरी तरफ उनका युटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हरिगढ़ गांव है जिसके बारे में आज से दो-तीन साल पहले भी मैंने प्रश्न किया था। वह मध्य प्रदेश में आता है और वहां पर नेचुरल सोर्स है पानी का। उसमें अगर बांध बना दिया जाता है, वह राजस्थान की सरहद से आधा मील के ऊपर है और मध्य प्रदेश का कोई इलाका डूब में नहीं आता है और सारा पानी राजस्थान में युटिलाइज होगा, और जहां तक मेरी जानकारी है उससे ८४१० हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकती है। इस क्षेत्र में अभी और कोई सिंचाई के साधन नहीं है सिवाय कुओं के। इसलिए इस हरिगढ़ गांव पर अगर बांध लग जाता है तो इस इलाके में जो अभी करीब–करीब असिंचित इलाका है उसमें ८–१० हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकती है। और इसमें जो कुछ भी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से करीब करीब ७–८ परसेन्ट रिटर्न मिल सकता है। ऐसा मुझे लोग–बागों ने बताया है।

मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए सरकार खास तौर से तवज्जह दे और पुराने जो बांध हमारे यहां हैं, जो स्टेट के टाइम के बने हुए हैं और जगह–जगह टूट गये हैं उनके विकास के लिए सरकार ने ख्याल नहीं रखा। इनका अगर रिपेयर हो जाय तो वे काम आ सकते हैं और टूट जाने की वजह से पानी इकट्ठा होकर नीचे की जमीन पर बहता है, जैसा कि विनोद गांव है जागीरदार का। उसमें पहले का पुराना बन्धा लगा हुआ है। वह टूट गया है तो उसके नीचे की सारी जमीन कटाव में जाती है। उसकी वजह से विनोद गांव और दूसरे

(श्री जुझारसिंह)

रोढ़ावास में यह एक समस्या बन गई है। एक तरफ तो पानी का युटिलाइजेशन पूरा नहीं होता है और दूसरी तरफ अनकन्ट्रोल्ड वे में पानी बहने के कारण कटाव की समस्या बढ़ जाती है। इस तरह से बान्ध जो स्टेट के टाइम के बने हुए हैं उनकी पूरी तरह से देखभाल नहीं किये जाने की वजह से टूटते जा रहे हैं और भूमि पर कटाव बढ़ रहा है उनके बारे में गवर्नमेंट को खास तौर से तवज्जह देकर प्रोपरली उसका सर्वे करवायें। इनको थोड़े से खर्च में बांध सकते हैं। यदि इनको बंधाया जा सके तो काफी भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में ख्याल करके इस क्षेत्र में सिंचाई के बारे में सहूलियत प्रदान करने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करोल।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : माननीय सभापतिजी, तहसील चाकसू में एक श्यामपुरा नाला है उसके लिए, सभापति महोदय, बार बार डिपार्टमेन्ट की तरफ से या सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे किया जाता है। आज ७ साल से बराबर वहां पर अधिकारी जाते हैं और कभी मिट्टी लाते हैं, कभी क्या करते हैं, लेकिन अभी तक इस नाले के मुतल्लिक कोई निर्णय डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लिया गया। मंत्रीजी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस श्यामपुरा के नाले को बांध दिया जाये और उसके पानी को सिंचाई के काम में लाया जाये तो काफी बड़े भाग में सिंचाई हो सकती है। मेरा नम्र निवेदन है कि इस नाले को जरूर ही सरकार इस साल बांधने के लिये तैयार हो जाय।

दूसरी बात यह कि जो मैसरा बांध दौसा में है वह फूटा हुआ है, उसको बांध दिया जाय तो सैकड़ों बीघा भूमि में सिंचाई होगी। स्टेट के जमाने में यह बांध बांधा गया था जो अब टूट गया है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। दो तीन जगह से टूटा हुआ है, वह बंध जाय तो सिंचाई होगी।

तीसरा बांध कौनसा था? चानणा। चानणा बांध की सेंक्शन हो चुकी है डिपार्टमेंट से, यह भी दौसा के अन्दर है। इसको बांधने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? यदि यह बांध बांध दिया जाय तो काफी सिंचाई हो सकती है। क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है कि उत्पादन बढ़ाना है, यदि आपको उत्पादन बढ़ाना है तो सिंचाई के साधन भी जुटाने होंगे। चानणा बांध की सेंक्शन हो चुकी है तो इसको जरूर बांधा जाय। मैसरा बांध दो तीन जगह टूटा है उसको ठीक कराया जाय और श्यामपुरा के लिये मैंने निवेदन किया है उसको भी बांधा जाय।

सिंचाई की दर में वित्त मंत्रीजी ने ५) रु० एकड़ का इजाफा कर दिया है इसलिए सिंचाई विभाग जरूर इस ओर ध्यान देगा। एक तरफ इजाफा हो गया और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि इन तीनों बांधों के लिए आप जरूर ध्यान रखेंगे और बांधने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति: श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सभापतिजी, प्रस्तुत मांग पर मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है खास तौर से राजस्थान नहर से बीकानेर और नागौर जिलों

(श्री भीमसेन)

में लिफ्ट कैनाल के जरिये इरिगेशन करने के बारे में प्रस्ताव रखा है।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने तीसरी योजना में जो टार्गेट्स बनाये उसके बारे में राजस्थान सरकार ने ११३ करोड़ रु० का प्रावधान फोर थ्रॉफ दि प्लान में किया था और उसके अलावा सरकार का यह टार्गेट था इरिगेशन के बारे में कि ११ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे। सभापति महोदय, यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो राजस्थान सरकार ने टार्गेट बनाये, खर्चा किया ११३ करोड़ रु० का उसके विपरीत जो टार्गेट्स एचीव करने थे वे आधे प्राप्त किये गये। यह सोचने और विचारने की बात है कि जिस तरह की योजना बनाते हैं, एस्टिमेट से अधिक खर्चा होता है और उसके साथ साथ जो योजना शिड्यूल्ड टाइम में पूरी करनी होती है उसमें डिले होती है और इन्हीं कारणों से टार्गेट्स में सफलता नहीं प्राप्त होती। तीसरी योजना में जहां टार्गेट ११ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने का था उसके विपरीत केवल ६ लाख एकड़ में सिंचाई कर पाये।

सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर करता है। राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान के काफी हिस्से में अभी तक इरिगेशन पोटेन्शियेलिटी को डेवलप नहीं कर पाये हैं। राजस्थान में केवल ११ परसेंट भूमि ही है जिसको सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं। आल इण्डिया फीगर १७ परसेन्ट आते हैं। लेकिन तीसरी योजना के तीन वर्ष हमारे यहां ऐसे अकाल के गुजरे कि जिनमें राजस्थान सरकार को साधनों में बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इसके कारण तीसरी योजना में जितना खर्चा करना था उसमें कमी करनी पड़ी और इसके अलावा फेमिन रिलीफ वर्क में कुल मिला कर सरकार को १५ करोड़ रुपये खर्च करने पड़े इसके अलावा फेमिन के दौरान जो आमदनी होनी थी उससे महरूम रहना पड़ा। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत सा हिस्सा है जहां आये साल अकाल पड़ता है, ऐसे जिलों के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिये, खास कर बीकानेर जिले के लिए जहां पर आये साल अकाल पड़ता है, वहां पर लिफ्ट इरिगेशन के जरिये सिंचाई कर सकें और आने वाले अकाल से छुट्टी दिला सकें। राजस्थान सरकार ने इस बारे में योजना बनाई है लेकिन स्वीकृत होने में विलम्ब हो रहा है। हम चाहते हैं कि लिफ्ट इरिगेशन राजस्थान कैनाल से करने की जो योजना है उसको तत्काल स्वीकृत किया जाय जिससे अकाल पीड़ित किसानों को जो परेशानी होती है उससे उनको बचाया जा सके और लाखों रुपये सरकार को अकाल के लिए खर्च करने पड़ते हैं उससे भी बचेंगे, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को स्वीकार करने के बारे में सरकार अविलम्ब कार्यवाही करें।

श्री सभापति : श्री ओंकारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री डूंगाराम।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : सभापति महोदय, यह जो सिंचाई पर सदन में चर्चा हो रही है उस विषय में मैं भी कहना चाहता हूं क्योंकि मेरा कट मोशन

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

है। यह जो सरकार करोड़ों रुपया सिंचाई योजनाओं में लगाती है सरकार का यह एक अच्छा काम है और अच्छी योजना है। उसके लिए तो मैं यह कहूंगा कि जितना भी ज्यादा सिंचाई पर खर्चा किया जाय उतना ही कम है, क्योंकि हमको खाद्यान्न की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है और यह आवश्यकता तभी पूरी कर सकते हैं जब कि राजस्थान में सिंचाई के साधन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कर सकें।

दूसरी ओर मैं यह भी कहूंगा, जैसे सरकार बड़ी योजनाओं की तरफ ध्यान देती है और बड़ी योजना को कार्यरूप में परिणत करती है उसके साथ साथ सरकार को यह भी सोचना चाहिये कि राजस्थान में जितना क्षेत्र ऐसा है जो बड़ी सिंचाई योजना में नहीं आता है उसको किस तरह से सिंचाई के आधीन में लाना है। इस तरह जयपुर जिला है वह भी उन योजनाओं में आता है जो बड़ी योजनाओं में नहीं आता, छोटी योजना में सरकार लेना चाहे तो आ सकता है। लेकिन सरकार तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इस जिले को कोई सिंचाई के साधन नहीं दे सकी। मैं जहां तक समझता हूं जयपुर जिले में एक बांध जमुवा-रामगढ़ का था उसको भी सरकार ने सिंचाई में न लेकर जयपुर शहर को पानी देने के लिए काम में लिया है मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर जिले में सिंचाई के साधन कम हैं उनको सरकार पूरा नहीं करेगी तो जयपुर जिला जिस तरह से उत्पादन में पीछे रहा हुआ है वह आगे नहीं आ सकेगा और इसके साथ ही जमुवारामगढ़ मेरा क्षेत्र है उसके बारे में भी मैं निवेदन करूंगा कि जमुवा रामगढ़ को पुनः सिंचाई के लिए रखें। बंध का पानी नहीं मिलने से करीब १५ हजार एकड़ सिंचित एरिया को खत्म किया गया है। सरकार को कम से कम यह सोचना चाहिये और इस एरिया को किसी न किसी रूप में सिंचाई के साधन देने चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

(२. म. प.)

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जमुवा-रामगढ में कुछ बांध ऐसे हैं जिन्हें यदि सरकार बनाना चाहे तो उससे काफी जमुवा-रामगढ़ को फायदा मिल सकता है। एक तालत बांध है, अगर वह बांध बना दिया जाय तालत में तो वहां के काफी एरिया में सिंचाई हो सकती है और कुओं को पानी मिल सकता है। दूसरा एक बांध अचरोल में टूटा हुआ पड़ा है सरकार एक तरफ तो नये बांध बनाना चाहती है। लेकिन जो बांध टूटे हुए पड़े हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है, जब कि वह थोड़े से खर्च में बन सकते हैं और उनसे काफी एरिया में सिंचाई हो सकती है। ज्यादा खर्च करके आप नये बांध बनाते हैं उनके बजाय जो कम खर्च में ठीक हो सकते हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। यह बांध टूटा हुआ पड़ा है, अगर इसे बना दिया जाय तो काफी फायदा मिल सकता है।

श्री दयाचन्द सोनी (बारां-सु०) : सभापति महोदय, मिनिस्टर साहब तो फाइल देख रहे हैं। यह हमारी बात पर ध्यान दें—इसको फुर्सत इन्हें नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : आपको बड़ा एतराज हो रहा है, अगर मैं

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

बैठा बैठा काम करूं। वह काम भी आप नहीं करने देंगे।

श्री सभापति : आपस में बातचीत न करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इस तरह बांधों के साथ ही साथ में एनीकट्स की ओर भी ध्यान दिलाऊंगा। एनीकट एक ऐसी चीज है यदि एनीकट्स सबसे पहले सरकार बनवा दे तो जब अकाल पड़ता है और बरसात कम होती हैं तो उस समय कुओं से खेती को लाभ हो सकता है। इस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मैं आपको ऐसे एनीकट्स का नाम बता सकता हूं। कृपा करके मंत्री महोदय उन एनीकट्स को बनवाने का प्रबन्ध करें। एक तो एनीकट आप दांतल दहड़ा में बना सकते हैं। इससे अच्छा फायदा हो सकता है। दूसरा एनीकट कौलाई में बना सकते हैं। तीसरा सायपुरा गांव है उसमें एनीकट बना सकते हैं चौथा आंधी में एनीकट बना सकते हैं। पांचवा नीपला में एनीकट बनवा सकते हैं और छटा पातलवास में बना सकते हैं। इस तरह छः एनीकट मैंने आपके सामने रखे हैं। गये सैशन में, बजट सेशन में, जो मैंने कुछ नाम आपके सामने रखे थे लेकिन उनकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा, यह जो बांध मैंने बताये हैं इनकी ओर ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि जो असिंचित क्षेत्र आज हैं उनमें सिंचाई के साधन करने से उत्पादन बढ़ाने की बात सरकार करती है। मैं कहता हूं कि किसानों को उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है अगर आप जयपुर जिले की तरफ इस सम्बन्ध में ध्यान दें। मैंने तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखा है, लेकिन जहाँ तक मैं देख सका हूं जयपुर जिले में सिंचाई के लिए कोई नया बांध बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा मैंने दूसरे जिलों में भी देखा है- मैं नहीं कहना चाहता कि दूसरे जिलों में सिंचाई के साधन न दें, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के साधन आप राजस्थान के हर कोने में उपलब्ध करें; लेकिन इसके साथ ही जहां बिल्कुल साधन नहीं हैं वहां सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए।

यह शब्द कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री तेजाराम !

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : सभापति महोदय, इस मांग पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में है। भूतपूर्व जोधपुर राज्य के समय में बहुत से बांध वहां बने हुए थे, और राजस्थान बनने के बाद भी राजस्थान में बहुत से नये बांध बने हैं इसके पहले कि मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करूं, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पुराने बांध हैं और नये बांध हैं—इन दोनों की व्यवस्था में क्या फर्क है ? जितने नए बांध बन रहे हैं उन बांधों के अन्दर और नीचे जो सिंचाई होने वाली भूमि है उसके ऊपर राजस्थान सरकार ने बैटरमेंट लेवी लगाई है लेकिन जो पुराने बांध बने हुए हैं इस समय की सरकार ने उन बांधों के नीचे आबपाशी होने वाली जमीन के ऊपर बैटरमेंट लेवी न लगा कर दूसरी भूमि पर ली जाने वाली

(श्री तेजाराम गहलोत)

बीघोड़ी से ज्यादा लगान लगाया । ग्राज उन पर ग्राबपाशी नहीं होती है, लेकिन सरकार ने १७ फरवरी, ६५ को हिदायत जारी की कि पानी के बंटवारे में, जो कमाण्ड एरिया में भूमि ग्राती है उसमें नहरी या बारानी में फर्क नहीं रखा जायेगा । इस विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक कमाण्ड एरिया का सवाल है, नये बांधों के नीचे ग्राने वाली जमीन पर बेटरमेंट लेवी ली जाती है । कमाण्ड एरिया से यह स्पष्ट है कि इस तरह के जो पुराने बांध हैं उसमें कमाण्ड का प्रावधान नहीं है फिर भी उसे नहरी क्लास में रखा गया है जहां पर सरकार ने भूमि को पानी देने के एवजाने में लगान बढ़ाया है, वह भूमि उस कमाण्ड एरिया में ग्रानी चाहिये लेकिन इस तरफ विचार न करके जब पानी के बंटवारे का प्रश्न होता है तो वहां पर नहरी ग्रौर बारानी का सवाल पैदा करके समस्या पैदा होती है ग्रौर उसके ग्रन्दर जो नहरी लगान देने वाले काश्तकार हैं उनको पानी से महरूम रहना पड़ता है । मैं निवेदन कर दूं कि जोधपुर राज्य के जो बांध है उनमें से शायद एक-ग्राध बार दस वर्ष के ग्रन्दर कुछ बांध पानी से भर सके हैं ग्रन्यथा बांधों में तीस-चालीस प्रतिशत पानी ही ग्राबपाशी के लिए ग्राता है । जब बांधों की ऐसी हालत है ग्रौर बरसात की ऐसी हालत है तो बांधों के नीचे ग्राने वाली जिस भूमि को नहरी क्लास में रखा है उसको ग्राप पानी नहीं दे सकते हैं ग्रौर पानी न मिलने की सूरत में भी काश्तकार इस ग्राशा के साथ में लगान भरता है कि कभी न कभी तो पानी मिलेगा ही । मैं निवेदन करूंगा कि जो नये ग्रौर पुराने बांधों की नीति है उसमें ग्राप कुछ फर्क कायम करें ग्रौर फर्क कायम करने के साथ मैं सिंचाई विभाग को इस प्रकार का स्पष्टीकरण दें कि जो पुराने बांध बने हुए हैं, जहां पर बेटरमेंट लेवी चार्ज नहीं की गई है ग्रौर नहरी का लगान वहां ग्रधिक लगाया जाता है उसके लिए गवर्नमेंट की उक्त सर्क्यूलर लागू न होकर जब तक उस कपेसिटी तक पानी नहीं ग्राते उस समय तक प्रिफरेन्स नहरी जमीन को दिया जाय । मैं निवेदन करूंगा कि ग्राप इसका स्पष्टीकरण करेंगे ।

श्री सभापति : श्री माबा भाई !

श्री माबा भाई (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में, जासोल में, पुराना तालाब है, वहां पर नहर भी पुरानी निकली हुई है, लेकिन उसमें पानी कम रहता है क्योंकि उनमें मिट्टी भर गई है, वह मिट्टी से बुरी हुई है । लेकिन वहां पर कोई देखने वाला नहीं होता है । जो कर्मचारी उस डिस्ट्रिक्ट के हैं वह फोकट की तनख्वाह पाते हैं ग्रौर वह कोई काम नहीं समझते हैं । जो पक्के बांध बनाते हैं वह मिट्टी के बांध के बराबर बनते हैं । तो ऐसा कच्चा काम करने से फायदा क्या होता है ? वहां के कर्मचारी हैं वह कोई काम देखते नहीं हैं । वहां के जो गांव है भीमपुरा ग्रौर रामपुरा वहां पर राजा-महाराजाग्रों के जमाने की चाही जमीन है लेकिन उसको पानी नहीं दिया जा रहा है । वहां पर बांध व होने के कारण बड़ा दुःख है, वहां के लोगों को जरूरत है कि बांध हो । वहां से मन्त्री महोदय ग्रपनी मोटर पर झंडियां लगा कर चले जाते हैं लेकिन काश्तकारों की ग्रोर ध्यान नहीं देते हैं, जब कि महाराजा ग्रपनी मोटर में जाते थे तो काश्तकारों की ग्रोर ध्यान तो देते थे । लेकिन यह जनता के

(श्री मावा भाई)

दुःख को देखते नहीं हैं और न ही उसको कोई आश्वासन देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन गरीब लोगों का ध्यान रखा जाय। वहां के लोग बेटरमेंट लेवी देने को तैयार हैं। एक तरफ जहां आप पानी देते हैं वहां आप कहते हैं कि बेटरमेंट लेवी दी जाय लेकिन जहां देने को तैयार हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं रखा जाय-यह बहुत अन्याय की बात है। आपको गरीब लोगों का ध्यान रखना चाहिये। यहां पर जो आदिवासी रहते हैं उनकी स्थिति बिगड़ रही है और साथ ही साथ यहां की जमीन पर भी असर पड़ रहा है, इसकी तरफ आप ध्यान दीजिये।

श्री सभापति : श्री हरिप्रसाद शर्मा !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, यह देश....

श्री सभापति : ज्यादा लम्बा न करें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : नहीं साहब। यह देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की आर्थिक हालत सुधारने की दृष्टि और अन्न में आत्मनिर्भर होने की दृष्टि से सिंचाई विभाग का महत्व कम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि कई डिवीजनों के अन्दर करोड़ों रुपया लगाकर योजनाओं के द्वारा देश को खुशहाल बनाने का राजस्थान सरकार का लक्ष्य रहा है। लेकिन यह मान कर चलना पड़ेगा कि योजनाओं के चलने के साथ साथ हमारे और कार्यों के द्वारा जिस प्रकार की कठिनाई पैदा हो रही है उससे किसानों की यह मान्यता बनती जा रही है कि आपके करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी वह आपकी योजनाओं से खुश नहीं है। वह खुश क्यों नहीं है-इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस योजना के पहले "चम्बल नहर" करके किसानों के लिए एक किताब निकाली थी, उसको आप फिर से पढ़ेंगे तो स्वयं ही आप महसूस करेंगे कि हमारी इन योजनाओं में कितनी गलतियां रही हैं।

सभापति महोदय, सबसे पहले माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट क्षेत्र के अन्दर जो डिमार्केशन किया गया है-उसको मानने के कारण आज किसानों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और इसी कारण जो राजस्थान के किसानों को लाभ मिलना चाहिये वह लाभ नहीं मिल पाता है। जो लम्बे-चौड़े प्रोजेक्ट क्षेत्र हैं उनमें हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां नहरों से पानी नहीं पहुंच सकता है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप वहां पर लिफ्ट इरिगेशन के जरिये से पानी पहुँचावेंगे तो यह तो आपके लिए बड़ी बिडम्बना होगी क्योंकि उसके पहले ही जो प्रोजेक्ट एरिया के रूल्स हैं, नियम है, वह किसानों पर लगे हुए हैं। उनको मद्दे-नजर रखते हुए आज किसान, चाहे ट्रेसपासर्स ही हों, ३७ बांधों को रेग्यूलराइज कर रहे हैं वहां पर उस क्षेत्र में कोलोनाइजेशन विभाग खोल कर लाखों रुपये वसूल किये है, वहां पर प्रोजेक्ट एरिया हो जाने के कारण लाखों रुपया लाखों आदमियों से वसूल किये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कोटा डिवीजन के अन्दर जो ऐसा प्रोजेक्ट एरिया है जहां पर ऐसा रकबा है जहां पानी नहीं पहुंच सका है

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

और न पहुंच पायेगा, उसका आप डिमार्केशन ठीक कीजिये।

आपके अधिकारियों ने भी जिला परिषद् की बैठकों और पंचायतों की बैठकों में इस बात को मान्यता दी है कि डिमार्केशन ऐसा रहा है जिसमें पानी नहीं पहुंचा। मगर फिर भी सरकारी अधिकारियों ने उनसे १००) रु० ले लिये यह उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है।

आप सब जगह भूमि अलॉट करते हैं आप करिये भूमिहीन किसानों को चाहे वह कोई भी जाति का हो। मगर हम देखते हैं कि भूमिहीन किसान को भूमि अलॉट नहीं होती है। इसलिये मेरा सरकार से यही निवेदन है कि भूमिहीन किसान को, चाहे वह किसी जाति का क्यों न हो, उसको जमीन सरकार की तरफ से अलॉट होनी चाहिये। प्रोजेक्ट एरिया के किसान भी जो भूमिहीन हैं उनको भी भूमि अलॉट होनी चाहिये क्योंकि उनको भी अपना पेट पालने के लिये भूमि की जरूरत है। उनके पास दूसरा कोई आधार नहीं। मैं यह नहीं कहता कि आपको उनको ऐसी जमीन अलॉट करनी चाहिये जहां पर पानी आ गया हो आपकी नहरों का। उनको ऐसी जमीन जहां पर पानी अभी नहीं पहुंचा हो और वह पड़त पड़ी हो और जहां पर वे ट्रेसपासर्स के रूप में हों और जिस जमीन को उन लोगों ने अपना पसीना बहा कर ठीक किया हो, वह जमीन उनको दी जावे।

किसानों से कोलोनाइजेशन के सिलसिले में जमीन ली गई है मगर अभी तक उन किसानों को उस जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। इसके लिये अधिकारियों पर बहुत दबाव डाला जाने के बावजूद भी उनको मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा किसानों पर वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट के द्वारा बहुत ज्यादती की जाती है। उनकी खड़ी फसलों को बिना किसी नोटिस के ये लोग बरबाद कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको चाहिये कि वे वहां के पटवारियों और सरपंचों से उस भूमि के लिये सम्पर्क करें मगर वे उनसे सम्पर्क नहीं करते। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपका वाटर वर्क्स विभाग चम्बल क्षेत्र में बड़ा भारी भ्रष्टाचार कर रहा है। इसके लिये पंचायत समितियों और जिला परिषद् ने भी लिखा है। अगर आप उनकी प्रोसीडिंग्ज को पढ़ते तो आपको मालूम होता कि वास्तव में पंचायत समितियों ने और जिला परिषदों ने उसके बारे में क्या लिखा है?

आप दौरे पर जाते हैं उस समय आप अपने कांग्रेस के विधायकों को अपने कार्यक्रम की इत्तला देते हैं और बाकी दूसरे विधायकों को आप कहते नहीं हैं। हम आपके साथ सहयोग देने को तैयार हैं, और को बताने को तैयार हैं। मगर आप अपने आदमियों के सिवाय किसी की सुनते ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि आप बूंदी में सर्किट हाउस में ठहरे थे। उस समय बहुत से सरपंच और पंच आपको कुछ कहने के लिये बैठे थे। आपने उनको अपनी बात कही और उनकी बात को नहीं कहने दी। वे लोग अपनी २ पंचायतों की समस्याओं को लेकर आपके पास आपसे मिलने और उनको बताने के लिये अपने पैसे खर्च करके आये थे। मगर आपने उनको उनकी बात नहीं कहने दी, वे यों ही लौटे।

अब मैं कैनाल के बारे में कहना चाहता हूं। कैनाल आई; नहर आई। लेकिन आज

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

वहां पर किसानों की क्या हालत है ? एक किसान को अपने खेत से अपना माल अपने मकान तक ले जाने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है यह आपको मालूम नहीं है । किसानों के लिये जाने को रास्ता नहीं मिलता । आप शहरों में बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं और नहरी क्षेत्र में नाले बनाने के लिये लाखों रुपयों का प्रावधान रखते हैं, मगर होता क्या है ? क्या वे नाले बने है ? नहीं बनते और पैसा लैप्स हो जाता है । किसानों के लिये रास्ते बन्द क्योंकि नाले नहीं । नहरी क्षेत्र में रूल्स के अनुसार नाले नहीं होते तो वहां पर मवेशी और गाड़ियां चल नहीं सकतीं । अगर कोई गाड़ी उधर नहर के पास से निकलती है तो उनकी गाड़ी को सरकारी कर्मचारी नहर में डाल देते हैं । ऐसे कई केसेज हुए हैं । आपने लाखों रुपयों का प्रावधान रखा है मगर वहां हर सड़कें नहीं बन रही हैं । इससे किसान खेत और खलिहानों से अपना सामान मंडियों में नहीं ले जा सकता । एक जगह से दूसरी जगह पर अगर उनको जाना होता है तो बहुत चक्कर काट कर उनको जाना पड़ता है, इसलिये आप उनके लिये नालों की अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं कर सके ? बजट आपके पास है, आप प्रावधान रखते हैं मगर आपका काम नहीं हो पाता है और वह बजट में रखा हुआ रुपया यों ही लैप्स होता है । आप बजट में घाटा बताते हैं और जब बजट में घाटा होता है तो उसकी पूर्ति के लिये टैक्स लगाते हैं । यह टैक्स किसानों पर पड़ता है । मगर आप उन किसानों के लिये नाले नहीं बना सकते । जब तक आप नाले नहीं बनावेंगे तब तक उनके आवागमन का साधन ठीक नहीं होगा ।

सिंचाई के बारे में मैं यह कहूंगा कि इस साल पानी का अभाव रहा है, इस बात को आप महसूस करते हैं मगर फिर भी इसके बाद भी आपने यह तय किया कि इन इन तरीके पर पानी दिया जावेगा और इसके लिये आपने सिंचाई के नियम बनाये और कुछ सलाहकार समितियों का गठन किया । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उन सलाहकार समितियों से पूछ कर नियम बनाये और उनको पूछ कर पानी देने की बात की ? मैं कहूंगा कि आपने उनसे इस बारे में पूछा नहीं । आप सरपंचों और जन-प्रतिनिधियों से सहयोग की बात करते हैं मगर आप हमारी कठिनाइयों को सुनने के लिये हमें नहीं बुलायेंगे । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम और आप कोई अलग अलग नहीं हैं । आपको चाहिये कि जनता की बात को अच्छी तरह सुनें । मगर आपसे मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके अधिकारी जनता की बात को सुनना नहीं चाहते । जनता के प्रतिनिधियों की बात को सुनना नहीं चाहते । यदि कोई व्यक्ति जनता के प्रतिनिधियों के पास आवे और दुबारा अधिकारियों के पास जाता है तो अधिकारी उनसे यह कहते हैं कि आप अपने प्रतिनिधियों के पास जाइये ।

कोटा के इन्जीनियर हैं, जब हम उनके पास किसी बात के समाधान के लिये जाते हैं तो वे उसकी परवाह नहीं करते । हम उनसे कहते हैं कि लोगों का गन्ना सूख गया है उनको पानी दिया जावे । मगर उनको पानी नहीं दिया जाता और इसके अलावा यह होता है कि उनसे चार चार बार की वसूली की जाती है । उनको पानी नहीं दिया जाता फिर भी जब किसान को बिल बना कर देते हैं तो उस समय किसान की कोई सुनवाई

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

नहीं करते। क्या आप उस गरीब किसान से वह आशा करते हैं कि वह आपको सारी बातें कहदें ? इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में गंभीरता से विचार करें। सिंचाई विभाग और पंचायत विभाग और राजस्व विभाग यह देखें कि वास्तव में पिलाई हुई हैं या नहीं। हम यह नहीं सोचें कि हम उनको कोई पानी नहीं दें और फिर भी अपनी धांधलीबाजी से और भ्रष्टाचार से पैसा न मिलने पर मनमाने तरीके से बिल बना दें, यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, अब मैं इसी प्रकार से चम्बल प्रोजेक्ट में छंटनी मजदूरों की करना चाहते हैं.........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपने भ्रष्टाचार की बात कही है और अब आप छंटनी की बात कहते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इनको इस प्रकार कहने की अलग से बीमारी है। मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में छंटनी की बात रखी है।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : योजना में मजदूरों की आवश्यकता है। हो सकता है वह छंटनी शायद रुक जावे। संकटकाल में खास और ले आपको यह ध्यान रखना होगा कि किन-किन लोगों की छंटनी करें। आज १४०० में से ६५ को नोटिस दे दिया गया है। जबकि वहां पर माइनर प्रोजेक्ट और धोरे बनाने की जरूरत है, उसमें मजदूरों की जरूरत रहती है, इसलिये मैं यह कहूंगा कि उनकी छंटनी करना वाजिब नहीं है।

अब आपकी चम्बल में वाटर लॉगिंग की समस्या है। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जो जलमग्न रहते हैं और वहां पर किसी प्रकार की फसल नहीं हो सकती। मैं यह कहूंगा कि इसके लिये माननीय मंत्री यह कहते हैं कि उसके बदले में दूसरी जमीन किसान ले ले। मगर आप उनको जमीन दे नहीं रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि चार वर्षों से हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है और आपने उसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया है कि उनको दूसरी जमीन दे दी जावे। जिन लोगों की वह जमीन है वे लोग आपकी इस योजना को ठीक नहीं समझते। आपने यह योजना अधिक अन्न उत्पादन के लिये बनाई। मगर आज उसमें घास पैदा हो रही है। बहुत जमीन खराब हो रही है और उसकी उत्पादन शक्ति कम होती जा रही है। आप यह कहेंगे कि वाटर लॉगिंग की समस्या मिटाने के लिये ५ करोड़ रुपया खर्च करेंगे। मैं आपसे यह कहूंगा कि आज वाटर लागिंग के कारण भूमि ऊसर होती जा रही है और वहां पर ५ मन प्रति बीघा उत्पादन होता था वहां पर एक मन ही उत्पादन रह गया है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि किसान खुशहाल नहीं हुआ है। आपको चाहिये कि आप इस ओर ध्यान दें। क्या यह सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम लोग खुशहाल रहें ?

आप बड़े-बड़े बांध बनाइये, बिजली तैयार करें और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे दीजिये। आपको अपने घर में बिजली ३ पैसे यूनिट पड़ती है फिर भी आपने उद्योगपतियों को २ पैसे यूनिट में दी है। आप उसको सस्ती बिजली नहीं देते मगर उस पर खुशहाली का टैक्स लगाते हैं। मैं यह कहूंगा कि वह आपको खुशहाली का टैक्स नहीं दे सकता। वह खुशहाल नहीं है।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

वे किसान आपको सिंचाई का पैसा देते है, जो पानी आप उनको देते हैं उस पानी का पैसा देते हैं फिर आप उनसे और दूसरे टैक्स क्यों लेना चाहते हैं ? क्या आप यह मान कर चलते हैं कि किसान आज खुशहाल हो गया है; अगर आप यह मान कर चलते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है । आज ६० प्रतिशत किसान गरीब हैं और कर्जदार हैं और मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हठधर्मी से खुशहाली टैक्स वहां लागू करना चाहा तो कोटा का कोई किसान किसी कीमत पर टैक्स देने को तैयार नहीं है। माननीय ज्वालाप्रसादजी ने कहा था कि विरोधी पक्ष के लोग इस प्रकार के हालात पैदा करते हैं । क्यों साहब, योजनाएं बनेंगी तो शहर वालों के लिये, मेडीकल कॉलेज खुलेंगे तो शहरों में, सड़कें बनेंगी तो शहरों में; हमारे लिये कोई रास्ता ही नहीं और आप कहते हैं कि हम खुशहाल हैं । आप डामर रोड पर चलें, आपके लड़के कॉलेजों में पढ़ते रहें, आप बड़े-बड़े बंगलों में रहें और किसानों के लड़के पढ़ भी नहीं सकें, रास्तों में चल नहीं सकें ! जिस किसान के पास तन ढकने को पूरा कपड़ा नहीं वह खुशहाल और आप जो बड़े बड़े बंगलों में गुलछर्रे उड़ाते हैं, डामर की सड़कों पर चलते हैं, खुशहाल नहीं, आपसे टैक्स नहीं और उन गरीब किसानों से टैक्स और वह भी खुशहाली टैक्स ? यह सरकार कान खोल कर सुन ले टैक्स उन गरीब किसानों पर नहीं बड़े-बड़े लोगों पर लगाना पड़ेगा ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट एरिया के कारण डिमार्केशन गलत है, सौ-सौ, दो- दो सौ रुपया उसके पर बीघा वसूल किया जा रहा है । जिला कलेक्टर इस बात को मानते हैं, सिंचाई विभाग वाले मानते हैं, जिला परिषद् मानती है । इस पर आप ध्यान दीजिए ताकि किसान को राहत मिले और वह हमारे देश का उत्पादन बढ़ा सकें । किसान जिसके लिए आप "जय किसान" बोलते हैं और कहते हैं कि वह देश का उत्पादन बढ़ाये, केवल शास्त्रीजी के साथ गेहूं की बालियों सहित फोटो छाप देने से उत्पादन नहीं बढ़ा सकेगा ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सभापति जी, सिंचाई के लिए मंत्री महोदय ने मांगें पेश की है । मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक ४२ में ३ करोड़ ३५ लाख से ऊपर की डिमाण्ड की है । यह राजस्व की है आमद-खर्च की । इसमें आय होगी वह ५६ लाख की होगी । तीन करोड़ से ऊपर रु० खर्च कर रहे हैं और हमें वापिस चालू खर्चे पर यह कोई नया खर्च नहीं, उसमें ५६ लाख रुपये ही मिले, यह दुःख की बात है । अभी बूंदी से आये हुए भाई चम्बल की बात कर रहे थे । ६० करोड़ रुपया लगा, वे बेटरमेंट लेवी से बड़े नाराज हैं । भाखरा और चम्बल, ये दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, भाखरा से बेटरमेंट लेवी देते हैं और चम्बल की तरफ आन्दोलन सा चला हुआ है कि बेटरमेंट लेवी नहीं दी जाय । बेटरमेंट लेवी इसलिए जरूरी है कि एक जगह बड़े बड़े बांध और तालाब बंध जायें और दूसरी जगह नहीं बनें । जहां बड़े बड़े बांध और तालाब बने हैं वहां से पैसा नहीं आयेगा तो दूसरी जगह कैसे बनेंगे

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
क्या आप यह समझते हैं कि कोटा में बांध बन गया अब दूसरी जगह नहीं बने।

(विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों के हंसने पर)

हंसने की बात नहीं है........

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वहां के किसानों की हालत आप जानते हैं ?

(शोरगुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: आप चुप रहिए।

श्री सभापति : गोकुलप्रसादजी आप शांत रहिये। आप भी शान्त रहिए, बीच में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। आर्डर प्लीज! आपस में मत लड़िये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को कह रहा हूं।

मैं बाढ़ की बात कह रहा हूं घग्घर नदी में हर साल बाढ़ आती है, सरस्वती नदी को घग्घर नदी कहते हैं, उस बाढ़ को सरकार नहीं रोक सकी। ४ करोड़ रुपया खर्च किया गया उसके मोड़ पर और मोड़ टीबों में दे दिया गया। यह पानी हर साल आता है। पंजाब में पानी की आफत है, वे इतना पानी नहीं रख सकते इसलिए राजस्थान में फेंक देते हैं। इस पानी के उपयोग के लिए बीस-पच्चीस करोड़ की स्कीम बन सकती है और यह वेंटरमेंट लेवी के लिए मना करते हैं। चूरू, सीकर जिलों में वह पानी दिया जा सकता है........

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने विरोध किया है........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने आपसे कहा कि बीच में मत बोलिए। मैं कह रहा था कि बाढ़ का जो वह पानी आता है इसको काम में लेने के लिए २०–२५ करोड़ की स्कीम बन सकती है। हमारे यहां राजस्थान में पानी की बहुत जरूरत है। ईश्वर के नाम से इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं पानी के लिए। वह पानी, पंजाब में पानी की इफरात की वजह से, हमारे यहां आया हुआ है तो इस पानी को काम में लेने के लिए बड़ी स्कीम बनानी चाहिए। लोगों को सरकार पर भरोसा है, उन जिलों से कह दो कि हम आपके यहां पानी लायेंगे तो सरकार को पैसा उन जिलों से मिल जायगा आपने यह ४ करोड़ रुपया बिना स्कीम के लगा दिया। आप कह सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेन्ट एग्रीमेन्ट नहीं कर रही थी कि वह हमेशा पानी देती रहेगी। पर पानी तो हमेशा हमारे यहां आता है। ४० हजार क्यूसेक्स के लिए आपने यह किया अगर ५० हजार क्यूसेक्स, ६० हजार क्यूसेक्स या ७० हजार क्यूसेक्स पानी आ गया तो फिर बाढ़ आयेगी। तो १०–२० करोड़ रुपया लगाने से यह पानी काम में आ सकता है, तो क्यों नहीं इसे काम में लिया जाय, बजाय इसके कि इस पानी को आप टीबों में डाल दें।

हां, यदि राजस्थान कैनाल अगर १००-१०० करोड़ रुपये का बना सकते हैं तो क्यों नहीं १०-२५ करोड़ इसमें भी खर्च हो ताकि बाढ़ को कन्ट्रोल कर सकें। अगर इस तरफ आप ध्यान देंगे तो तीन–चार जिलों के लोग जिनसे मेरी बातचीत हुई है और पानी के मामले में भरोसा है; क्योंकि गंगानगर जिले में सरकार ने बांध बनाएं इसलिए आप उस भरोसे के साथ बनाइए और उनसे कहिए कि इतने रुपये

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

एकड़ पहले देने पड़ेंगे तो लोग तैयार हो जायेंगे।

उसके बाद बताता हूं जालौर जिले के बारे में जो बिल्कुल सूखा हुआ है। ट्यूबवेल्स का इन्तजाम सरकार कर रही है और पानी निकालते हैं यह सही है। राजस्थान के लोग पानी के बिना काश्त नहीं कर पाते थे लेकिन ट्यूबवेल्स से काफी सहयोग मिला है। अकाल हमारे यहां हर साल पड़ा है, इन पांच सालों में मंत्री महोदय ने बताया कि तीन साल बराबर अकाल पड़ा और इन तीन साल अकाल में अपने करोड़ों रुपये खर्च किए, करोड़ों रुपए की लगान नहीं ली। आप अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाते और तय करते कि इतने रुपए लगाकर इतने ट्यूबवेल्स जल्दी से जल्दी लगाएं ताकि राजस्थान कैनाल की लिफ्ट इरिगेशन जो है वह बीकानेर जिले में लाएं तो उससे अकाल नहीं पड़ेगा और राहत मिलेगी। ये घग्घर और राजस्थान कैनाल दो चीजें ऐसी है कि अकाल के प्रायः सभी क्षेत्रों को कवर करती हैं और आपको सिंचाई के मामले में ट्यूबवेल्स से लाभ पहुंचेगा। अगर ये लगवा देंगे तो अकाल से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपके करोड़ों रुपए लगते रहेंगे।

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां पहले अकाल नहीं पड़ता था। मेजा बांध बनने के बाद अकाल पड़ने लगा। सिंचाई विभाग ने ऐसी स्कीम भेजी कि कैचमेंट एरिया बहुत बड़ी ले ली उसके अन्दर जितने भी करीब २०० गांव थे उन सबका कैचमेंट एरिया बनाकर भेजा, बांध बनाया। हर गांव में तालाब है। सैकड़ों वर्ष बीत गए, कुछ तालाब फूट गए, सरकार इसलिये नहीं बनवाती कि मेजा का कैचमेंट है। विभाग वाले कहते है कि इन्जिनियर्स की गलती हो गई तो उसकी वजह से वहां के पचास हजार आदमी क्यों सफर करें? मैं आज तक यह करता आया हूं, ५०० एकड़ भूमि तालाब फूटने की वजह से खराब हो गई, पानी नहीं ठहरता। बरसात कितनी ही पड़े लेकिन पानी नहीं ठहरता, तो लोग भूखे मरेंगे। मैं तो यह अकाल मानवकृत मानता हूं। अगर राज्य के अधिकारी मेजे का कैचमेंट एरिया ठीक कर दें तो वहां के लोग अकाल से पीड़ित नहीं होंगे। यह अकाल मेजे में पहले कभी नहीं पड़ा। जहां बाढ़ आती थी उस जगह अकाल पड़ गया और अकाल के नाम से पैसा खर्च करते हैं लेकिन तालाब में मिट्टी नहीं डलवाएंगे और इसलिए नहीं डलवाएंगे कि यह मेजे का कैचमेंट एरिया है। अगर आपको किसी को खुश करना है तो दूसरों को मार कर नहीं करें।

जो तालाब फूटे हुए हैं, लोगों ने १००-२०० वर्ष पहले बनाए, उनकी मरम्मत न करवाने का आपको क्या हक है? या तो आप कह दें कि ये राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो वे बाहर कहीं चले जायें। यदि सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देगी तो वहां के लोग बलिदान देने को तैयार होंगे। वे सरकार से नहीं लड़ेंगे परन्तु अपने प्राण दे देंगे। उनके तालाबों में मिट्टी नहीं है, अगर पंचायत समितियों के पैसे से मिट्टी डालते हैं तो सरकार मनाही करती है। करीब २० पंचायतों के क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है। जालोर में तालाब है वह फूटा हुआ है। अकाल सहायता में १२ हजार लगाकर, इसकी मरम्मत क जाय, यह

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

प्रस्ताव आया, कलेक्टर ने मंजूर किया, लेकिन आपके इन्जीनियर्स जाते हैं और कहते हैं कि यह कैचमेंट एरिया है, यहां मिट्टी नहीं पड़ेगी। वहां सड़कें तो हैं नहीं, तालाब में मिट्टी नहीं डालेंगे तो आप क्या सहायता कार्य करवाएंगे ? मेवाड़ के गांवों में जहां जहां अकाल पड़े हैं इन्हीं कारणों से। अगर आप अकाल के प्रभाव को मिटाना चाहते हैं तो तालाबों की मरम्मत करवाइए, नए भी मत बनाइए लेकिन पुरानों की मरम्मत करवाइए और सारे इलाके में करवाइए, इसलिए यह कारण हो गया।

जैसे फॉर्मर राजस्थान बना उस समय जागीरदारों से जागीरें ले ली गई। उसके बाद तालाब जागीरदारों के हैं या सरकार के, इस झगड़े के अन्दर वर्षों तक जब यह तय नहीं हुआ तब तक तालाबों में एक रुपये का काम भी नहीं हुआ और १५ वर्ष के बाद उन तालाबों में से कई टूट गए मरम्मत नहीं करा पाए। कहीं कहीं तो पैसे लिए जागीरदारों ने तालाबों की पिलाई के। फैसला होगा कि तालाब सरकार के हैं, जागीरदारों का हक नहीं है लेकिन जागीरदार बिना पैसे लिए हुए तालाब को खाली नहीं करते और सरकार कुछ कहती नहीं। जागीरदार लेकर बैठ जाते हैं, वे पानी बहा देते हैं और अपनी काश्त करते हैं। सिंचाई विभाग कहता है कि हमारा हक है और नीचे पानी चला जाता है तो पैसा सरकार लेने को तैयार हो जाती है।

आपके मेजे की वजह से मांडल के तालाबों को नुकसान हुआ। आप फूटे हुए तालाबों की मरम्मत करवाइए ताकि अगले साल एक पैसा भी खर्च न हो।

बाढ़ के लिए आप घग्घर कन्ट्रोल स्कीम बनाएं। आप कहेंगे कि घग्घर की स्कीम में बरसाती पानी आता है उसकी वजह से १२ महीने नहर नहीं चल सकती। आपके व्यास बांध के बाद राजस्थान नहर में पानी की कमी नहीं रहेगी और घग्घर का पानी जब तक आए तब तक काम में ले लो नहीं तो व्यास बांध का पानी काम ले लो। इससे आसपास का जो इलाका है जैसे सीकर, झुंझुनू, उसको सरसब्ज बनाएं जैसे आपने ऊन ग्रेडेशन सेंटर्स खड़े किए जिससे वह लाभ हुआ जो १०० वर्षों में भी नहीं हो सकता था। महाजन इसका फायदा उठा लेते थे और सस्ते में ऊन ले लेते थे। लेकिन आपने जो नई स्कीम निकाली उससे उनको लाभ हुआ। तो आप वहां पर किसानों के लाभ के लिए पानी का इन्तजाम करें और भारत सरकार से लड़िए तो कई लोगों का भला हो जायगा।

श्री गंगासिंह (जायल) : सभापति महोदय, मांग संख्या २५, २६ व ४१ सिंचाई व सिंचाई के साधन कैपीटल से संबंधित हैं। यह सही है कि हमारी स्टेट कृषि प्रधान स्टेट है और खेती के लिए पानी की कितनी आवश्यकता हो सकती है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कृषि बिना सिंचाई के उन्नत नहीं हो सकती और इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि राजस्थान के अंदर इस सिंचाई के साधनों की उपलब्धि जितनी ज्यादा से ज्यादा की जा सके, की जाय।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है यह सही है कि सिंचाई के साधनों और उनकी गति में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। परन्तु जिस गति से इन साधनों की उपलब्धि होनी

(श्री गंगासिंह)

चाहिए, जिस कारण हमारी कृषि पिछड़ी हुई दिखती है। हमारे राजस्थान की बहुत सी भूमि ऊसर भूमि है उसमें कमी रह जाती है तो सिर्फ पानी के कारण। सिंचाई के साधनों से उस जमीन को यदि पानी दिया जाता है तो जो अब उपज हो रही है उससे ५० गुना हो सकती है। परन्तु जो स्कीम अब बनी है उसको देखते हुए सिंचाई के अंदर कुछ वृद्धि हो सकती है, परन्तु जिस गति से होनी चाहिए वह अब नहीं हो रही है।

ये सिंचाई के साधन कहां हों, कैसे हों इसके लिए टेकनिशियन्स की आवश्यकता होती है। हमारे राज्य के अन्दर टेक्निशियन्स मौजूद हैं फिर भी ऐसे क्या कारण हैं कि जो हमारे बांध बनाए गए हैं, वहां टेक्निकल गाइडंस के कारण लाखों रुपये का हर्जाना हो रहा है? इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की एक स्कीम थी, वह स्कीम थी स्केयरसिटी इरिगेशन वर्क की, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस इरिगेशन स्केयरसिटी वर्क्स का संबंध था उन इलाकों के अन्दर जहां पर कि अभी जो सिंचाई नहीं हो रही है नहरों से तथा उन इलाकों में जहां पर जमीन की तादाद काफी है और जहां पर अगर देखा जाय सिंचाई के साधन जुटाये जांय तो वहां की जमीन काफी तादाद में अनाज पैदा कर सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको करोड़ों रुपयों की राशि प्लानिंग कमीशन के सजेशन पर दी थी। चार शर्तें रखी थी, उन पर राशि लगायी जाय। सभापति महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके लिये २।। करोड़ रुपया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २।। करोड़ रुपया इसके लिये रखा था। उन पांच करोड़ रुपयों की राशि को आपने किस प्रकार लगाया, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। पांच करोड़ वह और इस स्कीम में जो राशि आई वह राशि आपने पोलिटिकल रीजन्स के कारण उन इलाकों में दी जहां उसकी आवश्यकता नहीं थी और आपके साथ शर्तें थीं उनके अनुसार भी वह वाजिब नहीं थी। जो फीगर्स मुझे उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार १८ जिलों में से २० स्थानों पर यह राशि लगाई गई थी। २१ स्थानों में से १३ उदयपुर डिवीजन में, ५ स्थान कोटा डिवीज़न में और तीन स्थान सारे राजस्थान में। जिस मक्सद से यह राशि दी गयी थी, जिस स्कीम के साथ आप कार्यक्रम चलाना चाहते थे उसका मक्सद पूरा नहीं होता है और प्रिप्लान्ड स्कीम के अनुसार जिस प्रकार काम होने चाहिये थे उस प्रकार से काम नहीं हो रहे हैं। वैसी सूरत में आपके इरिगेशन पर इसका बहुत असर पड़ता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पोलिटिकल रीजन्स के कारण कम से कम इरिगेशन की स्कीम है, कहां से चुनाव लड़ना है, वोटर्स के साथ कमिटमेंट किया हुआ है, यह उस आधार पर नहीं होना चाहिये। यह तो इस आधार पर होना चाहिये कि किस किस एरिया में ज्यादा स्कीम ली जायं जिससे एग्रीकल्चर को अधिक फायदा हो सके।

सभापति महोदय, इस समय आपका ध्यान उस स्कीम की ओर आकर्षित करूं कि कोटा डिवीज़न में एक पम्पिंग सेट की स्कीम थी। गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी कि उस स्कीम के जरिये गवर्नमेंट पम्पिंग सेट लगाये और इरिगेशन करे। हमारी जो कमेटीज हैं उनकी जो रिपोर्ट है उनके आधार पर मैं

(श्री गंगासिंह)

निवेदन करना चाहूंगा कि सन् १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० के अन्दर १ लाख ६३ हजार का खर्चा हुआ और आमदनी हुई ६५ हजार रुपया। वैसी परिस्थिति में आपको मालूम होना चाहिये कि कारण क्या है? आपकी जो कोई स्कीम हो, जो इरिगेशन और एग्रीकल्चर से सम्बन्धित हो, वह घाटे में तो नहीं जानी चाहिये, अगर उसको सुचारु रूप से चलाया जाय। आपने कारण मालूम किये होंगे, जो कारण अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में आये हैं, उसमें एक कारण यह था कि जो पम्पिंग सेट भेजे थे बहुत ही बेकार थे, बेकार पड़े हुए पम्पिंग सेट खरीद लिए जिससे आपको खर्चा ज्यादा पड़ा। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपने उन पम्पिंग सेट से सिर्फ रबी की फसल ली और दूसरी के लिये वे पड़े रहे। उसका कोई उपयोग नहीं हुआ और न जमीन का उपयोग हुआ। वैसी सूरत में यह लाखों का जो खर्चा हुआ है आप सही तौर पर इस ओर पूर्ण ध्यान देते तो इस तरह का खर्चा नहीं हो सकता था।

पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट थी, स्पष्टतया यह ध्यान आकर्षित करते रहे कि कोई भी स्कीम जो इरिगेशन से सम्बन्धित थी, उसकी जो मंशा थी, उसके अनुसार वह स्कीम नहीं हुई। वैसी परिस्थिति में मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कोई स्कीम लें उसको तह में जाकर, एक-दूसरे पर सारी स्कीम होनी चाहिये जिनसे इरिगेशन और एग्रीकल्चर का सम्बन्ध है, वह पूरी हो इससे एग्रीकल्चर ज्यादा बढ़े और इरिगेशन में जो कमियां हैं वे न रह सकें।

सभापति महोदय, इस ओर जहां पर कि मैंने पहले २ कहा था कि टेक्निकल सहायता न लेने और टेक्निशियन की गलती के कारण इरिगेशन का सारा का सारा चेप्टर है और जो सारा का सारा नुक्सान है उसको देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि यह सारा का सारा नुक्सान आपकी गलतियों के कारण हुआ। टेक्निशियन्स सही राय नहीं देते हैं तो आगे जाकर स्टेट को लाखों रुपयों का नुक्सान होता है। इसलिए जो बांध बनाये जाते हैं, इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो बांध बनाये गये, टेक्निशियन्स के कारण ही करोड़ों रुपयों का नुक्सान हुआ।

गुढ़ा बांध है। उसके अन्दर जो पहली टूट हुई उसके अन्दर रिपेयर्स के लिए २॥ लाख रुपया खर्च करना पड़ा। उसके दो साल बाद उसी बांध पर २॥ लाख और खर्च करना पड़ा। कोई बांध टूटता है तो उसके टूटने के क्या कारण हैं, क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, सारी की सारी स्कीम है उसी माफिक उसी टाइम पर रिपेयर्स होनी चाहिये, ताकि बार-बार रिपेयर्स की नौबत न आये। टेक्निकली ठीक तौर पर करते तो २॥ लाख की जगह चार लग जाते लेकिन बार-बार बाद में लाखों रुपया लगाते हैं और वे ठीक नहीं होते।

उसके बाद भीमल बांध है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा जिस पर १ लाख २७ हजार रिपेयर्स में लगाये। नये बांध अभी बनाये रिपोर्ट्स के माफिक काफी खर्चा आया है। वैसी परिस्थिति में मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि कम से कम रिपेयर्स हो उसमें कम से कम टेक्निकल सहायता पूरी लेकर टेक्निशियन की जिम्मेदारी लेकर कि

(श्री गंगासिंह)
पूरी जिम्मेदारी से काम किया है, इस प्रकार की सरकार की ओर से इन्स्ट्रक्शन्स होने जरूरी हैं।

इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिये निवेदन करूं कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। यहां तक कि एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है भाखरा के अन्दर १.३१ लाख का नुकसान हुआ, जो केपिटल आउट ले का ५ लाख आता है। इसी प्रकार चम्बल प्रोजेक्ट का ९९ लाख केपिटल आउट ले का ५.४ लाख आता है। जवाई पर ११.६३ हजार का नुकसान हुआ और मांवता पर ५.५३ हजार का नुकसान हुआ। सभी प्रोजेक्ट्स आये हैं उनमें ६० करोड़ का घाटा हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मन्त्री) : ६० करोड़ तो खर्च ही नहीं हुए। घाटा कहां से हो गया?

श्री गंगासिंह : करोड़ों रुपयों का घाटा है जिसके कारण आपका ध्यान इस समय जरूर आकर्षित करूंगा कि इस ओर ध्यान रखें।

उसके साथ साथ मेरे जिले की जो प्रोब्लम्स हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे जिले में हुसोर बांध है उसकी सिंचाई की जमीन बहुत कम है। मेरी यह प्रार्थना है कि इसका कमान्ड एरिया बढ़ाया जाय और सिंचाई के लिए सुविधायें दी जायें। इसके साथ साथ जो हमारा इलाका है वहां बरसात का पानी है वह फालतू बहता रहता है, उसको रोक कर बांध बनाया जा सकता है। खाटू के मगरे के पास जो जमीन है उसके पास पानी को इकट्ठा करने के लिए योजना बनायी गई उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाय ताकि इरिगेशन बढ़ सके।

इसी प्रकार और जो तालाब हैं जिनमें मगरों से पानी आता है उनको इकट्ठा करके काफी सिंचाई हो सकती है।

मुख्य बात जो मुझे इस समय कहनी है कि नागोर तहसील के कुछ इलाके के अन्दर राजस्थान केनाल का पानी लिफ्ट करके सिंचाई के काम में लेना चाहते हैं; इस स्कीम को मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाय। इसके बारे में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति ने भी रिजोलूशन पास करके भिजवाया है कि जो भी रेट पानी का आप निर्धारित करेंगे उस पर वे पानी लेने के लिए तैयार हैं।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : सुश्री उमा माथुर।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, हमारे सिंचाई मन्त्री महोदय की अलवर जिले से क्या नाराजगी है जिससे अलवर जिले को सिंचाई के साधनों से लगातार वंचित रखा जा रहा है? हम लोग इस विधान सभा में और कई बार मन्त्री महोदय से मिल कर तथा पंचायत समितियों एवं जिला परिषद द्वारा इस बात का अनुरोध कर चुके हैं कि सिंचाई साधनों के सम्बन्ध में हमारे जिले की उपेक्षा न की जाय। अलवर जिले का किसान महनती है, वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है लेकिन पानी के अभाव में हम जो देश की खाद्य

(कुमारी उमा माथुर)

समस्या हल करने में सहयोग देना चाहते हैं वह दे नहीं पाते हैं। देश की इस समस्या का समाधान करने में अलवर जिला अपना भाग अदा करना चाहता है, वह नहीं कर सकता है। अलवर स्टेट के टाइम में भी अलवर जिले में सिचाई के लिए बहुत छोटे छोटे बांध बन्धे हुये थे उन बान्धों के द्वारा ही सिंचाई हजारों बीघा की होती थी, आज वे पुराने बान्ध मरम्मत के अभाव में खाली पड़े हैं और हम सिंचाई साधनों के अभाव में कष्ट सह रहे हैं।

अलवर की भौगोलिक स्थिति के कारण हम यह तो आशा नहीं कर सकते कि अलवर जिले में किसी बहुत बड़े बान्ध का निर्माण होगा या कोई नहर निकाली जायगी। हम तो चाहते यह हैं कि कम से कम हमारे यहां जो पुराने बान्ध थे उनकी तुरन्त मरम्मत कराई जाये। जिससे सैंकड़ों हजारों बीघा भूमि की सिंचाई हो सकती है वह सिंचाई की जाय।

मैंने पिछले साल भी यह प्रश्न सदन में उठाया था। माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब देते हुए कहा था कि कुछ छोटे-मोटे प्रश्न अलवर से आने वाली सदस्या ने उठाये हैं उनकी ओर ध्यान दिया जायगा। यह माननीय मन्त्री महोदय के लिए छोटी-मोटी बात हो सकती है किन्तु हमारे लिए यह महत्वपूर्ण विषय है। केवल छोटे बांधों के द्वारा हजारों बीघा भूमि की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे अलवर जिले के किसान की हालत सुधर सकती है, उनकी आमदनी बढ़ सकती है। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं आप इन बातों को छोटी-मोटी कह कर इस प्रकार न टालें। अलवर जिले में जो कुछ छोटे-मोटे बान्ध हैं उनके विषय में कुछ कहना चाहूंगी।

रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में धौली नाम का बान्ध है जो अलवर स्टेट के समय से चला आ रहा है। आज उसकी मरम्मत नहीं होने के कारण वहां न केवल सिंचाई होती थी उसका अभाव हो गया बल्कि उल्टा उससे नुकसान हो रहा है। बरसात के दिनों में उसका पानी बहकर रामगढ़ ग्राम में, वहां के हरिजन मौहल्ले में, भर जाता है। उससे वहां के लोग परेशान होते हैं। जिस समय इस प्रकार स्थिति पैदा होती है तो अलवर के कलेक्टर, तहसीलदार, इरिगेशन विभाग के अधिकारी सब भाग भाग कर जाते हैं, हम एम. एल. एज. भी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर आश्वासन देते हैं। लेकिन उन आश्वासनों का कोई परिणाम नहीं निकलता।

भोडिया, धाटला का बान्ध, बालेटा, लहरवाड़ी, बुजाका बान्ध, विजयसागर, बाण गंगा बांध, ये बान्ध हैं जिनका मुझे ज्ञान है, जिनके विषय में मैं कह सकती हूं। इनमें थोड़ा थोड़ा धन लगाकर सुधार कर दें तो हजारों बीघा भूमि में सिंचाई हो सकती है और उस जिले की हालत सुधर सकती है।

सभापति महोदय, हम अलवर से आने वाले लोग रूपारेल नदी का जो बन्धा नटनी के बारे पर है उसके लिए प्रश्न उठाते हैं तो उस प्रश्न को केवल भरतपुर और दो राजाओं का आपस में समझौता हो गया इस बात को कहकर टाल दिया जाता है। इस बात को आप टेकनीकली एग्जामिन कराइये। यह बताइये कि इस पानी को अलवर में बान्ध के रूप में बांध लें तो कितनी भूमि की सिंचाई हो सकती है? वह पानी भरतपुर में नहीं पहुंचे तो कितना

(कुमारी उमा माथुर)

नुकसान हो सकता है। भरतपुर में तो और भी कई बान्ध हैं। मेरी सूचना है कि वहां बरसात में बाढ आती है, पानी से वहां काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भरतपुर में जो सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं उनको टेक्निकली एक्जामिन करवाइये और वह बान्ध अलवर में बन्धता है तो उससे कितनी सिंचाई का लाभ मिल सकता है। ऐसे देख कर फैसला करिये।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में उन्नति हुई है; किसानों की हालत सुधरी है, बड़े-बड़े बान्ध बान्धे जा रहे हैं, बिजली और सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जा रहे हैं। किन्तु हमारे यहां जैसी आज स्थिति है उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां जो छोटे-छोटे और पुराने बांध हैं उनकी मरम्मत करवाई जाय। और नये बान्ध बान्धे जा सकते हैं तो उनके बारे में भी तुरन्त कार्यवाही की जाय।

हमारे यहां रूंध सीरावास में दो कृषि सहकारी समितियां हैं जिनके पास ५०० और ८०० बीघा जमीन है। एग्रीकल्चर आफिसर इरिगेशन इन्जिनियर, पंचायत समिति के सदस्य और हम वहां के एक स्थान का निरीक्षण करने गये। एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा व पंचायत समिति के द्वारा आपके पास लिखकर भेजा है कि यहां पर एक बान्ध बना दें, बहुत अच्छा बान्ध बन्ध सकता है जिससे दो तीन हजार एकड़ में सिंचाई हो सकती है। इस बात को चार-पांच महिने बीत गये, पंचायत समिति के पास कोई उत्तर नहीं आया कि क्या एक्शन लिया गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि अलवर जिले की उपेक्षा की जा रही है मैं निवेदन करूंगी कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, मेरा कटमोशन था लेकिन इनको समय दे दिया गया, वह तो ठीक है, लेकिन मुझे भी समय मिलना चाहिए।

कुमारी उमा माथुर : सभापति महोदय, दूसरा मेरा कटमोशन है जिसके अन्दर अलवर जिले में जयसमन्द बान्ध है उसके पानी के समुचित वितरण व्यवस्था के संबंध में है। मन्त्री महोदय इस स्थान पर जाकर वहां पर देखें कि पानी वितरण में कितनी भारी अव्यवस्था है। आधे से ज्यादा पानी वेस्ट होकर चला जाता है, न नालियां ठीक से बनी हुई हैं न नाले की मरम्मत ही हुई है। इस विषय में विभाग के कहने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया।

(१.०० म० प०)

पहिले सारा प्रबन्ध वितरण का सिंचाई विभाग के हाथ में था और वह इसको पिछले सालों के वितरण के आधार पर वितरित करते रहते थे। अब कुछ दिनों से इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है।

वितरण करते हैं सिंचाई विभाग वाले और कार्यक्रम बनाते हैं राजस्व विभाग वाले। गरीब किसान बेचारा भेड़ के माफिक है। पहले उनकी खाल और बाल अकेला सिंचाई विभाग ही उखाड़ा करता था, पर अब उनकी खाल उखाड़ने वाले ये दो विभाग हो गए हैं। अगर एक विभाग में वह आज जाकर शिकायत करता है तो वह कह देता है कि यह व्यवस्था दूसरे विभाग की है। दूसरे विभाग वाले के पास जाते हैं तो कह देता है

(कुमारी उमा माथुर)
कि आधी व्यवस्था हमारे पास है आधी उसके पास है। कभी जिले-दार और कभी पटवारी को खोजने में खेती सूख जाती है।

इसके लिए एक व्यवस्था की गई कि पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर सरपंचों की और सम्बन्धित व्यक्तियों की मीटिंग बुलाई जावे और वहां तय किया जावे कि पानी का वितरण कैसे किया जाए ? पंचायत समिति में बैठ कर पानी के वितरण का कार्यक्रम बना दिया जाता है। एक-एक दिन का वितरण निश्चित कर दिया जाता है, पर इसका भी पालन नहीं किया जाता।

ये लोग चाहें आपके विभाग वाले हों, चाहे राजस्व विभाग वाले हों, चाहे इरिगेशन विभाग वाले हों, चाहे जिलेदार साहब हों, चाहे पटवारी हों, जब तक उनको अपनी-अपनी भेंट-पूजा नहीं पहुँच जाती है तब तक किसी प्रकार भी पानी का वितरण नहीं किया जाता है।

गांवों के लोग इसके लिए आपस में लड़ते हैं। सौ-सौ, डेढ-डेढ सौ आदमियों को लड़ाकर ये तमाशा देखते हैं। १०७ और दूसरे-दूसरे मुकदमे चलते हैं, पर व्यवस्था आपकी नहीं बन पाती। सन् ६२ में इसी प्रकार चार गांवों के लोगों में आपस में झगड़ा हुआ तो कलेक्टर महोदय ने बाकायदा फैसला किया। मैं उस फैसले की कुछ लाइनें सुनाती हूं। पर इसका पालन आज दिन तक नहीं हुआ:—

"It is ordered that the water may be given to villagers Nagal Palkhi and Nagal Ratawat for a period of 9 days by diverting the water fully towards these two villages by closing sluice No. 2. The water of the feeding channel should not be allowed to go in sluice No. 2 since the fields in the 8 villages Dharampura, Akbarpura etc. have already been irrigated once."

सभापति महोदय यह नवम्बर सन् ६२ का फैसला है। आज तक इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ। ६३ में ये लड़ते रहे, ६४ में लड़ते रहे और ६५ में भी लड़ते रहे। लगातार लड़ते रहते हैं। कलेक्टर एस. पी. को लिखा, एस. पी. ने एस. एच. ओ. को लिखा है। अनवार सदर के कागजात ११. ३. ६६ को नम्बर ४७६ पर थाने में भेज दिये थे, अब तक वापिस नहीं आये कि कितने आदमियों की जरूरत है, जनता पानी के बिना परेशान है अब कागजात लेकर कल १० ए. एम. पर मेरे दफ्तर में आओ। इसमें गलती न हो। अगर कहीं कागज भेज भी दिए हैं तो भी पता करलें।

सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो पानी बरसा ही नहीं, जो थोड़ा बहुत बरसा उसके वितरण की व्यवस्था में इतना भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां हैं कि उनका लाभ गरीब किसान सही तरीके से नहीं ले सकता; तो मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाती हूं कि वह जानकारी करेंगे कि नहरों की ओर उनकी नालियों की मरम्मत के लिए जो रुपया विभाग के पास है उसका उपयोग सही रूप में क्यों नहीं किया जा रहा है और पानी के वितरण का जो तरीका है, पहले की व्यवस्था के अनुसार जिनको दिया जाता रहा है, उनको देने में इतनी अनियमितता और अव्यवस्था क्यों बर्ती जाती है ?

दूसरा निवेदन यह करूंगी कि अलवर जिले का सिंचाई साधनों की दृष्टि से सर्वे

(श्री देवीलाल)

करावें कि जहां-जहां छोटे-छोटे बान्ध, नालियां, एनीकट के स्थान हैं उनका सर्वे करा कर ठीक करावें। जिस प्रकार आपने जालौर में ट्यूब वैल की व्यवस्था की है उसी प्रकार अलवर में भी ट्यूब वैल की व्यवस्था करावें। मालाखेड़ा पंचायत समिति तथा रामगढ़ पंचायत समिति ने आपको लिखकर भी भेजा है कि वहां के काश्तकार जो भी पैसा सरकार मांगेगी ट्यूब वैल लगाने के लिए वह देने को तैयार हैं। अतः निवेदन है कि आप अपनी नाराजगी इस जिले के प्रति न रखें और अलवर जिले की इस प्रकार उपेक्षा न करें।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : आप शान्त होकर बिराजें। बोलना चाहते हैं आप ज्यादा आज, और समय थोड़ा है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पांच-पांच, सात-सात मिनट में खास-खास मुद्दे आप कह दें। जनरल बहस की तरह बात न कही जावे।

श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (सराड़ा—सु.) : माननीय सभापति महोदय, मैं सराड़ा तहसील की ओर माननीय सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जयसमन्द की शाहपुरा केनाल पक्की करने की योजना थी। यह केनाल डींगरी तक जाती है, इसकी हालत बहुत खराब है। यह तीन-चार मील लम्बी है। इसकी हालत खराब होने से नुकसान होता है और पक्की नहीं करने से सीपेज होता है और काश्तकार इससे परेशान हैं। सारी जमीन इससे ऊसर हो गई है। कोई पैदावार उसमें नहीं होती। खुशहाली टैक्स ऐसी हालत में लेना ठीक नहीं होगा जमीनें ठीक नहीं होंगी तो, वसूल होना कठिन होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरसिया डींगर और शाहपुरा केनाल को पक्की बनाया जावे।

दूसरा, तालाब की नहर जो राइट और है वह दो साल से बनी हो है पर अधूरी पड़ी है पूरी बन नहीं पाई। बीच में ठेकेदार ने छोड़ दी। वह बीच में से पचास फीट तक टूट गई तो जो सिंचाई होने योग्य जमीन थी, वह भी नहर का पानी नहीं जाने से बन्द हो गई। काफी लिखा पढ़ी भी की गई। तो अब यह कैनाल पूरी की जावे। पानी भी इस समय काफी भरा पड़ा है। कैनाल ठीक बन जावे तो काफी जमीन सिंचित हो सकेगी।

तीसरा, नठारा का पहले पुराना तालाब है जो महाराणा फतहसिंह जी के वक्त में बनाया गया था आज के जमाने में पांच लाख रुपये में बन नहीं सकता है और काफी मजबूत पाल बनी थी। पर बीच में ४५, ४६ और ४७ में काफी वर्षा से वह टूट गई। वर्मा साहब की सरकार के वक्त उसकी मरम्मत हुई। पर आगे जाकर सिंचाई विभाग की तरफ से उसकी देखरेख नहीं है।

एक चौकीदार खेजड़ तालाब पर रखा है, वह आता है, देखकर चला जाता है। वहां के लोगों की मांग है कि अगर उसको पांच सात फीट और ऊंचा करा दिया जावे तो उससे डेढ़ दो सौ बीघा जमीन थाना रायली, लालपुरा तक की जमीन सिंचित हो सकती है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं। यह आदिवासी, पिछड़े हुए

(श्री देवीलाल)

काश्तकारों का क्षेत्र है, इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

सेमारी स्कीम दो साल से चल रही है। गत साल से बन्द है। अभी तक काम चालू नहीं हुआ, ठेकेदार को दिया है, वह बहुत धीरे काम कर रहा है। गये वर्ष पानी काफी निकल गया। आस पास के गांवों को पानी नहीं मिला तो फायदा ही क्या? इसलिये इस का निर्माण शीघ्रता से कराया जावे!

चौथा, एक स्कीम रिजर्वेयर सोमयीक वियर से काश्तकार परेशान है। पानी की कमी थी तो पानी इतनी दूरी पर नहीं देना चाहिये था। पर बहुत लम्बा दे दिया गया, डूंगरपुर जिले में काफी लम्बा दे दिया गया। सराड़ा के गांवों को नहीं मिलने से उनकी फसलें सूख गई हैं तो उनकी पिलाई में भी छूट की जावें।

इसी तरह से एक कटमोशन है जो जवाई की योजना पहली पंचवर्षीय योजना में बनाने की थी वह स्कीम काफी समय हो गया है, आज १०-१५ साल हो गये हैं, वह स्कीम बनने को थी लेकिन उसका पता आज तक नहीं लगा कि उसका क्या हुआ? जवास के पास जो बांध बांधने की स्कीम थी उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। वह स्कीम बनी है या नहीं, यह मालूम भी नहीं है। अगर यह स्कीम बनाई जाय तो खेरवाड़ा तहसील में जो आये वक्त अकाल पड़ता है उससे उसमें काफी फायदा हो जायेगा और लोगों का अकाल की समस्या मिट जायगी और इस समस्या को हल करने के लिए यह स्कीम तैयार कराई जाये तो अच्छा है।

इसके अलावा गत वर्ष भी अकाल पड़ा था और उस समय मजदूरों को काम देने की समस्या आई थी और इस वर्ष भी हमारा क्षेत्र अकालग्रस्त है। बलुआ पाल की स्कीम बनाई है जो मेरा अन्दाज है १ लाख या २ लाख की स्कीम है, अगर माननीय मंत्रीजी उस पर ध्यान देकर इस वर्ष रिलीफ के प्रोग्राम से करायें और किसी तरह से करायें तो उससे सिंचाई के साधन भी मिलेंगे और तालाब का काम भी होगा और मजदूरों को भी काम मिलेगा। आप इस तरफ ध्यान देकर काम करेंगे तो अकाल की समस्या हल हो सकती है।

बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री सभापति : श्री उदयलाल वरदिया।

श्री उदयलाल वरदिया (लसाड़िया) : सभापति महोदय, जोखम नदी घाटी योजना के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जोखम नदी घाटी योजना ५० हजार एकड़ जमीन को पानी दे सकती है, उसका सर्वे आदि सन् ५२ से ५४ तक समाप्त हो चुका और उसके नीचे पिक-अप भी बन चुका है और आज जो अन्न के मामले में हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार भीख मांग रही है, तरस रही है, वहां ५० हजार एकड़ की सिंचाई वाले बांध की तरफ नहीं देखना और मौन रहना, यह कहां तक उचित है? यह बात जरूर है कि वहां सन् ६२ तक कार्यवाही चलती रही और जब ६२ में मैं इधर बैठा, तो क्योंकि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है और उससे ५० हजार एकड़ जमीन में पानी जाने वाला है उसके लिए सरकार आज क्यों बैठी हुई है, समझ में नहीं आता? इसी प्रकार से लसेड़ी निर्वाचन क्षेत्र में करीब

(श्री उदयलाल वर्दिया)

२४० गांवों में से एक गांव भी ऐसा नहीं है कि जिसमें सजल नाला नहीं हो और बांध नहीं बंध सकता है। उसमें भी गगरी दातलिया की सर्वे हो चुकी है और वह भी ५ हजार एकड़ जमीन को पानी देने वाला है लेकिन उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह से वड़ूर नदी घाटी भी करीब ५-७ हजार एकड़ जमीन को सिंचाई देने वाली है। और देवलां, अगड़ा, काली भीन्त, लसाड़िया, धावड़ा, वेल्या के भैरव का बांध हमने वहां के मौके को दिखाया है और लोकल आदमियों से दिखाया है, लेकिन उसका आज तक सर्वे नहीं हुआ। सूंखली नदी का और परना का बांध का मौका भी दिखा दिया है लेकिन सिंचाई विभाग नींद में सोया हुआ है और यहां कोई प्रगति नहीं हुई है। तो मैं यह बताऊं कि उसका मौका दिखाया और जिसके नाम मैंने प्रस्तुत किये यह यदि हो जाते हैं तो कम से कम उदयपुर डिविजन में गेहूं आदि भेजने की आवश्यकता नहीं आयेगी, बल्कि सरप्लस करके बाहर भेज सकते हैं। सलूम्बर पाल खंडेला का भैमा-२ जिसमें करीब ५ हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है और मदेर का बांध जिससे करीब ५०० एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है इस तरह के करीब करीब तीन-चार सर्वे हो चुके है और उसमें हठधर्मी यह चल रही है कि कुछ नहीं होता। वहां एक बंध इतना अच्छा है कि जिसको बदल कर एक छोटा सा तालाब लिया जा रहा है राजनैतिक कारणों से जिससे कि पैसा भी ज्यादा खर्च होगा और जमीन भी कम सींचने में आयेगी। हमारी पार्टी के नेता महारावल साहब ने भी मौका दिखाया और इरिगेशन डिपार्टमेन्ट को उस मौके के लिए चिट्ठी लिखी कि इसका सर्वे कराया जाय लेकिन उसकी तरफ राजनैतिक कारणों से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इसी तरह से वेरावड़ सलूम्बर तहसील में और बराना पंचायत में भी ७-८ नाले ऐसे हैं कि जो दो, दो और चार, चार हजार एकड़ की सिंचाई दे सकते हैं लेकिन आज दिन तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए मैं ध्यान आकर्षित करने के लिए यह थोड़ा सा संकेत करता हूं।

श्री सभापति : श्री सेन्टर।

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा हमारे कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और कुछ कारणों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जिसके कारण यह कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा ......

एक माननीय सदस्य : सिंचाई मंत्री भी हैं।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह सिंचाई का नक्शा सामने रख कर देखें और गौर करें तो उन्हें मालूम होगा कि जिला झालावाड़ पंजाब से कम नहीं है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाव और झेलम आदि नदियां पंजाब में बड़ी बड़ी हैं जिससे वह प्रदेश पैदावार की दृष्टि से आगे बढ़ा है। इसी तरह से जिला झालावाड़ में ७ नदियां बड़ी बड़ी हैं चम्बल, कालीसींद, उजाड़, परवन, घोड़ा-पछाड़, पार्वती, अन्डेरी, आऊ यह बड़ी बड़ी नदियां हैं और इसी माध्यम में मैं यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग ने राजस्थान लेवल पर सर्वोच्च प्राथमिकता भीमसागर

(श्री प्रभुलाल सेन्टर)

बांध को दी है। जहां तक चम्बल और राजस्थान नहर का सवाल है यह भारत सरकार की योजनायें हो सकती हैं लेकिन जहां तक हाड़ोती प्रदेश का सवाल है उससे हाड़ोती के २।३ हिस्से में सिंचाई भीमसागर से होगी और इसलिए राजस्थान सरकार ने इसको प्राथमिकता दी होगी जिसे आज ३० वर्ष हो गए हैं। दूसरा इलाका है कोटा जिले में किशनगंज और शाहबाद। यह डाकू ग्रस्त एरिया है और यह पैदावार की दृष्टि से अच्छी भूमि भी है। यह कृषि मंत्रीजी नन्दनवन की तरह से है। मैं समझता हूं कि इसमें ऐसे जलश्रोत मिलते हैं जिनका कि पहले रियासत कोटा के जिलों में सिंचाई के लिए उपयोग होता था तालावों और कुण्डों से, जो आज भी विद्यमान हैं, टूटी फूटी हालत में हैं जिनमे आज भी मरम्मत कराई जाये तो सिंचाई हो सकती है। नाहरगढ़ में एक तालाब है। उससे भी काफी सिंचाई होगी। किशनगंज और शाहबाद के क्षेत्र में एक बंध बनना चाहिए और जलश्रोत का उपयोग होना चाहिए। वह डाकू ग्रस्त एरिया है और वह आदिवासी क्षेत्र है। वहां पर आदिवासियों की आबादी ७५ प्रतिशत होगी। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि किशनगंज और शाहबाद की तरफ सिंचाई की दृष्टि से विचार किया जाये।

अब मैं जिला झालावाड़ पर आता हूं। आदरणीय कृषि मंत्रीजी जहां तक चम्बल का सवाल है भारत सरकार की स्कीम है और आपके तत्वावधान में है लेकिन हाड़ोती प्रदेश में चम्बल से १।३ हिस्से में सिंचाई होती है जब कि भीमसागर बांध से २।३ हिस्से में सिंचाई हो सकती है। मैं तो यह मान कर चलता हूं कि कोटा डिविजन राजस्थान में कृषि की दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया है और इसमें इन नदियों के कारण खानपुर क्षेत्र में पूरे में तथा हाड़ोती क्षेत्र में २।३ हिस्से में सिंचाई हो सकती है उसकी तरफ अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक अपने जलाशयों का सवाल है मैंने कई बार जिला परिषद् में भी कहा है और कई बार इरिगेशन विभाग का ध्यान भी आकर्षित किया है कि भीमसागर में जो कालीसिन्ध और पर्वन नदी पूर्व पश्चिम और उत्तर में बहती है उसमें अथाह जलाशय है। इनमे अगर पम्पिग सेट लगाया जाय तो काफी सिंचाई हो सकती है। आज भी वह क्षेत्र जो अभी पैदावार होती है उससे तिगुनी पैदावार दे सकता है। इसी साल के अन्दर। जहां ३५ इन्च वर्षा से पैदावार होती थी इस साल १४ इन्च वर्षा हुई है। अगर यहां पर पम्पिग सेट लगा दिया जाय तो पैदावार पर काफी असर पड़ सकता है।

कोटा जिले में जो जिलाबन्दी की गई है उसका असर भी यहां पर सबसे ज्यादा हुआ है। इस जिलाबन्दी की वजह से ही यहां की पैदावार में भी काफी फर्क पड़ा है इसलिए इस ओर भी ध्यान दिया जाय।

जहां तक कुओं को गहरा करने का प्रश्न है, मेरे इलाके में जो कि पहाड़ी इलाका है उनमें पचास साठ गांवों में पीने के पानी की बड़ी समस्या है और इससे वहां के लोग पास के आठ दस मील के इलाके में जाकर बस जायेंगे। मैं समझता हूं कि इन दिनों में जलाशयों को और कुओं को गहरा किया जाता है तो उनकी दिक्कत मिट सकती है। वह अपने घर को छोड़कर बाहर जाकर नहीं

(श्री प्रभुलाल सेन्टर)

बसेंगे । इसलिए पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ को एक बोरिंग मशीन और एक एक ब्लास्टिंग मशीन दी जाय जिससे वहां पर ब्लास्टिंग का काम हो सके । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पंचायत समिति खानपुर को ब्लास्टिंग मशीन मिल जानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को अपने कूए गहरे करने में दिक्कत न हो और वे सिंचाई कर सकें और पानी के लिए इधर उधर तरसते न फिरें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तकावी के बारे में भी मेरा निवेदन है कि इस इलाके में तकावी भी कम मिलती है । आपके तकावी के आंकड़े उठा कर देखिए, यह खानपुर पंचायत समिति में जो हाड़ौती का कुन्ड है, इस जलाशय से हाड़ौती के २।३ हिस्सा एरिया में सिंचाई हो सकती है उसकी ओर आप ध्यान दें ।

असनावर के निवासियों में कुछ को तो मुआवजा मिल चुका है लेकिन अभी भी बहुत से मामले विचाराधीन हैं, उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा मिलना चाहिए । जब भी कहते हैं तो यही जवाब दिया जाता है कि प्रश्न विचाराधीन हैं, भीमसागर का मामला विचाराधीन है । बारह-बारह वर्ष से मामले विचाराधीन चल रहे हैं, इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इन प्रश्नों की ओर ध्यान दें और जो जो नहरों की समस्यायें यहां रखी गई हैं उनका समाधान करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ सके और जब झालावाड़ का नक्शा उठा कर देखें दुबारा तो झालावाड़ पंजाब नजर आए और किशनगंज शाहबाद नन्दन वन नजर आएं । इसलिए आदरणीय कृषि मंत्रीजी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

झालावाड़ जिले की तरफ और किशनगंज शाहबाद की तरफ ध्यान दें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चम्बल और राजस्थान कैनाल तो भारत सरकार की योजनाएं हैं.......

श्री सभापति : श्री चौसरसिंह बावेल ।

श्री चौसरसिंह बावेल (वैर) : सभापति महोदय, सिंचाई को बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें बनाई गई हैं और अगर उन स्कीमों को पूरी तरह से कार्य रूप में परिणत किया जाय तो देश का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन वह कार्य रूप में परिणत नहीं हो रही हैं, ऐसा लगता है । जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है तो उसको भी सुनकर माननीय मंत्री महोदय एक बार मुस्करा दिए और उसका जवाब वे क्या देंगे, यह तो आगे आएगा । लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो स्कीमें या घाटे की बातें, हम लोग उनके सामने रखते हैं तो उनको चाहिए कि वे उन पर विचार करें ।

अभी एक माननीय सदस्य, लसाड़िया से आने वाले माननीय सदस्य, ने एक बात कही कि जाखम की घाटी नदी से पचास हजार एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती

(श्री चौसरसिंह बावेल)

है। उसके बारे में एक दफा स्कीम भी बन चुकी है और उस पर ६२ तक काम भी जारी रहा और फिर बन्द हो गया। उस पर फिर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इतनी बड़ी पैदावार की जगह अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो यह देश के साथ और हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय है, आप इस पर विचार करें।

मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा कि अनोपपुरा जो बैंगू तहसील में है, उसका बांध थोड़ी सी रकम में बन सकता है। उसके बंध जाने से हजारों बीघा जमीन में सिंचाई हो सकती है।

इसी तरह से हेमरी का तालाब है, उसके नीचे काफी जमीन आई हुई है और उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। डोराई का तालाब है जिसको थोड़े से रुपयों में ही बांधा जा सकता है। इसी के पास खुमावास बांध की स्कीम है जो लाखों रुपयों की स्कीम है वह न मालूम कब तक पूरी होगी। इसकी जांच के लिए इंजीनियर भी भेजे गए, वे लोग उसे देख भी चुके हैं और उन्होंने कहा कि इसके काफी भाग में पत्थर हैं, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके नीचे हजारों बीघा जमीन काबिल काश्त बेकार पड़ी हुई है। आपको जो कुछ भी करना है जल्दी करिए। एक तरफ तो लोग भूखों मर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं।

इसी तरह औराई बांध का मामला है जिसमें लाखों रुपया खर्च होगा। इसके नीचे भी हजारों बीघा जमीन पड़ी हुई है जिसका अलॉटमेंट नहीं किया जाता है और कहते हैं कि इस पर बांध बनेगा। लेकिन इसमें भी देरी की जा रही है। जो ठेकेदार को काम दिया गया है वह भी टाइम पर पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर इतनी बड़ी तादाद में जमीन पड़ी हुई है उसका जल्दी से जल्दी अलॉटमेंट करें और जो बांध बांधना है उसको भी जल्दी पूरा करें।

राणाप्रताप सागर बांध में भी देरी हो रही है इसके बारे में भी आप विचार करें। मैं इस बारे में लम्बी चौड़ी बातें नहीं कहना चाहता लेकिन मेरा निवेदन है कि जो राणाप्रताप सागर का बांध बंध रहा है और जितने डूब के गांव हैं, जिनकी जमीनें ली गई हैं उनको आपने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। हाई कोर्ट तक मामले चले गए हैं, लोग पश्चाताप कर रहे हैं।

राजगढ़ और कालादेश का जो तालाब है और जो नहरें बनाई हैं तो वहां पर भी बड़ी गड़बड़ी है। चौकीदार का काम ठीक नहीं है, ओवरसियर वगैरह किसानों को परेशान करते हैं, उनकी फसलें सूख रही हैं और वे भ्रष्टाचार करते हैं। इस बारे में इन्जीनियर साहब को भी कहा, जिलाधीश को भी कहा, सब को कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अब आपके सामने भी निवेदन करता हूं कि आपकी जो ऊपर की मंशा है कि काफी अनाज पैदा हो तो वह नीचे तक भी कार्य रूप में परिणित होनी चाहिए।

कई जगह आपके ओवरशियर इन्जीनियर वगैरह पार्टीबाजी करते हैं। पंचायत समितियों में कहा जाता है कि तालाब के

(श्री चौसरसिंह बावेल)
नक्शे बनाओ, वह नक्शे बनाते हैं कि फलां जगह तालाब बनेगा और ये ये गांव डूब में आयेंगे। उसके बाद ये ऊंची नीची बातें करते हैं, राजनैतिक बातें करते हैं, इस सम्बन्ध में आप विचार करें।

इसी तरह बोरादा के पास तालाब बना और काठून्दा का तालाब बना जिसमें हजारों बीघा जमीन आ गई लेकिन एक बिस्वा जमीन पर भी उससे पैदावार नहीं होती है। यह ७५ हजार रुपये में बना है।

इसी तरह से नदबई का तालाब है, वहां लोग खेती करते थे लेकिन वहां बन्ध बन रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी बातों को सुनें। आज आप विकास का नारा लगा रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, जब तक हम अपने जनसाधारण को सब चीजें सुलभ तरीके से नहीं दिला सकें तो फिर यह क्या विकास है, चीजें भी सुलभ हों और अगर उनमें खरीदने की शक्ति न हो तो भी क्या विकास है, यह तो विकास न हो कर विनाश है। आपके खयालात अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं लेकिन जो हजारों लाखों रुपये के घाटे की स्कीमें बनाकर आपने काम चलाए हैं, उनके बारे में आप विचार करें। आज लोग भूखों मर रहे हैं। बस मुझे यही कहना है।

श्री सभापति : श्री याज्ञिक।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा): सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि जो शिवगंज तहसील में सूकली नदी पर बने इनेनडेशन बांध को स्टोरेज बांध बनाया जाय। सूकली नदी शिवगंज तहसील के मध्य में होकर बहती है। आज से करीब ८ साल पहले सरकार ने यहां डैम बनाया था इनेनडेशन, लेकिन उस डैम का फायदा होने के बदले नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उस डैम से जो पिलाई की गई तो उससे अच्छी जमीन भी खराब होती जा रही है और जहां पहले चौमासी फसल होती थी वह भी नहीं होती है। इसके लिए सन् ६२ से मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि इस डैम को स्टोरेज डैम में बदल दिया जाय। मैं ही नहीं, सिरोही ज़िला परिषद् ने भी प्रस्ताव पास करके तीन-चार दफा भेजे हैं, पंचायत समिति शिवगंज ने भी प्रस्ताव भेजे हैं, मैं खुद मंत्री महोदय से तीन-चार बार मिला हूं लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर यह स्टोरेज डैम बन जाय तो शिवगंज तहसील के अन्दर करीब सात-आठ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती है और आज जो जमीन खाली पड़ी हुई है, जहां चौमासी फसल भी नहीं होती है वहां पर दोनों फसलें हो सकती हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : किस बांध की बात कर रहे हैं?

श्री रविशंकर याज्ञिक : सूकली नदी पर बने इनेनडेशन बांध के बारे में। यह शिवगंज तहसील में है।

तो अगर उसको बांध देवें तो कम से कम ७-८ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है, और शिवगंज तहसील में जहां जहां कि अभी पैकेज प्रोग्राम चल रहा है वहां की जमीन अच्छी है और हर तरह की फसल पैदा हो सकती है, गन्ना कहो, कपास कहो, अगर उसमें यह डैम बन जाय तो

Page No. 96

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

वह जो तहसील है मालोमाल हो जायगी और वहां का किसान सुखी होगा। इसके साथ-साथ नाज बढ़ेगा, तो देश का भी फायदा होगा। तो मेरा आग्रह, सभापति महोदय, आपके द्वारा कृषि मंत्रीजी से है कि वे इसकी ओर ध्यान दें और इस साल के अन्दर ही इसके लिए सेन्कशन रकम कर दी जाय।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में पिंडवाड़ा तहसील के अन्दर दो छोटे छोटे बांध नांदिया के पास और इसरा के पास, उनकी सर्वे हो गई है।

इसके अलावा सिरोही में अणगोर (ANGOR) का डैम है जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है और इसको सेन्टर को भेजा है इसके लिए मेरा आग्रह है कि सरकार सेन्टर को लिखे और आगे कार्यवाही करें ताकि तत्काल मन्जूरी आ जाय जिससे सिरोही जिला एक तरह से फल-फूल जाये।

श्री सभापति : श्री गोविन्दसिंह !
श्री चन्द्रसिंह !
श्री मोहनराज !

श्री चन्द्रसिंह वर्फा (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्य है ही, लेकिन मेरा भी दुर्भाग्य है कि मेरा भी नम्बर कभी का आ जाता, लेकिन मुझे अब हुक्म दिया आपने.......

श्री सभापति : इन बातों में समय न गंवायें।

श्री चन्द्रसिंह वर्फा : मैं सिंचन, नौचालन तथा तट-बन्धन के विषय में विचार उपस्थित करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, यह विषय बहुत बड़ा गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय है......

श्री सभापति : लेकिन उसको संक्षेप में कहें चाहे कितना ही गम्भीर हो।

श्री चन्द्रसिंह वर्फा : मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा।

श्री सभापति : आपके ही साथियों को बोलने के लिए मौका देने के लिए अर्ज कर रहा हूं।

श्री चन्द्रसिंह वर्फा : मैं बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा।

इस तरह से यह जो नदी का बहाव होता है सब माननीय सदस्य उसी तरह से अपने २ क्षेत्रों की प्रगति के सम्बन्ध में सिंचाई के साधनों के बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं। निवेदन करना उचित ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परन्तु सभापति महोदय, इसमें यह बात भी देखनी पड़ेगी कि हमारे मंत्री महोदय नदी के बहने वाले जल की तरह बन जायें और काफी पैसा बहा दें तो सब की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। और मन्शाएं पूरी हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रगति से हमारे मंत्री महोदय चल रहे हैं उस प्रगति के अनुकूल अवश्य ही सब कार्य सम्पूर्ण होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह कह देना कि मंत्री महोदय की किसी पर कृपा नहीं है, मैं तो यह कहूंगा कि यह मानकर चलना चाहिए कि हमारी अर्थ-व्यवस्था कुछ कमजोर होने के कारण मंत्री महोदय कुछ कर नहीं पा रहे हैं पर आगे करने की आशा करते हैं। यह तो सभापति

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)
महोदय, हमारे मंत्री महोदय, तो इतने बड़े सुशील और स्वभाव के भोले हैं.........

श्री सभापति : मतलब की बात कहें।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : सभापति महोदय, टाईम फिक्स नहीं किया है। हमको बोलने का अभी मौका मिला है। आप कहें तो बैठ जायें।

श्री सभापति : दो–तीन मिनिट और मौका दूंगा।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : मौका सब को ही दिया जाता है।

श्री सभापति : दो-तीन मिनिट मौके के और हैं।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : सभापति महोदय, ५ मिनिट दीजिये।

श्री सभापति : आप मतलब की बात कहें।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : मैं मंत्री महोदय, का ध्यान मारवाड़ जिले की ओर खींचना चाहता हूं। आज जोधपुर के दुर्भाग्य के कारण एक भी बान्ध वहां पर इन गत वर्षों में नहीं बना है। और दूसरा मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के सामने जो कुछ भी मांगा जाता है, उस सब को मान लेते हैं। आज कोई उनसे नदी के बहाव को बांधने के लिए कह दे तो वे नीचे के एरिया का ख्याल नहीं करते हैं। रायपुर का बान्ध बना तो उस बान्ध से बिलाड़ा के पास निकलने वाली नहर में बहुत कम पानी हो गया। उसका असर बिलाड़ा के कुओं पर पड़ा है, और कुओं में काफी मात्रा में पानी कम होता है। जोधपुर में बिलाड़ा ही ऐसा क्षेत्र है जिससे कि वहां खाद्यान्न मिलता है। उन कुओं में पानी सूख गया है। इस प्रकार से दूसरी जगह की हर मांग को पूरा करेंगे नदी के नीचे के बहाव का ध्यान न रख कर तो ऊपर वाले तो आबाद हो जायेंगे। और नीचे वालों का बिल्कुल ही सफाया हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त जोधपुर क्षेत्र में वाला कोसिला का नाला है। इस सम्बन्ध में वहां के गांव वालों की अर्जियों पर ध्यान देकर उसका सर्वे करवाया गया है तो उस कार्य को शीघ्र ही कार्यान्वित करायें तो बड़ा अच्छा होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनिट और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : बेकार की बातें क्यों कहते हैं?

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : धौलपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि किसान एक भेड़ की तरह से है। सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि किसान एक सुनहरी चिड़िया है। वह भेड़ नहीं है। उसको भेड़ कहकर....

श्री सभापति : इस प्रकार कहकर बहुत बड़ी गलती की है। श्री जीवराज सिंह !

श्री मानसिंह महार (आमेर) : थोड़ा समय बढ़ा दें।

श्री सभापति : अभी ज्यादा हैं बोलने वाले। जहां तक सम्भव हो, वह समय में समाप्त करें।

श्री जीवराज सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे कट मोशन के द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि उदयपुर वाटी तहसील, जिला झुंझुनु में बांधों का सर्वे व एस्टीमेट हुआ उन कार्यों का निर्माण करने के लिए प्रावधान कराया जाय।

सभापति महोदय, भौगोलिक दृष्टि से यह जिला बांधों के लिए महत्व का नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत है उसकी ओर सिंचाई मन्त्री का ध्यान कतई नहीं है। पहले भी मैंने इस बारे में निवेदन किया था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई है। यह जिला सैनिक जिला है। आज जो हमारी सेना के सिपाही हैं वे बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, और हमारे यहां जो उनके परिवार के लोग हैं वे पानी के बिना क्या काम कर सकते हैं? कैसे यहां घग्घर का पानी आ सकता है। इसके अलावा जो उदयपुर वाटी का एरिया है, वह पहाड़ी एरिया है। वहां बान्धों की काफी गुंजाइश है जिसके बारे में पहले भी मैंने क्वेश्चन पूछा था और आपने बताया था कि उदयपुर वाटी तहसील में छापोली, बागोरा व गुडा खोह आदि का सर्वे हो चुका है और उसमें मंडावरा और कोठड़ी छापोली जो सीकर और झुन्झुनू जिले की सरहद पर हैं उनका एस्टीमेट बन चुका है, मगर कोई भी कार्यवाही शुरु नहीं हुई है। इन बान्धों के बनने से हरेक गांव में १००–५० कुऐ हैं। पानी का लेवल ऊंचा हो सकता हैं और पानी का लेवल ऊंचा आ गया तो ज्यादे से ज्यादा जमीन पर खेती होगी, सिंचाई होगी, और उन बान्धों से सिंचाई भी हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये छोटे मोटे काम हैं, करोड़ों रुपयों के काम नहीं हैं, लाखों रुपयों के ही काम हैं इनकी ओर ज्यादे से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। सिंचाई मंत्रीजी आप यह हैं कि मेरे दिमाग में राजस्थान का बड़ा भारी हरा-भरा नक्शा है तो उसको मैं याद दिलाता हूं और कहता हूं कि हमारे एरिया के लोगों के दिमागों में भी एक छोटा सा नक्शा है उस नक्शे को मैंने आपको बताया अगर आप कोष से खर्च करें तो यह कोष पूरा कर सकते हैं, तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री मोहनराज !

श्री मोहनराज (पाली) : सभापति महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय का ध्यान जवाई क्षेत्र के अन्दर सिंचाई का पानी कम मिलता है उसकी ओर आकर्षित करूंगा। गत ५–७ वर्षों के आंकड़ों का अगर आप मुलाहिजा करें तो मालूम होगा कि कुल जो सिंचित रकबा है उनका आठवां या दसवां हिस्सा ही सिंचाई के लिए काम में आता है।

जो पानी की कमी है उसको पूरा करने की ओर जो भी सरकार के सामने तजवीज पेश की गई, न जाने क्यों उनको पूरा करने में ढिलाई बरती जाती है। बताया गया था कि जवाई में और अधिक पानी लाने के लिये साही योजना पूरी की जायगी और जल्दी ही बांध भर जायगा। पता नहीं इसको क्यों खटाई में डाल दिया गया है, क्यों देरी हुई है? मैं सिंचाई मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस काम को जल्दी पूरा करें। अक्सर हमारे नेता और आप भी भाषण में कहते हैं छोटे छोटे बांध और लघु सिंचाई योजना कम

(श्री मोहनराज)

खर्च में जनता को तत्काल लाभ पहुंचाने वाली और कृषि की उपज में सहायक हो सकती है। उनकी ओर हमारा ध्यान शीघ्र जाना चाहिये ताकि तत्काल राहत पहुंचाई जा सकें। मैं आपका ध्यान चार पांच योजनाओं की ओर आकर्षित करूंगा जहां बाली पंचायत समिति ने सर्वे करवाया और टैक्निकल राय लिये भी ५–६ साल हो गये हैं लेकिन फंड्स की कमी का बहाना लेकर उनको पूरा नहीं कराया जाता है। मैं मानता हूं कि १०–१५ हजार की योजनाएं हैं उनके लिए फंड्स की कमी बताना उचित नहीं है। ये योजनाएं ऐसी है जो अधिक रिटर्न देती है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि १० परसैन्ट से कम रिटर्न देने वाली इनमें से कोई योजना नहीं है और इन पर कुल खर्चा १०–२० हजार से अधिक नहीं होने वाला है। फूल सागर और प्रेम सागर गोरिया गांव हैं, गरासियों का जो शिड्यूल ट्राइब के लोग हैं उसके पास में ये हैं फूल सागर पर अनुमानित लागत ११४२०) है और प्रेम सागर पर अनुमानित लागत ६,६३०) रुपये हैं इन दोनों कामों को हाथ में लेकर जल्दी ही पूरा कराया जाय तो आदिवासी क्षेत्र में राहत का काम होगा। इस वक्त तो वहां पर अकाल भी है। मैंने कृषि मंत्रीजी से निवेदन किया था कि अकाल में इन छोटे छोटे बांधों को हाथ में लेना चाहिये। एनिकट है उनको हाथ में लेंगे तो फायदा होगा। मालारा का एनिकट है उसकी अनुमानित लागत ६६१५) है। हमारे यहां एक लूनावा का तालाब है जिस पर १४०००) रु. खर्च हो चुके हैं लेकिन तेज बहाव के कारण वह टूट गया और अब ७०००) रु० उसके लिये और चाहिये। ये रुपये नहीं मिलने से चार साल हो गये, सारा पैसा लगा हुआ बेकार गया है उसमें पानी नहीं ठहरता है। लूनेवा के टूटे तालाब पर ७०००) रु० और लगावें तो उससे सिंचाई हो सकती है और पहले लगा हुआ पैसा भी काम आ सकता है।

इसके अलावा बहुत पुरानी स्कीम पहली योजना में की गई थी, खोड़ एनग्रेशन स्कीम के नाम से जो स्कीम थी, उसमें एक बांध बांधकर बहुत बड़े एरिया को फायदा पहुंचाने वाले थे। आज उस सारे के सारे एरिया में ३०-४० गांव आते हैं जिनमें बहुत गरीब लोगों की बस्ती हैं, शिड्यूल कास्ट की आबादी के ये गांव हैं। उनको राहत पहुंचाने के लिये आप यह बांध बांध दें तो सारे एरिया का बहुत बड़ा भला हो सकता है। कहा जाता है कि इसी बांध को बांधने से आगे के खेतों को पानी नहीं पहुंचेगा। इसके लिये हम यहां तक तैयार हैं कि उन खेतों में सेवेज होता है उनको पहले पानी दीजिए, इन २५-३० गांवों के पास जो कुएं हैं, उनमें पानी पहुंच जायगा तो भी इन गांव वालों को बहुत लाभ होगा, इन्डाइरेक्टली इससे काफी फायदा है इसलिये इसको ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिये।

नाडोल के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था वहां पर गोलावा का पुराना तालाब है उसकी पाल टूट गई है, उसको बंधा दें तो उससे काफी लाभ होगा। ५०० बीघा जमीन इसके पास में अनअोक्युपाइड पड़ी है उसको कमान्ड एरिया में लाया जा सकता है। कई लोग जो भूमिहीन हैं और खेतिहर किसान हैं उनको काम पर लगाया जा सकता है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि छोटी-छोटी चीजें तत्काल राहत पहुंचाने वाली हैं उनकी ओर आप ध्यान देंगे। मैं पुनः जवाई बांध को जल्दी से जल्दी भरने की ओर आपका

(श्री मोहनराज)

ध्यान दिलाता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि जवाई बांध से पानी लेने वाले लोग आठवां हिस्सा या दसवां हिस्सा पानी ही काम में लेते हैं। ताहम भी वे आपको बेटरमेन्ट लेवी बराबर दे रहे है, इस मुश्किल के समय में भी। इस उम्मीद में कि आगे चलकर उनको पूरा पानी मिलेगा। और अधिक से अधिक फायदा होगा। मैं सोचता हूं कि सरकार इन बातों की ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देगी और उनको पूरा करेगी।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : सभापति महोदय, जैसा कि आज सिंचाई विभाग पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं लेकिन मैं इसके विपरीत दूसरा मोशन रखना चाहूंगी मेरा मोशन है सिंचाई विभाग में बढ़ोत्तरी की जाय। बढोतरी इसलिये कि कोई विभाग अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है तो सदस्यगण कटौती प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है कि मेरे क्षेत्र में जिस ढंग से सिंचाई विभाग ने काम किया, जो दिक्कतें मेरे यहां थी मैंने उन्हें विभाग के सामने रखा, चीफ इंजिनियर से लेकर ओवरसीयर तक ने माननीय दृष्टिकोण से हमारी समस्याओं को समझा और सुलझाया, इसलिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस विभाग के लिये बढोत्तरी की जाय।

दूसरा मेरा प्रस्ताव इसलिये है कि इस विभाग को जितनी ज्यादा रकम दी जायगी उतनी ही समस्याओं को हल करने में यह सफल कोई हो सकता है तो केवल यह डिपार्टमेन्ट हो सकता है। यदि हम इस विभाग की ओर पूरा पूरा ध्यान दें तो पी. एल. ४८० के जरिये करोड़ों रुपयों का जो कर्जा हमारे सर पर हो गया है और जिस ढंग से समस्याएं हमारे सामने आ गई हैं उनका संतोषजनक मुकाबला यह विभाग कर सकता है।

इतना होते हुए भी, मैं अर्ज करूंगी पूरा ध्यान देते हुए भी मेरे क्षेत्र की समस्याएं सुलझ नहीं पाई हैं। इसका कारण यह है कि पहाड़ी इलाका है और बरसात में पानी बहकर नीचे के क्षेत्र में चला जाता है। सभापति महोदय, खुद जानते हैं कि काफी बड़ा इलाका इस प्रकार का है। पाली जिला, उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर के बीच का जो इलाका है उसे कहा जाता है यह ऊंट की कमर की तरह है। यहां पर पानी गिरता है बह बह कर नीचे चला जाता है, ठहर नहीं पाता। मेरे क्षेत्र में दिक्कत यह है कि जो पुराने तालाब हैं वे फूटे पड़े हुए हैं और उनकी मरम्मत नहीं की जाती है। इसलिये हमारे यहां अकाल पड़ता है और लोगों की बहबूदी नहीं हो पाती, हालांकि हमारे यहां काफी बिजली आई है, लेकिन कूओं में पानी नहीं होने से सिंचाई के काम में बिजली नहीं आ सकती। वहां की बहबूदी बढ़ाने और अकाल मिटाने के लिये एक ही काम हो सकता है और वह कि छोटी-छोटी सिंचाई और मध्यम सिंचाई के काम को हाथ में लिया जाय, कूओं को गहरा किया जाय और टूटे हुए तालाबों की मरम्मत की जाय। लेकिन कानून-कायदे ऐसे हैं कि जिनकी वजह से टूटे हुए तालाबों की मरम्मत नहीं हो सकती। हमारे यहां खारी और मेजा बांध हैं उनकी मरम्मत नहीं होने की वजह से १० लाख जनता को

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

नुकसान पहुंचा है। मैं मंत्रीजी से कहूंगी कि टेक्निकल राय लेंगे और नीचे के तालाब हैं उनकी बजाय ऊपर के छोटे-छोटे तालाबों की मरम्मत कर दी जायगी तो फायदा पहुंचेगा। जो तालाब टूटे हुए हैं उनकी पाल दो-तीन फुट ऊंची करदी जाये, तो उनमें पानी रुकेगा, चाहे तीन महीनों तक ही पानी रुके तो भी कुओं में पानीका लेबल ऊंचा उठेगा।

अकाल पड़ता है उस कारण अभी दो-तीन साल में अकाल पर १० करोड़ रुपये खर्च कर चुके है, पहले जो अकाल पड़े है उन पर न जाने कितनी रकम खर्च कर चुके हैं। इतनी बड़ी रकम राजस्थान में प्लान्ड वे में खर्च की जाय लघु सिंचाई योजनाओं पर तो काफी फायदा हो सकता है। इसलिये मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि छोटी-छोटी सिंचाई की समस्याएं हैं उन पर ध्यान दें। जहां तक टेक्निकल राय का सवाल है मेरे ख्याल से यह है कि अधिक अन्न उपजाने के लिये छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं की तरफ ध्यान दें तो ज्यादा फायदा हो सकता है बड़ी योजनाओं में ज्यादा रकम लगानी पड़ती है और रिटर्न भी बाद में मिलता है, लेकिन छोटी योजनाओं पर करोड़ दो करोड़ रुपया भी लगाते हैं तो इधर लगाया और अगले साल ही उसका रिटर्न मिलने लगता है। इसलिये मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान खींचना चाहूंगी कि इस पर ध्यान दें और सारे के सारे इलाके में बहबूदी लाने के लिये कदम उठावें।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़); सभापति महोदय, आज सिंचाई की मांग के ऊपर बहस चल रही है। उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले में इरिगेशन की दृष्टि से बड़े-बड़े बांध निश्चित रूप से बने हैं और वहां की जनता को उनसे लाभ मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश भीलवाड़ा जिले के अन्दर कोठड़ी और मांडलगढ़--ऐसा एरिया रह गया है जहां सचमुच में छोटी-छोटी नदियां, नाले और बड़ी नदियां भी बहती हैं–लेकिन यह दो तहसील पहाड़ी एरिया होने के कारण जो वहां वर्षा होती है वह पानी नदियों में वह कर चला जाता है। वहां की जनता ने इस समस्या की ओर माननीय मंत्री का और कुछ अधिकारियों का ध्यान दिलाया है कि कई ऐसे मोके हैं जहां पर छोटे-छोटे तालाब बांधे जा सकते हैं। वहां की सर्वे भी हुई है लेकिन सर्वे हुए भी काफी अर्सा हो गया है लेकिन अभी तक उन तालाबों की शुरुआत नहीं हुई है। जब हम इस बारे में पूछते हैं तो हमको बताया जाता है कि कोई कमी रह गई है उसकी जांच की जा रही है। इस तरह की सारी चर्चायें चलती हैं। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि यदि इन बांधों को और तालाबों को बनाने के लिए कोई सर्वे की जाती है तो जनता को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए और जल्दी से जल्दी कहना चाहिए कि बांध बनने वाला है। वहां तालाब बनने वाले हों तो वहां की जनता को भरोसा रहेगा कि हमें पानी मिलने वाला है। वर्ना मैं निवेदन करूंगा कि छोटे-छोटे नदी-नाले जो हैं, उनके लिये पंचायत समिति को पैसा देकर एनीकट बना कर जो सिंचाई हो सकती है–उससे भी वह वंचित रहते हैं। क्योंकि वह सर्वे एरिया घोषित हो जाता है। यदि छोटे-छोटे बांध बनवा दिये जाते हैं तो मैं समझता हूं जो अकाल कोठड़ी और मांडलगढ़ तहसील में पड़ा, वह नहीं पड़ता क्योंकि लोगों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते।

मैं जैतपुरा बांध की तरफ भी मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह बांध

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

बहुत अच्छा है, पहाड़ों के बीच में है और पानी इसके अन्दर काफी आता है। इसकी सर्वे भी दस वर्ष पूर्व हो गई थी सेकण्ड प्लान और थर्ड प्लान में इसका जिक्र भी आया, मगर दुर्भाग्य है कि अब तक इसको नहीं बनाया जा रहा है। क्या कारण है यह समझ में नहीं आता है। कहा यह जाता है कि दस लाख के ऊपर की योजना होने के कारण इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा हुआ है। अगर यह बात सही है तो जल्दी से जल्दी कोशिश कर इस बांध को बनाया जाना चाहिए।

इसी तरह से कोटड़ी तहसील के जाडोल, किशनगढ़ और देवरिया सूठेका, अनवासा बांध हैं इन सारे बांधों का सर्वे तीन साल, चार साल, पांच साल पहले हो गया है। मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन बांधों को जल्दी से जल्दी योजना में लाकर इनकी शुरूआत की जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने सिंचाई की मांग पर जालोर में सिंचाई के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के बारे में कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि साजी, बड़गांव, जेतपुरा एवं लूनी नदियां हैं वे पर्मानेन्ट बहने वाली नदियां हैं—उनके बारे में राज्य सरकार की ओर से डिटेल्ड सर्वे हो रही है, उसकी न मालूम क्या प्रगति है—इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन नदियों में इतना पानी है कि वह गुजरात की तरफ जाता है इसलिये या तो इन पर बांध बांधे और अगर फीजेबल नहीं हो तो लिफ्ट के जरिये से आस-पास के एरिया में इस पानी को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। भीनमाल तहसील में जो साजी की स्कीम चल रही है लेकिन प्रगति नाम मात्र को हुई है। इसमें काफी साल लग चुके हैं। मेरा निवेदन है कि इस स्कीम को शीघ्र कार्यान्वित करा कर इस इलाके में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इरिगेशन की व्यवस्था करने के लिए इसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, लूनी नदी की स्कीम है, वह बड़ी डिटेल्ड है। उसके बारे में राज्य सरकार ने सक्रिय कदम उठाया है उसके लिए मैं उसको धन्यवाद दूंगा क्यों कि उससे उस इलाके की हालत सुधरी है। इसके अलावा नीचे की ओर से बहने वाली नदी के पानी को रोक कर और थोड़े एरिया में पीछे की ओर लाते, जैसा पहले नहीं लाये और बाद में जब जालोर में कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ था कि जो लूनी नदी का डेल्टा है यहां पर जाकर सांचोर, जालौर, भीनमाल बाड़मेर होकर नदी का पानी आता है, यह वह एरिया है जिस एरिया में सैकड़ों वर्ष से ब्लैक सोइल पड़ा हुआ है और इस एरिया को उससे प्रोफिट हो सकता है। इसलिए जगह पानी को न रोक कर इस एरिया में पानी आवे तो उसे जहां पर ज्यादा पैदा हो वहां पर काम में लाया जाना चाहिए। और आखिर में जो कच्छ में पानी गिरता है उसको पीछे से न रोक कर बालोतरा या सांचोर का जो एरिया है उसमें दिया जाय तो उससे हजारों एकड़ में काश्त होगी।

एक नर्वदा और माही की स्कीमें है वह सरकार के विचाराधीन है और सेंट्रल गवर्नमेंट

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

के विचाराधीन है। वह शीघ्र चालू हो और उसके बाद जब पानी आयेगा तब फायदा ज्यादा होगा। लेकिन जब तक पानी नहीं आता है तब तक लूनी के पानी का उपयोग करें। इसके साथ ही सारी नदी की सर्वे करें और जहां जहां उपयुक्त हो वहां वहां उसको बनवायें। यह एक करोड़ों की स्कीम पहले बनाई। इस स्कीम के बारे में जब हमने बताया तब इन्जिनियर्स की समझ में आ गई, कि इसमें कम पैसा लगेगा और इकोनॉमिक स्कीम होगी और प्रोडक्शन का मसला भी इससे हल हो जाता है। सभापति महोदय, ये जो नदियां है यह पर्मानेन्ट चलती हैं और जालोर में इतनी पोटेंशियलिटी हैं और प्रोडक्शन के इतने रिसोर्सेज है कि उनको ठीक तरह से एक्सप्लोइट करें तो आने वाले निकट भविष्य में जालोर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्शन होगा उससे हम फूड की जो समस्या है उसको हल करने में कामयाब होंगे।

श्री सभापति: अब सरकार की तरफ से मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री): सभापति महोदय, आज इस सदन में मैंने जो सिंचाई के सिलसिले में तीन मांगें प्रस्तुत कीं उन पर इस सदन के माननीय सदस्यों ने काफी कटौती के प्रस्ताव पेश किये और मुझे खुशी है कि सदन के माननीय सदस्यों की सिंचाई की योजनाओं के बारे में बहुत रुचि है। कुल मिला कर के इसमें ८४ कटौती के प्रस्ताव पेश हुए पर उनमें से सब माननीय सदस्य अपनी बहस में हिस्सा नहीं ले सके हैं। जो कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बहस में मुद्दे उठाये हैं उनके बारे में तो मैं, जितना समय मेरे पास है, कहने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपके जरिये सभापति महोदय, सारी पृष्ठ-भूमि कि राजस्थान निर्माण के बाद जो हमारी योजनायें बनीं और उन योजनाओं में सिंचाई की योजनाओं को जिस प्रकार से प्राथमिकता दी गई - उसका कुछ आभास मैं सदन के माननीय सदस्यों को करवाना चाहता हूं। राजस्थान में जब से योजनाओं का काम चला, हमारे राजस्थान में पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो हम पूरी करने जा रहे हैं—पहली योजना में साठ करोड़ रुपये, दूसरी योजना में १०२ करोड़ रुपये और तीसरी पंचवर्षीय योजना में करीब २०९ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं जिसका कुल योग मिलाकर ३७२ करोड़ रुपये बनता है। इस ३७२ करोड़ रुपये की राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो खर्च होने वाली धनराशि है उसमें सिंचाई के महत्व को जो कि हमारे गांव के किसानों को लाभ पहुंचाती है, जो कि हमारे प्रांत की खेती के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और हमने सिंचाई की जो राजस्थान की इन योजनाओं के बनने के पहले स्थिति थी, उसमें इन तीन योजनाओं के दौरान में जो धनराशि खर्च करके जो परिणाम प्राप्त किये उसका एक छोटा सा चित्र सदन के माननीय सदस्यों और राजस्थान की जनता को जानना चाहिए।

(४.०० म. प.)

जैसा मैंने बताया कि ३६२ करोड़ के कुल खर्चे में से सिंचाई की योजना में १०२ करोड़ की धनराशि खर्च की गई। १०२ करोड़ की धनराशि हमारी योजनाओं में जो भाखरा, चम्बल जैसी बड़ी-बड़ी योजनायें हैं,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उसके साथ साथ कई मध्यम दर्जे की योजनाएं और लघु सिंचाई की योजनाओं में खर्च हुई और इन सारी योजनाओं के परिणामस्वरूप हमारे राजस्थान में पिछले १५ वर्षों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का कुल खेती योग्य रकबा जिसकी जानकारी मुझे है वह करीब ६०० लाख एकड़ के करीब है जिसमें खेती की जा सकती है। उसमें ६० पर्सेन्ट में सिंचाई होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ३६० लाख एकड़ में सिंचाई से खेती होती है। आज जहां इतने एरिया में खेती होती है वहां राजस्थान बनने से पहले सिंचाई का रकबा कुल मिलाकर २५ लाख एकड़ था जिसमें धरती कुओं से सिंचित होती थी और नहरों आदि से होती थी वह कुल मिलाकर ९ लाख थी। और उसमें से ६ लाख एकड़ भूमि केवल गंग कैनाल से सिंचित होती थी और बाकी तीन लाख धरती की सिंचाई हमारे दूसरे जो पुराने वक्त की योजनाएं थीं उनसे होती थी। इस प्रकार से राजस्थान की नई योजना बनने के बाद हमने १०२ करोड़ खर्च किया है। इस योजना के फलस्वरूप १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। राजस्थान में अब कुल ५० लाख एकड़ भूमि में नये कुओं, पुराने कुओं को गहरा करके और नहरी योजनाओं को कार्यान्वित करके, हम राजस्थान में ५० लाख एकड़ भूमि को पानी पहुंचाते हैं। यह राजस्थान की भूमि जो सिंचाई से काश्त होती है वह १४ पर्सेन्ट बनती है।

जैसा हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि १७ पर्सेन्ट धरती में सिंचाई करते हैं। उसके मुकाबले में हमारा राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहां पर पहले ९ पर्सेन्ट था उसको हमने बढ़ाकर १४ पर्सेन्ट तक किया है। और हमारी यह इच्छा है कि यह बहुत कम है और राजस्थान में पोटेन्शियलिटी बहुत ज्यादा है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, उससे मालूम होता कि सिंचाई के छोटे मोटे साधनों से हमारे सिंचाई के मामलों में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। मै समझता हूं कि हिन्दुस्तान के लोगों में किसी प्रकार का इसमें दो मत नहीं हो सकता। आज हमको दूसरे देशों से खाद्यान्न को आयात करना पड़ता है। हम खेती के लिये सिंचाई का सुविधा को बढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना होगा कि हमने जो इस पर खर्चा किया है वह आपके सामने रखा है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में भी हमने पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के काम, तीसरी योजना में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुए थे, चाहे वे मध्यम के थे चाहे लघु सिंचाई के थे, उन सबको हमने पूरा कर लिया है। जो काम तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरु हुआ और चला नहीं उसको हम चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा करेंगे। चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना का आकार हमारे सामने नहीं है इसलिये उसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन पहले जैसा मैंने बजट के दौरान में अर्ज किया था कि जो आकार हम बना सकते हैं, १० करोड़ रुपया सिंचाई की योजना में खर्च करना जरूरी है। जो कुछ ३३ करोड़ की रकम बनती है और जो कुछ भी हम छोटी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

योजनाओं को ला सकेंगे उसमें हम १० करोड़ अगले साल में खर्च करेंगे। इसलिये काफी पैसा हमने उठाया है। इसलिये गांवों के लिये यह आवाज उठाते हैं कि हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है या दे रहे हैं, रिटर्न ठीक नहीं हो रहा है, इस प्रकार की कई बातें हम बढ़ा-चढ़ा कर कह देते हैं, तो उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के लिये हमने कई परिवर्तन किये हैं, किसानों की हालत को ठीक करने के लिये योजनाएं बनाई हैं और इन योजनाओं से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। और जो कुछ भी सिंचाई की योजना में पैसा लगा है वह किसानों से बेटरमेंट लेवी के रूप में वसूल कर रहे हैं। सारा सदन इसको देखेगा तो मालूम होगा कि जो कुछ ब्याज हमको चुकाना पड़ता है........

कु० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : सभापति महोदय, यह कोई आपका जवाब है। हमने जो सिंचाई के लिये अव्यवस्था है उसके लिये बातें रखी हैं, उस पर तो आप कोई बात नहीं कहते और उन पर विचार नहीं करते। तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह क्या है, उस पर प्रकाश डालते वह तो आप डालते नहीं। इस प्रकार थ्योरी पर चलते हैं।

श्री सभापति : आपस में कोई बात माननीय सदस्य मत करिये। आप यदि इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुनते जाइये ! आपके जवाब का उत्तर आ जावेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते।

श्री नाथूराम मिर्धा : बड़ी और छोटी बातों का जवाब........

कु० श्री महेन्द्रसिंह : आप जवाब तो देते नहीं। जो बातें हमने उठाई हैं उनका उत्तर देते नहीं तो फिर ऐसे भाषण को सुनने से क्या फायदा ? मैं वाक-आउट करता हूं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री नाथूराम मिर्धा : बड़ी और छोटी बातों का प्रश्न नहीं है। सब का उत्तर दूंगा।

आप भाषण देकर जाना हो अपना कर्त्तव्य समझते हैं तो पधारिये। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में जो वातावरण उठाते हैं उसके बारे में मुझे कहने का अधिकार है। मैं उन सारी बातों के बारे में कहूंगा जो कही गई हैं। मैं यह कहूंगा कि इतनी बड़ी योजना के खर्चे को उठाने के बाद हम यह चाहें कि तुरन्त, प्रोजेक्ट बनते ही, उसका रिटर्न आना चाहिये उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी और अव्यवस्था नहीं रहनी चाहिये, मैं यह कहूंगा कि यह इन्सान के लिये सम्भव नहीं है। यह तो देवताओं के काम ऐसे हो सकते हैं, इन्सान के नहीं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मुद्दे योजनाओं पर उठाये गये हैं, माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं उन मुद्दों का एक एक का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मगर मैंने यह बात इसलिये रखी कि सिंचाई विभाग की तरफ से जितनी बड़ी धन-राशि उनको दी गई थी गांवों की बहतरी के लिये खर्च करने की कोशिश की है। मैंने यह बात

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खास तौर से निवेदन की है। कोटा और बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य जब से चम्बल प्रोजेक्ट बना है उन्होंने एक तरह का वातावरण पैदा किया है और जो स्थिति बनाई है वे जो कुछ ठीक समझें करें, मुझे कुछ नहीं कहना है। उससे मुझे कोई एतराज नहीं। इन सारी स्थितियों के बारे में ....

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : आप, जो मुद्दे उठाये जाते हैं, उनका तो उत्तर देते नहीं हैं और अपनी बातें कहते हैं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : (अश्रव्य)

श्री दयाचन्द सोन : चुप रहो साले.... आप कोई ......

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो हां में हां मिलावें। चम्बल की एक ऐसी प्रोजेक्ट है जो बहुद्देशीय प्रोजेक्ट है........

श्री दलपतसिंह : (अश्रव्य)

(श्री दयाचन्द सोन के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! आप कृपा कर के बैठे रहें। आप डिस्टर्ब करते हैं यह शोभनीय नहीं है। अब आप शान्त होकर सुनते रहें।

(श्री दलपतसिंह बोलने को खड़े हुए और साथ में श्री दयाचंद सोन भी खड़े हुए)

श्री सभापति : आप शान्त होकर सुनते रहें। यह अच्छा तरीका नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी। एक स्टेज गांधीसागर और दूसरा कोटा बैराज का निर्माण।

इस योजना को हमने १९५४ में शुरू किया और इसका प्रथम चरण का ६० परसेंट हिस्सा पूरा कर दिया, फिर भी चैनल्स का काम चल रहा है। करीब ६० करोड़ रुपया खर्च उठाकर इस पहले चरण को पूरा किया है। रावतभाटा जिसको राणा प्रताप-सागर कहते हैं, उसकी भी प्रगति की है और बरसात से पहले पहले राणा प्रताप-सागर का काम भी पूरा होने वाला है। कोटा डेम है जो पॉवर प्रोजेक्ट है, उस पर १।। करोड़ रुपया खर्च किया है। कुल बारह–तेरह करोड़ की योजना है, उसको भी पूरा करना चाहते हैं। योजना का प्रथम चरण काफी पूरा कर लिया है। जो सिंचाई का विकास करने का प्रोग्राम हमने हाथ में लिया था और सिंचाई का लक्ष्य हमने हाथ में लिया था, उनको पूरा करने की कोशिश की है। आपको यह जान कर खुशी होगी कि जहां कुल हिन्दुस्तान का वाटर यूटिलाइजेशन का एवरेज ७३ परसेंट है वहां कोटा जैसी पिछड़ी स्थिति में, जहां नहरी सिंचाई का लोगों को बहुत कम ज्ञान था, वहां पिछले ५-६ वर्षों में सिंचाई की है, जो हमारा इरिगेशन का टार्गेट था जो कि कुल १० साल में पूरा होगा तो भी कोटा में ऐसी वर्स्ट और मुश्किल हालत के होते हुए, जहां किसान नहरी सिंचाई से परिचित नहीं, जहां किसानों के अन्दर नहरी सिंचाई के लिए ज्ञान और साधन जो होने चाहिए उनकी कमी के होते हुए भी, जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया, उसको मैं अलग अलग आंकड़ों में डिटेल में रख कर सदन का समय लेना

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पसन्द नहीं करूंगा, पर यह अर्ज करूंगा कि ८० परसेंट से ऊपर हमारा लक्ष्यों का एचीवमेंट चम्बल में रहा है।

जो समस्याएं आज सामने खड़ी हैं उनके लिए जो फर्स्ट प्रोजेक्ट का एस्टीमेट बनाया था उसमें उनकी व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए नहीं कि हम जानते नहीं थे, पर इसलिए कि उनके लिए व्यवस्था रखने से एस्टीमेट प्रोजेक्ट का ज्यादा जा रहा था। आज वाटर लोगिंग की समस्या सामने आ रही है, सोइल की डेप्थ है, जिस प्रकार की फिशर्ड रोक्स वहां पर हैं, उनके बारे में हमने सोचा था कि ज्यों ज्यों प्रोब्लम्स सामने आयेंगी, हम इन समस्याओं को हल करेंगे इन दिक्कतों को दूर करेंगे। उसका प्रारूप हमने तैयार कर लिया है और इस सम्बन्ध में बहुत से कदम भी उठाये हैं। राइट, लेफ्ट कैनाल की बड़ी बड़ी नहरें, माइनर्स, कैनाल्स बनी हैं, उनमें सीपेज की समस्या है, वाटर लोगिंग की समस्या है, पानी झरता है, जिससे आस-पास के खेतों को नुकसान हुआ है। इस समस्या को हल करने के लिए तीन तरीके किये हैं—एक तो यह कि छोटी छोटी ड्रेन्स का निर्माण करना; दूसरे कुछ एरियाज में जो नहरें, माइनर्स बनी हैं उनका लाइनिंग प्रोग्राम हाथ में लेना और तीसरा यह कि जहां जीरो फीट टू फाइव फीट वाटर लेवल पहुंच गया है वहां फील्ड चेनल्स बना कर, जो नेचुरल ड्रेन्स थीं, जो घास उगने से, निरन्तर पानी रहने से चॉक हो गई हैं, वहां चकबन्दी तो है नहीं, इरिगेशन की व्यवस्था की है उससे बहुत सी नेचुरल ड्रेन्स चॉक हो गई हैं, उनको फील्ड चेनल्स बना कर चालू करना। यह तीन तरह का प्रोग्राम हमने हाथ में लिया है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डोन-सु०): इसमें स्पष्टीकरण कर दें कि अब तक क्या किया है?

श्री नाथूराम मिर्धा: आप तशरीफ रखिये, मैं कह रहा हूं, सुनने को तो तैयार नहीं हैं और यों ही खड़े हो गये। जैसा कि मैंने निवेदन किया हमको ड्रेन्स बनानी थीं, राइट कैनाल की साइड में जहां ११० मील की ड्रेन्स बनानी हैं, उसमें से ६० मील का काम उन नहरों के पास पूरा कर लिया है। आप पूछते हैं कि क्या किया?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, न्याय): यह किया, देखा?

श्री नाथूराम मिर्धा: लेफ्ट कैनाल पर ड्रेन्स का पानी एब्जार्ब करने के लिए ११३ मील की ड्रेन्स बनानी थीं उसमें से २३ मील की ड्रेन्स हमने बना ली हैं।

श्री श्रवणलाल: इसे प्रगति कहते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा: इन सारी चीजों का रिवाइज्ड एस्टीमेट चम्बल कन्ट्रोल बार्ड के सामने विचाराधीन हैं। इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, इस बात की कोशिश हम कर रहे हैं।

दूसरा तरीका वाटर लोगिंग को रोकने के लिए मैंने बताया कि नहरों का, माइनर्स का लाइनिंग करना पड़ेगा। १८ माइल का लाइनिंग इनका करना था वहां तीन माइल का लाइनिंग कर पाये हैं। और दूसरी तरफ जहां ४० मील का लाइनिंग करना है वहां पांच–छः माइल का पूरा कर चुके हैं। माननीय सदस्य कहेंगे कि थोड़ा काम हुआ

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है, पर धन की कमी और जहां उन नहरों के एरियाज में दोनों फसलें हो रही हैं, इन फसलों को बचा कर काम करना है, इन सारे हालात को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ रहा है............

श्री श्रवणलाल : यह जो लीकिज होता है वह कब से होता रहा है और इससे किसानों को कितना नुकसान हुआ है, यह आप बताइये। केवल यह बता कर कि १८ माइल लाईनिंग करना था उसमें से ३ मील का कर दिया, सदन को इस तरह करके टाल रहे हैं। यह बताइये कि कितना नुकसान इससे किसानों को हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको सन्तोष हो नहीं सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार ड्रेन्स का प्रोग्राम लाइनिंग का प्रोग्राम, वाटर लोगिंग की समस्या को हल करने के लिए सिपेज का रोकने के लिए, चम्बल की फर्स्ट स्टेज के एस्टीमेट्स में कोई प्रोवीजन नहीं होते हुए, जहां जीरो फीट से फाइव फीट तक वाटर लेवल है, हमने चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के सामने यह सब कार्यक्रम रखा और उन्होंने मेहरबानी करके इसको स्वीकार किया। कॉन्स्टेन्ट पानी रहने के कारण और घास उगने के कारण, जो नेचुरल ड्रेनेज बन्द हो गये थे, चाक हो गये थे, उनको बनाया। कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट ने और सिंचाई विभाग ने तेरह-तेरह लाख दोनों विभागों की मिला कर २६ लाख की योजनाएं हमने शुरू कीं। काफी तेज गति से काम हो रहा है और हम जल्दी ही मेजर पोर्शन उस काम का २६-२७ लाख का काम फ्लड ड्रेन्स और नेचुरल ड्रेन्स का जो चाकिंग हुआ है, उनको पूरा करेंगे।

चम्बल प्रोजेक्ट की कोम्प्लिसिटी नेचर की हालात हैं, नहरों में ड्रेनेज को प्रोब्लम है। सीपेज की प्राब्लम्स हैं उन सारी बातों को अध्ययन करने के लिए एक दल तीन-चार दिन पहले खास तौर से एफ. ए. ओ. को जो संस्था है उसकी निगरानी वह दल करने आया और बहुत से एक्सपर्टस् भी आये, चंबल क्षेत्र में आए। उन्होंने सारे इलाके का दौरा किया और आपको जानकार खुशी होगी कि एक प्रोजेक्ट हमारे लिए स्वीकार किया है जिसमें बहुत सी मशीनें देंगे और टेक्निकल नॉलिज भी देंगे और दस हजार एकड़ भूमि का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने की बात उन्होंने कही जिसमें जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है उस हिस्से को लेकर और दो हिस्सों की ओर भी बात हुई है। जो कुछ धनराशि की व्यवस्था होगी उसका प्रावधान एफ. ए. ओ. की तरफ से किया जायेगा....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : दल क्या करेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो देखकर गया। They have sanctioned a project. We will get money and machines for the aid of removing difficulties in that area. यह काफी यूज़फुल प्रोजेक्ट होगा। इसकी वजह से दस हजार एकड़ भूमि जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज हैं जहां पर बहुत सी जमीनों का पानी रहता है उनमें पानी को कम करने के लिये कम से कम बीस हजार एकड़ तो वर्स्ट एरिया को ठीक करने में सहयोग मिलेगा और इस काम को आने वाले एक साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : On a point of order Sir ! मैं जानकारी करना चाहूंगा कि सीपेज के बारे में आप किसानों की भूमि का फैसला नहीं कर पाते....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप शांत रहें । मुझे....

श्री सभापति : (मन्त्री महोदय से) Order please ! ऐसा वातावरण न बनाएं कि आप सीधी बात करें । (श्री हरिप्रसाद से) यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है । जब मन्त्री महोदय पूरी बात कर लें तो फिर आप पूछ लेना । अब शांत रहें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार जो वर्स्ट अफेक्टेड बीस हजार एकड़ की भूमि को वाटर लोगिंग से मुक्त करवाने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से जितनी धनराशि, जितने टैक्नीकल गाइडेंस, जितनी मशीन्स की आवश्यकता होगी, उसकी पूरी व्यवस्था जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज हैं, कर चुके हैं और उस काम को एक-डेढ़ साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे ।

इसके अलावा चंबल प्रोजेक्ट एरिया, जैसा मैंने कहा वाटर लोगिंग कण्डीशन्स जहां कहीं जीरो से पांच फुट की लेवल पर है, खास तौर से कुछ एरिया जीरो से दस फुट, कुछ ऐसी है कि जीरो से ३० ४० फुट की लेवल का भी एरिया है, उन सारे एरियाज को जहां वाटर लोगिंग है, इन सारी बातों का कार्यक्रम राज्य सरकार ने एक टैक्नीकल स्कीम के नीचे बना लिया है और उसकी कुल धनराशि खर्च की व्यवस्था जो करीब ५.८१ करोड़ है उसमें से कम से कम दो करोड़ रुपया चौथी योजना में से ऐसे इलाकों पर लगाएंगे जिनके अन्दर वाटर कन्डीशन्स की स्थिति आगे खराब न हो, उनको टैकल करने का प्रावधान है । चौथी योजना का पूरा प्रारूप तो अभी तैयार नहीं हुआ है लेकिन कम से कम पांच करोड़ रुपयों में से दो करोड़ की धनराशि इस समस्या के हल में लगाई जायेगी क्योंकि जो जमीन उत्पादन में होनी चाहिए वह बाहर होती है तो जहां पर किसानों को इस प्रकार की दिक्कतें पैदा हो रही हैं उनसे बचने के लिए सारी योजना को अपने हाथ में ले लिया है ।

खास तौर से चंबल प्रोब्लम के बारे में जो दूसरी बात खड़ी हुई कि कमांड एरिया जो बनाया है, जहां पर आज तक पानी पहुँचा है, आगे भी पहुंचेगा या नहीं, लिफ्ट योजना बनाएंगे या नहीं, इस वजह से कोलोनाइजेशन विभाग जिन जमीनों का अलॉटमेंट कर रहा है उसकी कीमतें ज्यादा वसूल कर रहे हैं, उसकी वजह से किसानों पर बोझ पड़ रहा है. मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी दलीलें देकर माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं । योजना के उन क्षेत्रों को, जिनमें आज पानी नहीं पहुंचा है, जिसमें लोग ट्रेसपासर्स बने हैं और भूमि अलॉट करवाली, उनका उन जमीनों से हमेशा के लिए कमांड से बाहर निकालें ! वे यही चाहते हैं कि इस एरिया को कभी भी सिंचाई की सुविधा नहीं देनी है ! अगर आप चाहते हैं कि बाहर नहीं निकाली जाय, पर इलाके में पानी नहीं पहुंचता है इसलिए सूखा है इसलिए कोलोनाइजेशन के रेट्स पर नहीं ली जाये तो इस दलील को राज्य सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी । जो कोलोनाइजेशन, कमांड की एरिया लैंड्स है उनकी लैंड अलॉटमेंट की कीमतें जिस प्रकार की रखी हैं, किसानों को इन्तजार करना पड़ेगा पानी लाने के लिए ।....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप इसको तोड़ मरोड़कर सदन को सूचना दे रहे हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कोई तोड़ मरोड़ कर सूचना नहीं देता, मै आपकी भावना को अच्छी तरह समझता हूं....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : भावना से काम नहीं चलता, यहां प्रेक्टिकल होना पड़ेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मै एक एक माननीय सदस्य को जवाब दूंगा, चाहे सात भी बज जायें ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा सवाल बहुत आवश्यक है, आपको जवाब देना चाहिए ।

श्री सभापति : आप अपना पोइन्ट बहुत संक्षेप में रखें ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो प्रोजेक्ट एरिया शामिल कर दिया है, किसी भी तरफ से पानी नहीं पहुंचेगा, उसके बावजूद प्रोजेक्ट एरिया से अलग नहीं करना चाहिए और कोलोनाइ-जेशन के मार्फत कीमत लेनी चाहिए तो जो बड़े ट्रेस्पासर्स हैं....

श्री सभापति : क्या आप चाहते हैं कि कमांड एरिया से बाहर किया जाय ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जी हां ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके कहने को मैं नहीं मानता, आप उन किसानों की दरख्वास्तें दिलवा दें, तो मैं मान लूंगा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जिला परिषद कांग्रेस की है, पंचायत समिति कांग्रेस की है....

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना मैं समझता हूं, आप नहीं समझ सकते । जिस किसान को खेत में आने वाले दस वर्षों में पानी की आवश्यकता है वह अपनी जमीन को कभी भी कमांड से बाहर निकालने की मांग नहीं करेगा ।

श्री सभापति : (सिंचाई मन्त्री से) आप इनसे कह रहे थे कि क्या आप चाहते हैं कि कमांड एरिया से बाहर जाय ? तो वे अपनी राय दे रहे हैं या समझते हैं कि किसानों को ठीक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं; वे समझते हैं तो ठीक है, लेकिन इनकी बातों को सुनकर अपना उत्तर दें, आपस में बात मत करिए । आप मुझसे बात करें, उनको इग्नोर करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर उनका डेफीनैट मत है कि वह जमीन कमांड एरिया के बाहर निकाली जाय तो मैं उनके मत से सहमत नहीं हो सकता क्योंकि किसानों का मत जो होगा वह ही काम का है । वे अगर सब किसानों की तरफ से कहना चाहें तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं । वहां सब किसान अगर मुझको या राजस्व विभाग को या कोलोनाइजेशन विभाग को इस बात के लिए लिखित रूप में कहते हैं कि क्योंकि हमारे यहां पानी नहीं आया है लेकिन भविष्य में आने की गुंजाइश है, इसलिए हम भविष्य के लिए इन्तजार नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी जमीन को कमांड एरिया से बाहर निकाला जाय तो विभाग उस पर जरूर विचार करेगा कि पर्मानेन्टली वह पानी नहीं देना चाहिए; मगर आज पानी नहीं है, दो साल में नहीं आए लेकिन आने वाले पांच सालों में जब लिफ्ट योजना के बारे में विचार

(श्री नाथूराम मिर्धा)
कर रहे हैं; तो किसान कभी भी ऐसी चीज लिख कर नहीं देगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप सहमत नहीं हैं, तो अलग बात है लेकिन उनको कहने दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो बड़ों बड़ों की बात कर रहे थे कि किसानों से ज्यादा पैसा ले रहे हैं; लेकिन किसान समझ रहा है, भविष्य में उसका लाभ होगा।

खास तौर से चम्बल प्रोजेक्ट में जहां तक बेटरमेंट लेवी का प्रश्न है उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों ने मुद्दा उठाया कि सिद्धांत रूप से वे इसको ठीक नहीं समझते। हमने इसी सदन में बैठ कर कानून पेश किया है जो बेटरमेंट का कानून है, उसके नीचे नियम बनाए हैं; उनके नीचे नए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं।

उन प्रोजेक्ट्स को बनाने की वजह से, सिंचाई की व्यवस्था करने की वजह से, जिस जमीन की वे बात कर रहे हैं, कोटा बूंदी के उन इलाकों में जहां सिंचाई होने लगी है, उन जमीनों की कीमतें पांच-सात साल पहले, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चाहे वहां ५० इंच बारिश होती थी; बारानी जमीन थी, फिर भी दो मन बीघा का गेहूं पैदा होता था, उनकी उस समय इतनी कीमतें नहीं जितनी आज उनकी कीमतें हैं। आज कम से कम ४००) ५००) रु० पर एकड़ की कीमत है। तो जमीनों की कीमतें उन प्रोजेक्टस के कारण काफी बढ़ी हैं। घटिया जमीन भी हो उसकी भी कीमत ४००) रु०, ५००) रु० एकड़ से कम नहीं है। जहां करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट हुआ हो, करोड़ों रुपयों का व्याज राज्य सरकार को चुकाना पड़ता हो, वहां के किसान उसको चुकाने के लिए तैयार न हों, जब कि बेटरमेंट लेवी जो ली जा रही है, जो उनकी खुशहाली हुई है उसके कारण ली जा रही है और भविष्य में भी खुशहाली होगी, एक दम उसको न देना चाहें, इन्स्टालमेंट में देना चाहें तो इन्स्टालमेंट में हमने कहा, हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे कहें कि न दें, आपको आजादी है विरोध करने की जनतन्त्र में, लेकिन वहां के किसानों को हमने समझाया है........

श्री हरिप्रसाद शर्मा : एक स्पष्टीकरण दीजिये आप।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे बोल लेने दीजिये। आपका स्पष्टीकरण हो गया। सभापति महोदय, आप मुझे फरमाते हैं और....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मध्य प्रदेश और राजस्थान में चम्बल प्रोजेक्ट से नहरें आयी हैं। मध्य प्रदेश ने कोई बेटरमेंट लेवी नहीं ली है जब कि राजस्थान सरकार बेटरमेंट लेवी लेना चाहती है। मध्य प्रदेश को भी फायदा हुआ है, वे तो अपने किसानों से बेटरमेंट लेवी नहीं ले रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मुकाबला इसलिए नहीं किया जा सकता कि

(श्री नाथूराम मिर्धा

राजस्थान में ६५-६६ में चम्बल एरिया में २६० हजार एकड़ में इरिगेशन किया गया है जबकि मध्यप्रदेश में अब तक दस हजार एकड़ में इरिगेशन हुआ है। वहां अभी तक नहरों का पानी बहुत कम हिस्सों में पहुँचा है। माइनर्स तैयार नहीं हैं, काम तैयार नहीं है। पिछले साल जहां १० हजार एकड़ हुआ है अब जाकर इस साल में २५ हजार एकड़ तक मुश्किल से पहुँचेगा। राजस्थान में भी हमने कहा कि बेटरमेंट लेवी उन एरियाज से वसूल करेंगे जहां तीन साल से डेवलपमेंट हो चुका है। हम २.६० हजार एकड़ में से १ लाख का डेवलप्ड इरिगेशन मानते हैं। उसकी बेटरमेंट लेवी के लिए पर्चे जारी किये। किसानों को आपने कहा कि पर्चियां फेंक दो, उन्होंने पर्चियां फेंक दी। कुछ ने आपकी बात में आकर पर्चियां फेंक दीं। वे बेटरमेंट लेवी नहीं देंगे, यह कभी होगा नहीं और हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनको बेटरमेंट लेवी देनी होगी। १ लाख एरिया की बेटरमेंट लेवी वसूल करनी है इसलिए प्रोविजन ९ लाख का रखा है। इस साल में यह मामला निकल गया। तीन तहसीलों में ही नोटिस पहुँचे हैं और बाकी में नहीं पहुँच सके। १२ लाख का एस्टिमेट लगाया था। थोड़ा टाइम था, तीन तहसीलों में ही बेटरमेंट लेवी के नोटिसेज पहुँचे हैं इसलिए दो तीन लाख रुपया जो वसूल होगा वह होगा। मध्य प्रदेश का इरिगेशन अभी लेवल पर है। राजस्थान में इतने बड़े प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपये खर्च हो गये और जिससे बेटरमेन्ट हुआ है उसके लिए बेटरमेन्ट लेवी न देना चाहिये, यह कैसे सम्भव हो सकता है? एक एकड़ के पीछे ६ रुपया रखा है। चम्बल प्रोजेक्ट के विषय में यदि काफी कहा जाय तो काफी समय चाहिये और मुझे इस विषय में आप से कहना भी है; वह समय होगा तब कहूंगा।

राजस्थान सरकार ने वहां किसानों के लिए एक कोआर्डिनेटेड वे में जो एफर्ट्स होने चाहियें वे किये हैं, इरिगेशन और एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट के तहत बैलों के लिए तकावी देना, अधिक से अधिक सुविधायें, बीज के मामले में, फर्टीलाइजर के मामले में, टेक्निकल गाइडेन्स के सिलसिले में, इस एरिया के डेवलपमेन्ट के लिए सिंचाई और कृषि विभाग ने दोनों ने मिलकर क्या क्या मुश्किलात थीं उनमें से गुजर कर एफर्ट्स किए हैं और उसके कारण एक परिणाम पर पहुंचे हैं। माननीय सदस्यों को इस पर गौरव होना चाहिये कि इतना बड़ा परसेन्टेज कायम किया, यह सब माननीय सदस्यों के लिए गौरव का विषय होना चाहिये।

चम्बल के विषय में इतनी बात कहने के बाद जिन माननीय सदस्यों ने सिंचाई के विषय में बहस में हिस्सा लिया और बातें रखीं। उनकी तरफ भी जाना चाहूंगा। इरिगेशन की बात पहले लूंगा। इस पर घण्टों कहा जा सकता है। समय की कमी के कारण अभी नहीं कहूंगा और कोई मौका आएगा तब निवेदन करूंगा।

जो कुछ भी इन्टरस्टेट सिंचाई के आपसी विवाद थे, उनके विषय में निवेदन करना चाहूंगा; चाहे राजस्थान नहर की बात हो, पोंग-डेम का मामला हो, ब्यास-सतलाज को लेकर वाद विवाद हो, जो भी विवादास्पद विषय पंजाब और राजस्थान के बीच थे, माही को लेकर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गुजरात और राजस्थान के बीच विवादास्पद विषय था, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब कोई विवादास्पद मामला नहीं रहा है।

(विराम)

पंजाब और राजस्थान के बीच जो झगड़े थे वे सब की लगातार कोशिशों के बाद अलग अलग लेवल्स पर मीटिंग्ज करके सारे रास्ते उनके विषय में निकाल लिये गये। घग्घर के लिये तय किया गया। माही के लिये कितना खर्चा वे देंगे, कितना हम देंगे, कई दिनों से यह मामला पड़ा हुआ था उनको सुलझा लिया गया। मैं इस विषय में सदन को डिटेल्स में अवश्य बताना चाहूंगा, लेकिन आज इस समय डिटेल्स में कहने का समय नहीं है। जब वक्त होगा अवश्य निवेदन करूंगा।

इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की सारी परिस्थितियां बना लीं फ्लड के मामले को लेकर। घग्घर का प्रश्न आया। मांडल से आये माननीय सदस्य ने कहा और उन्होंने काफी इच्छा जाहिर की कि यह बाढ़ का पानी आता है, नाली एरिया में तबाही करता है, उसके लिये चार करोड़ की योजना बनाई चैनल के द्वारा धोरों में उसको ले जाना चाहते हैं; उसका उपयोग नहीं है, उसको लेकर योजना के तौर पर सीकर, झुंझुनू की तरफ निकाल दें; चाहे किसानों से थोड़ा उसका पैसा ले लें। घग्घर में पानी चलता है जिसकी मेग्जिमम क्वान्टिटी ३.४ हजार क्युसेक्स से अधिक नहीं थी। पिछले तीन-चार वर्ष में अधिक बाढ़ आयी और मेग्जिमम २५ हजार क्युसेक्स पानी आया है। उनको ध्यान में रखें तो कितना क्युसेक्स पानी कितने दिनों के लिये जो घग्घर में, ओटी में निकलता है वह अवेलेबल है। साइफन राजस्थान नहर के नीचे से डाइवर्शन कर जिन धोरों में डालना चाहते हैं, चार, साढ़े चार करोड़ की योजना थी, काफी अर्थ वर्क इन्वोल्व्ड था, बरसात से पहले-पहले कुछ एक-दो वर्क को छोड़ कर उसको तीन साल के बजाय एक और सवा साल में पूरा किया है। पानी भी वेस्ट नहीं रहेगा। सिंचाई में मोगे भी रखेंगे, आस-पास की जमीन जो राजस्थान केनाल और भाखरा से इरिगेट नहीं होती थी वहां पेरेनियल चैनल जो चलेगी, हजारों एकड़ जमीन जिसकी सिंचाई नहीं होती थी, उसको किया है। एक स्पेशल व्यवस्था की है सिंचाई विभाग द्वारा उससे वहां जाने वाले किसानों को लाभ मिल सकेगा। वे नोन-पेरेनियल इरिगेशन से सिंचाई कर सकेंगे।

सभापति महोदय, हमारा जो मामला पंजाब से उलझा हुआ था, रोट बान्ध से एक आठ मील की चैनल पंजाब में बनेगी। राजस्थान के अन्दर सौ सवा सौ माइल की नहर की स्कीम होगी। इस स्कीम के लिये जो धन-राशि खर्च होगी, जो यह छः करोड़ की योजना है इसका पंजाब चालीस पर्सेंट शेयर करेगा और साठ पर्सेंट राजस्थान शेयर करेगा। इसमें बिना लिफ्ट के पैंतीस हजार एकड़ में नोन-पेरेनियल इरिगेशन होगा। १५ हजार एकड़ के लिये लिफ्ट इरिगेशन की योजना बन रही है. इसमें कम से कम एक हजार क्युसेक्स पानी की नहरें निकलेंगी उससे जो फ्लड का वाटर है उसका समुचित उपयोग हो सकेगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल): नोहर भादरा से पिलानी सीधे आ सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय सदस्य की आकांक्षाओं, भावनाओं और सारी बातों की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कद्र करता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि हमारे साधन सीमित हैं जिन कामों को हमने हाथ में लिया है उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं एक तो धन राशि की कमी, दूसरा यह भी है कि कितना पानी कितने दिनों के लिये और कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसको भी सही जानकारी होना आवश्यक है। हाइड्रोलिक डाइवर्सन चैनल की जो पॉलिसी है, नहरें इरिगेशन के लिये डेवलप हो जायं फ्लड के जरिये को बन्द कर दिया जाय, उसके बाद क्या बचता है, कितने दिनों के लिये पानी बचता है उस पानी को लिफ्ट के जरिये इन जिलों में पहुंचाया जाय, यह फिजीबिलिटी हमारे इन्जीनियर्स के दिमाग में है। उसके ऊपर हम अभी मे खास तौर पर हमारे जो वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी जी थे वे बहुत ही इस योजना के पक्ष में थे उन्होंने हमें काफी जोर देकर कहा, पर वे आज वित्त मंत्री नहीं रहे। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं इसे सेन्ट्रल योजना के रूप में राजस्थान के अन्दर खर्च करने के लिए तैयार हूं। अब उन स्थितियों में परिवर्तन हो गया है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन जिलों के किसान भाइयों के लिये पानी उपलब्ध होगा। तो निश्चित तौर से आज जो हमारे इन्जीनियर्स हैं, जो उस इलाके में काम कर रहे हैं उनके दिमाग में इस प्रकार की योजना है।

अब मैं माही के बारे में जो प्रश्न उठाये हैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : टूटे हुए तालाबों की मरम्मत करवाने के बारे में भी कह दीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा: मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दूसरी तरफ ध्यान दिलाया। उनका कहना है कि मेजा योजना को काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद हाथ में लिया गया। मेजा बान्ध में जितना पानी आना चाहिए था पानी की उसमें हमेशा से कमी रही है, वह कभी पूरा नहीं भरा है। जिस इलाके के तालाबों की बात आप करते हैं उसके लिए ऐसा हमारा ख्याल था कि जब मेजा बान्ध में भी पूरा पानी नहीं आया है तो टूटे हुए तालाबों की मरम्मत कराने से क्या फायदा होगा। टैक्नीकली तो यह सही है।

लेकिन जिन इलाकों की बात आप कहते हैं टैंक्स के टूट जाने की वजह से नुकसान हुआ है। वैसे तो टैंक्स पहले से ही टूटे हुए थे। उनको ठीक कराने की बात आप कहते हैं, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मसले को हमने हाथ में लिया है उन टैंक्स को जिनमें थोड़ी मात्रा में पानी का कन्जम्पशन होगा; कुछ अच्छे टैंक्स हैं उनको रिपेयर किया जाय और हमने इस काम को जल्दी ही पूरा करने का सोचा है।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा रखे हुए कटौती प्रस्तावों का उत्तर देने से पहले थोड़ी माही परियोजना के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। यह योजना जिसको हम तीसरी योजना के अन्दर स्वीकार नहीं करा सके; वैसे काम तो हम शुरू कर चुके हैं कन्सट्रक्शन ऑफ रोड्स, मकानों का निर्माण, नहरों का निर्माण आदि का काम पहले ही हाथ में ले लिया था, जिस समय नहरें बनायीं माही प्रोजेक्ट की योजना एक छोटी योजना के रूप में था; यह योजना गुजरात और राजस्थान की मिली-जुली योजना है। इसके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लिए एक बान्ध बनाना है बांसवाड़ा के पास। इसमें ४९ करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी। उसमें राजस्थान ९ करोड़ रुपया खर्च करेगा, उसके लिए गुजरात को ४० करोड़ का खर्चा करना होगा।

कदाना नाम का प्रोजेक्ट है, जो बैराज की तरह काम करेगा, वहीं से सिंचाई की नहरें निकलेंगी, इस पर १७ करोड़ रुपया गुजरात सरकार ने देना स्वीकार कर लिया है। इस कदाना का उपयोग सारे गुजरात स्टेट के लिए होगा। इसका सारा भार गुजरात स्टेट उठायेगी।

माही का हैड जो ९१२ पर करने का था उसको ९२१ पर करना चाहते हैं, इसके पॉवर जेनरेटिंग आदि के लिये एडीशनल कंस्ट्रक्शन का खर्चा होगा वह राजस्थान सरकार वहन करेगी। इतनी बड़ी योजना से राजस्थान को करीब डेढ़ लाख किलोवाट बिजली और ७५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी बांसवाड़ा जिले के अन्दर। इसको दोनों स्टेट्स ने स्वीकार कर लिया है। तीसरी योजना का जो समय बचा है उसी के अन्दर स्वीकार करने और कराने का विश्वास दिलाया गया है, क्योंकि चौथी योजना में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की सैंक्शन करने की स्थिति में प्लानिंग कमीशन नहीं होगा। चौथी योजना में ज्यादातर माइनर और मिडियम स्कीम में ही चलाना चाहते है, यह भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन की योजना है। माही का सारा विवाद हल कर लिया गया है। तीसरी योजना में इसको स्वीकार करके चौथी योजना में इसके लिए धनराशि खर्च की जा सकेगी।

राजस्थान नहर के बारे में सवाल आये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह एरिया बहुत डिफिकल्ट एरिया है। उसका अलग-अलग हिस्सों में काफी तेजी से काम चल रहा है। पोंग बांध के निर्माण का काम काफी तेजी मे चल रहा है जो शिड्यूल के अनुसार ७०-७१ में पूरा होने का है। लेकिन जिस गति से चल रहा है इसके लिए बड़ी धनराशि का भी प्रावधान किया गया है; टाइम के अन्दर पूरा करने के लिए पंजाब सरकार बना रही है, इसमें राजस्थान का वेलफेअर इनवोल्व्ड है।

पंजाब के अन्दर जो राजस्थान फीडर की लाइन बनानी थी उसका काम पूरा हो चुका है, १२१ माइल में से ३० मील खतम हो चुके है। अब ३० मील से ५९ मील के बीच में काम तेजी से चल रहा है। इसके आगे के फीडर में एकाध साल लेट होगा। कन्स्ट्रक्शन पोइन्ट आफ व्यू से कुछ दिक्कतें थीं, पानी की व्यवस्था, मशीनरी से कटिंग पुलिंग आदि की व्यवस्था। पानी की समस्या का हल कर लिया गया है। बड़ी पाइप लाइन थ्रू आउट दी अलाइनमेन्ट ले जा रहे हैं। जो छकड़े और ऊंट आदि की व्यवस्था है कटिंग और पुलिंग में, ये बहुत मददगार साबित हुए हैं। और मशीनरी की अपेक्षा थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है। अब कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम में भी तेजी आ रही है।

भारत सरकार ने निर्णय लिया है राजस्थान नहर को केन्द्रीय बजट में रख कर इसके लिये अलग से व्यवस्था कायम करें। जिसके सम्बन्ध में मैं इसी सत्र में बिल भी लाने की कोशिश करूंगा। इस काम को एक ऑथोरिटी के जरिये से बनवाया जाय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वहां के वाटर युटिलाइजेशन के प्रश्न पर कहा गया । १.२६ हजार एकड़ भूमि पर इरिगेशन होने की बात थी, उसकी जगह केवल ७० हजार एकड़ में ही कर पायेंगे, इसमें क्या हुआ ? मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग वहां की कन्डीशन से परिचित हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां क्या क्या मुसीबतें सामने आती हैं। जो नहर रावतसर से बीच की तरफ निकाली है उससे ८० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई करने वाले हैं, वहां जो टेल्स माइनर्स आदि बनाये जाते हैं, वहां आन्धी इस कदर चलती है कि बेलदार के सामने खड़े तेज आंधी से नहर वापिस बुर जाती है । ऐसी मुश्किल कन्डीशन में हम सिंचाई के साधन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं । वैसे हमारे पास अनलिमिटेड साधन नहीं, सोइल को लेवल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है; पानी की व्यवस्था का प्रश्न है । कोलोनाइजेशन के खर्चे में बहुत कमी रही है । उसके लिये जिस प्रकार से तेज गति से डेवलपमेन्ट होना चाहिये; वह नहीं हो पाया है, यह हम मानते हैं । आज भी कई मुश्किलें हैं । इन कठिनाइयों को हम जितनी तेजी से हल कर सकते हैं कोलानाइजेशन के लिये आने वाले सालों में ५।। करोड़ कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम के लिये रखा है । कुछ धन राशि पीने के पानी की व्यवस्था के लिये है, थोड़ा भूमि के लेवलिंग के लिये इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम आशा करते हैं कि जो कुछ पोटेन्शियल ४।। लाख एकड़ का बनाया था वह आने वाले दो सालों के अन्दर अमुक परसेन्टेज तक यूज कर सकेंगे । इस बारे में सिंचाई विभाग जागरुक है; नोन पेरेनियल पानी जो अप्रेल और अक्टूबर तक मिलता है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाय । खास तौर से हम यह चाहते हैं, आने वाली सीजन में जून महीने में हाइ ब्रीड बाजरा जो हमारे साधारण बाजरे से पांच-चार गुना ज्यादा पैदा होता है, राजस्थान केनाल के इलाके में हाई ब्रीड बाजरे की सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं ।

राजस्थान केनाल की जो स्पेशल परिस्थितियां हैं उसका थोड़ा दिग्दर्शन करने के बाद जो छोटे-मोटे मामूली प्रस्तावों के जरिये बातें सदन में रक्खी गईं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ।

खास तौर से जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़गांव, जैतपुर लूणी नदी पर निर्वाणी और माही नदी पर जालौर जिले में बांध बांधकर सिंचाई करने की बात कही, मैं इस बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बड़गांव और जालौर की सारी नदियों का सर्वे कराने और इन्वेस्टिगेशन के बाद सम्भावना प्रतीत हुई है कि कोई बहुत बड़ी सिंचाई की योजना बना कर स्टोरेज डेम के रूप में काम नहीं किया जा सकेगा । इसलिये इसको दुबारा डिटेल में देख रहे हैं कि क्या कोई रिजर्वोयर बना कर किसी छोटी और सस्ती योजना के जरिये या लिफ्ट के जरिये या पम्प लगा कर भी सिंचाई की जा सकती है; तो इस बारे में इस साल हमने सोचा है ।

जहां तक लूणी नदी का प्रश्न है, पहले भी मैंने निवेदन किया था कि चितलवाने का बांध बनाया है । एक दो बांध जिसके लिये आपने कहा सूजारी खाल का था, उसे बरसात से पहले टेक अप करके सिंचाई के लिये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बनाने का हमारा विचार है. ज्ञान भी है हमें उनका। अब जो इस तरह के प्रश्न उठाये उनका संक्षेप में मैंने उत्तर दिया।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने छोटे छोटे प्रोजेक्टों के बारे में जिक्र किया। जाखर, फूलसागर, लूणवा टांक इन सबका सर्वे हो चुका है। ये सब २५ हजार के नीचे के हैं, जो पंचायत समितियों के जरिये कार्यान्वित होते हैं। इसलिये इनको विभाग की ओर से कर नहीं सकते। सर्वे करके हमने पंचायत समितियों को दिया है। अब इसके लिये जो धनराशि हमारे पास अवेलेबल होगी और दे सकेंगे, तो उसके लिये पाली जिले का भी ध्यान रख कर हम चलेंगे और देने की कोशिश करेंगे।

जवाई से पानी कम मिलने के बारे में कहा गया। मैं उनकी बात से सहमत हूं। जवाई एक अच्छा बांध है। इसमें करीब ३॥ करोड़ की धनराशि खर्च हुई है। एक लाख एकड़ जमीन इससे सिंचित करने का लक्ष्य था। पर अब तक हम २५, ३० हजार से आगे नहीं बढ़ सके हैं क्योंकि पानी पूरा नहीं आता। कैचमेन्ट एरिया में औसत से कम बरसात होती है। यह प्री-स्टेट मर्जर के वक्त की योजना थी जिसे राजस्थान बनने के बाद इसमें पूरा किया। फिर भी इसमें ज्यादा पानी आवे और इससे अधिक लाभ उठाया जा सके, इस दृष्टि से हमने इसका सर्वे किया है। उसमें अधिक पानी लाने की सम्भावनाओं को देखा है जिसको शाई स्कीम कहते हैं। उदयपुर की हिल्ली एरिया का पानी इसमें लाना चाहते हैं, फीडर के जरिये कैचमेन्ट की ओर मोड़ना चाहते हैं। यह ११४ लाख की योजना है। इसका प्रावधान हमने चौथी योजना में रखा है। जो फीडर इसके लिये बनेगा तीन मील का टनल उसके लिये बनेगा जो पहाड़ों को तोड़कर लावेंगे। इसे हमने प्राथमिकता दी है और इसलिये दी है कि इतना बड़ा डेम जो हमने काफी पैसा लगा कर बनाया है उसमें पानी की कमी हो तो इसके लिये हमें प्रयत्न करना जरूरी था, क्योंकि इसकी वजह से यहां सिंचाई डेवलप हो गई है, वहां का किसान बेटरमेन्ट लेवी आज भी आसानी से राजी-खुशी दे रहा है। जिस एरिया में पानी की एक एक बूंद की कीमत है और जहां का किसान और ज्यादा बेटरमेन्ट लेवी तक देने को तैयार है, इससे आपको सन्तोष होगा।

बरदियाजी ने जाखण के बारे में कहा। इस बड़ी योजना को ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसमें २३३ लाख का खर्चा था। इतनी धनराशि थी नहीं, इसलिये हमने इसे छोटे रूप में बनाया है, २२ लाख रुपया खर्च करके बनाया है। आपकी इच्छा थी, बड़ा बनाया जाय। पर चौथी योजना में भी जिनको हाथ में ले रखा है उनको भी पूरा कर नहीं पावेंगे इसलिये इसे अभी छोटे रूप में लिया है। २२ लाख में से जो बनाने का हमारा विचार है दो लाख ६६-६७ में खर्च करेंगे। ६५-६६ में करीब करीब इतनी ही धनराशि रखी थी, जिसे उम्मीद है पूरी खर्च कर पावेंगे। चार पांच इस साल के अन्त तक खर्च कर पावेंगे और २२ लाख की मन्जूरी हमने करली है।

प्रभुलालजी सेन्टर, झालावाड़ से आने वालों ने अपने कट मोशन में तो बहुत सी बातें रखी थीं जो अनुपात से सिंचाई का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लाभ न मिलने के बारे में था। पर जो भाषण में कहा उसमें खास तौर से अपने इलाके की भौगोलिक स्थिति की तरफ ध्यान खींचा है कि इतनी नदियां हैं, इतनी जमीन है, डकैतों का यह एरिया है उसको सुधारना, उसे आबाद करना, उसके साधनों का पूरा उपयोग करना राज्य सरकार का कर्तव्य होना चाहिये। मैं उनकी बातों के महत्व से डिनाई नहीं करना चाहता। पोटेन्शियेलिटी है। फिर भी जो हमारे लिये फिजिबल था हमने कालीसिंध पर काम किया है। भीमसागर के बारे में एक दूसरे माननीय सदस्य ने भी और उन्होंने भी ध्यान आकर्षित किया है।

श्री सभापति: समय समाप्त हो रहा है। तो जब तक आपका भाषण पूरा न हो ले तब तक के लिये समय बढा देता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब तक माननीय सदस्य सुनें तब तक।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : हम तो सुनने को तैयार बैठे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ बड़ी योजनाओं की तरफ और लिफ्ट इरिगेशन की तरफ काम करने के लिये ध्यान खींचा है। मैं बताऊं १७ पम्पिंग सेट्स अभी बनाये थे। उनको और ज्यादा बढाये जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे और रैगुलेराइज और डेवलप करने की कोशिश करेंगे।

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) : अभी भी पम्पिंग सेट्स हमारे यहां नहीं लगाये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी आपके यहां नहीं हैं। आपके अब लगावेंगे। सर्वे चल रहा है। तो इसमें दो राय नहीं कि उस एरिया में सिंचाई की पोटेन्शियेलिटी को डेवलप किया जाना चाहिये और जैसे जैसे धनराशि हमारे पास आती जावेगी, हम यह करते जावेंगे। पर सदन में आप धनराशि तो देते हैं कम और काम ज्यादा कराना चाहते हैं। ज्यादा धनराशि की मांग करते हैं जो कहते हैं कि यह टैक्स मत लगाओ, वह मत लगाओ, टैक्स आप लगाने देते नहीं। तो धनराशि तो आप ही प्रोवाइड करेंगे तब होगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना सीरा बना कर पेश कर देंगे। तो इसमें आपका सहयोग हमें मिलना चाहिये।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : भीमसागर से कब सिंचाई होने लग जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह स्कीम ७०-७२ लाख की है। उसका सर्वे कर लिया था पहले जो योजना थी, वह छोटी थी। इस बड़ी योजना का सर्वे करने के बाद प्लानिंग कमीशन और सी. डब्लू. सी. में भेज कर स्वीकार कराली है। धनराशि अभी नहीं है। जब धनराशि थी और बनाने का समय था तब योजना डिफेक्टिव बन गई टैक्निकली वह अप्रूव नहीं हुई। इसलिए ज्यादा मुसीबत उल्टे होगी। आज जहां योजना स्वीकृत हो गई और टैक्नीकली फिजीबल है वहां पैसा नहीं है। इसलिए उस योजना को ७२ लाख रुपये की योजना को फोर्थ प्लान में पूरा करने के लिए उसकी गुंजाइश नहीं रखी है। इसलिए उसको एक छोटी योजना के रूप में हाथ में लेना चाहते हैं जिससे करीब दो हजार एकड़ की सिंचाई होगी।

श्री मोतीलाल चौधरी : जैसा आपने अभी कहा कि योजना है और पैसा नहीं है तो

(श्री मोतीलाल चौधरी)

फिर पैसा क्यों नहीं है ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जैसे कोई योजना बनाई तो जिस इलाके की बिजली चाहिए, यहां पर २५ परसेन्ट रुपया वहां के लोग कर्ज के रूप में दें तो लाइन निकाली जाती है। आप भी अपनी योजनाओं पर २५ परसेन्ट कर्जा लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : किससे ?

श्री मोतीलाल चौधरी : जनता से। हमारे नागौर जिले में आप यदि कोई ५ करोड़ की योजना बनायेंगे तो हम आपको १ लाख रुपया देने के लिए तैयार हैं।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : आप अभी उसको छोटे प्रारूप से शुरू कर रहे हैं और दो-तीन लाख रुपये का प्रावधान कर रहे हैं और जिससे २ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है और अछनावर टाउन डूब में नहीं आये, ऐसा काम करके आप चल रहे हैं या नहीं ? जब धनराशि की उपलब्धि होगी तो उसके बाद आप बड़ा डैम बना देंगे।

श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़) : आपने कहा भीमसागर के लिए कि हम छोटा बंध बनायेंगे; तो आपने एक तरफ तो नोटिस दे रखे हैं कि वहां कोई भी मकान नहीं बनाये, तो क्या आप अपने इन नोटिसेस को विथ्ड्रा करेंगे ? आप अछनावर को दूसरी जगह बसाना चाहते थे क्योंकि वहां आप बड़ा बंध बनाना चाहते थे लेनकि अब वहाँ छोटा बांध बना रहे हैं और वहां पर लोगों को आपने ऐसा नोटिस दे रखा था कि वहां पर कोई मकान आदि नहीं बनाये तो क्या अब जो आपकी स्कीम छोटी हो गई है उसके अनुसार उनको मकान बनाने को इजाजत देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अछनावर टाउन के बारे में कहा कि वहां की योजना छोटे वेयर की बन रही है और इस प्रकार की योजना बन रही है कि वह अछनावर डूब में नहीं आये और उस ऑर्डर को रिलेक्स कर देंगे क्योंकि इसे फोर्थ प्लान में बनाने की कोई योजना नहीं है और पांचवी पंचवर्षीय योजना में अभी देरी है और उसमें काफी समय बाकी है। इस बीच में कोई दूसरे काम नहीं हों; ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए उसको भी जल्दी रिलेक्स करने के ऑर्डर्स जारी कर देंगे।

मैं समझता हूं कि भीमसागर की स्थिति के बाद में अलवर की माननीय सदस्या ने जो कुछ कहा उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने खास तौर से मुझे यह कहा कि हमारे अलवर जिले से नाराज़गी क्यों रहती है ? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग और मेरा अलवर जिले से बड़ा प्यार है। अलवर जिले में कृषि और सिंचाई का डवलपमेन्ट और पोटेन्शल और वहां के किसानों का एन्थ्यूज़ियाज़्म और मेम्बर के एन्थ्यूज़ियाज़्म को देख कर मैं बड़ा खुश होता हूं। इस जिले को विकास में काफी प्रोत्साहन मिले, इसकी मुझे दिल्ली ख्वाहिश है, लेकिन सभापति महोदय, कुछ सीमायें हैं और उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम सब जिलों को सब हिसाब से देखेंगे और उसी हिसाब से उनका योजनाओं के अन्दर प्रावधान करेंगे। जब उन्होंने पहले कहा कि हमारे जिले को बिलकुल ही छोड़ दिया तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर जिले के अंदर भी हमने तीनों योजनाओं के अन्दर कुल मिला कर १५ सिंचाई योजनाओं के कामों को पूरा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किया है और उन पर करीब १५ लाख रुपया खर्च किया है अब आगे भी बहुत सी योजनाओं के नाम उन्होंने गिनाये; धोली पाल का बंध बन सकता है और दूसरे भी बंध बन सकते हैं और ऐसी बात नहीं है कि हम सर्वे नहीं कराते, हम सर्वे भी करवा रहे हैं और, माननीय सभापतिजी, मैं आपको बताऊं कि हमारे सिंचाई विभाग के पास में कम से कम ४५० टेक्नीकल योजनायें सर्वे की हुई तैयार पड़ी हैं, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन के लिए धनराशि की कमी है। वहीं हमारा बोटल नेक हो जाता है। जो योजनायें हैं इसमें ये सभी जिले आते हैं। इसलिए माननीय सदस्या यह नहीं मानें कि हम आपके लिए बहुत पार्शयल हैं। ऐसी भावना वे नहीं रखें.......

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहती हूं। जितने भी नाम मैंने गिनाये हैं, और भी बहुत से बांध हैं जिनके द्वारा सिंचाई के काम हो सकते हैं, जिनके नाम याद नहीं कर सकती, ये पुरानी स्टेट के टाइम में छोटे-छोटे बंध हैं, जिनको छोटी धनराशि लगा कर बनवाया जा सकता है जिससे उनका कुछ उपयोग भी हो सकता है। हमारे अनुरोध करने पर भी अभी तक आपसे जवाब नहीं दिया जा सका है, ये कौनसी योजनायें हैं और कितना रुपया इनमें लगेगा; इससे लाभ है या हानि है, यह सब मालूम हो जाये ताकि वहां के निवासियों को अन्दाजा हो सके कि हम जिसकी आशा में बैठे हैं उसका क्या हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टूटे हुए टैंक्स राजस्थान के कई जिलों में हैं। ऐसा नहीं है कि टूटे हुए तालाब या बंध आदि केवल अलवर जिले में ही हैं और उन टैंक्स की मरम्मत करायें और पानी इकट्ठा करें तो काफी खर्चा लगेगा। क्योंकि ये टैंक्स राजस्थान में कोई थोड़े से ही नहीं हैं। अगर सारे टैंकों की मरम्मत की धनराशि जोड़ी जाये तो लाखों की हो जाती है और लाखों की कमी है और हो सकता है वह धनराशि करोड़ों में पहुंच जाये। तो जब हमारे पास साधन ही नहीं हैं या साधनों की कमी है तो उनका सर्वे आदि कराने में यों ही स्टाफ को दौड़ायें। वह स्थिति आज मैंने जैसी निवेदन की कि करीब ४५० योजनायें हमारे पास सर्वे की हुई तैयार पड़ी हैं और उनको पूरा कराने के लिए पैसे नहीं हैं और उन योजनाओं की सर्वे हमने माननीय सदस्यों की राय से ही कराई है लेकिन उनको पूरा कराने के लिए भी तो धनराशि नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप हमें दौड़ाओ और उसका कुछ नतीजा नहीं निकले तो उससे क्या फायदा। जब आपके पास में धनराशि तेज हो तो हम भी दौड़ाने लगेंगे तेज। हमारे इन्जीनियर्स बहुत होशियार हैं। वे सर्वे भी कर लेंगे और सब काम कर लेंगे।

जायल से आने वाले एक माननीय सदस्य कहते हैं कि गुढा बांध टूट गया और दो बार टूट गया और कहा गया कि ९९ करोड़ रुपये का उसमें घाटा हो गया, तो यह तो कुल खर्चा मैंने बताया था ९९ करोड़ का और उतना ही घाटा बता दिया। पता नहीं माननीय सदस्य इन आंकड़ों को कैसे निकालते हैं? नागोर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी शायद कहा........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : नागोर की तरफ बुद्ध भी होते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जिन तालाबों के नाम बताये हैं वह सब वक्त पर काम भी करायेंगे........

श्री जगलाल (हिन्डौन-सु०) : आपने अभी बताया कि छोटे-छोटे बांध राजस्थान के अन्दर टूटे हुए हैं उनके लिए अगर इस तरह की धनराशि खर्च की जाये तो वह लाखों रुपयों में पहुंच सकती है, तो क्या आप उचित नहीं समझते हैं कि खाद्यान्न की स्थिति के अनुसार जो छोटी-छोटी योजनायें हैं, वह यदि तैयार हो जायें तो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सकता है ? तो क्या सरकार यह जरूरी नहीं समझती है कि उन छोटी योजनाओं को पहले बनाना चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बहुत जरूरी है और उचित है लेकिन धनराशि नहीं है, इसलिये कैसे करायें ?

श्री मानसिंह महार : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री पद में हेरफेर हो गई जो कौल साहब उस कुर्सी पर विराजमान हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : ऐसा हेरफेर हो जाया करता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो गुडा बांध के लिए कहा तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि धन की कमी की वजह से ही हम इसको नहीं कर पा रहे हैं । स्कीम बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी है; लेकिन चूंकि धन की कमी है, जब तक धन-राशि का प्रावधान न हो, पूरा करना सम्भव नहीं है । खास तौर से कोटा-बूंदी के इलाकों में, बार्ड के इलाकों में जहां अकाल है वहां पर पांच-सात रुपये अकाल के हैड और इरिगेशन के हैड से दिए गए हैं और कुछ माइनर इरिगेशन के वर्क हाथ में लिए गए हैं । किशनगंज-शाहबाद के एरिया में और कोटा-बूंदी के बार्ड के एरिये में हमने काम किए हैं........

श्री मानसिंह महार : ये तो हिण्डौन के रहने वाले हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हिण्डौन के हों तो भी क्या होता है ? आखिर जनता के आदमी हैं, अपने तक ही समिति नहीं रह सकते । यह ठीक है कि अपने इलाके का इन्टरेस्ट रखते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, आपने अलवर जिले से तो बड़ा प्यार दिखाया....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आप पर भी दिखाऊंगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि पन्द्रह लाख रुपया अलवर डिस्ट्रिक्ट में खर्च किया गया, तो आप यह बताइए कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जब से अजमेर मिला तब से आज तक, आपने इस बारे में कौन से प्रयत्न किए ? मैंने यह सवाल उठाया है, आपकी दया का सवाल नहीं उठाया है । मैंने यह सवाल उठाया है कि जो एक मील की दूरी पर चम्बल का पानी है उसको आप पहुंचाइये; हमें उसके लिए बेटरमेंट लेवी देने में भी कोई एतराज नहीं है, हमारे किसान खुशहाली-कर देने को तैयार हैं । आप प्यार दिखाने के बजाय थोड़ी सी सिम्पेथी ही दिखा दीजिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब मैं पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट पर ही आ जाता हूं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है ....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द) : हम लोग भी खड़े हो जायं तो हमारी बात होगी क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी बात पर भी आऊंगा, आप संतोष रखिये ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसादजी, जरा शान्त रहो ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातों की तरफ ध्यान दिलाया और कहा कि अजमेर जिले के अन्दर सिंचाई के मामले पर गौर करना चाहिए । मैं आपकी मार्फत उनको सूचना देना चाहता हूं कि गत तीन योजनाओं के अन्दर लगभग ३० सिंचाई के काम अजमेर में हुए हैं और करीब २६ लाख का खर्चा उठाया गया है । इसके अतिरिक्त पचास लाख रुपये की नारायणसागर बांध की योजना है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपके अ... कहना चाहता हूं कि यह पैसा जितना भी है अजमेर स्टेट के टाइम का है, उसको इसमें मत मिलाइए । जयपुर में आने के बाद आपने क्या इन्कलाब किया है, यह बताइए।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अजमेर और राजस्थान की बात नहीं करता । योजनाओं के अन्दर जो खर्चा किया गया है वह बता रहा हूं । अब तक की योजनाओं के अन्दर कम से कम ८० लाख रुपये का, या ७५ लाख रुपये का काम सिंचाई का अजमेर में हुआ है । इसके बाद लिफ्ट इरिगेशन की तरफ जो माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, उसके सम्बन्ध में भी मैं आपको बता दूं कि हमारे विभाग के टैक्निकल इन्जीनियर्स के और हमारे दिमाग में भी यह बात है कि चम्बल का पानी जब राणा प्रतापसागर और कोटा डैम की इरिगेशन की पूरी स्टेजेज बन जायं तो इस प्रोजेक्ट से लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा पहाड़ों से अजमेर में पानी लाया जाय । जहां तक सिंचाई और पीने के पानी की समस्या है, इसके बारे में हम भी जागरूक हैं और आगे आने वाले वक्त में ज्यों-ज्यों धन-राशि उपलब्ध होती जायगी, चम्बल के पानी को लिफ्ट के जरिए यहां पहुंचाने की फिजिबिलिटी महकमे के दिमाग में है और हम विचार कर रहे हैं कि इस योजना को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक यह हमारे दिमाग में ही है, सिर्फ योजना और स्कीम के रूप में ही है, आकार-प्रकार कितना बड़ा बनेगा, यह तो जब हमारे सर्वेयर्स की रिपोर्ट आएगी तभी पता लगेगा ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, (सभापति महोदय), खास तौर से आसींद से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप अजमेर की क्या बात करते हो ? तीन मिनिस्टर दे दिए आपको फिर भी पानी मांगते हो ।

श्री नाथूराम मिर्धा : श्री गिरधारीलाल जी व्यास ने अपने इलाके में नौवाड़ी बांध, लाधूड़ा तालाब वगैरह बनवाने के सम्बन्ध में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कहा है। तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि हमने इसी वर्ष में जो कार्य करने के लिए सोचे हैं, उनमें इनको भी स्वीकृति दे दी है और कुछ फण्ड इरिगेशन विभाग से और कुछ फैमिन विभाग से इसके लिए दिए जाएंगे।

इसके अलावा खासतौर मे उन्होंने जो सिंचाई व्यवस्था और एक्स. ई. एन. और एस. डी. ओ. वगैरह के बारे में काफी कहा है। उनके बारे में मैंने काफी जानकारी की है और वहां पर जिस प्रकार की व्यवस्था की कमी और दूसरी चीजों के बारे में कहा है, तो हमने इस बारे में वैसी स्थिति नहीं पाई है····

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप इन्क्वायरी तो करिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत कुछ इन्क्वायरी कराने के बाद ही कह रहा हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इन छोटी २ बातों पर क्यों सदन का समय खराब किया जा रहा है, आप तो सिद्धान्त की बातें बताओ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : खारी बांध के कमाण्ड के सम्बन्ध में तो बताइए। आपने उसका ३५ हजार का कमाण्ड कर रखा है और पानी दस हजार एकड़ का ही आता है। उसको कमाण्ड से बाहर निकालने का प्रश्न है। इसकी वजह से वहां के किसानों की फसलें सूख गई हैं, इस पर आप बताइए।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, अब जो दूसरे माननीय सदस्य हैं मैं उनकी बात की तरफ आता हूं। खासतौर मे चाकसू से आने वाले········

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे प्रश्न का तो जवाब दो।

श्री नाथूराम मिर्धा : खारी बांध से आप क्या चाहते हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसकी कमाण्ड घटाने का प्रश्न है। उसकी कैपेसिटी दस हजार एकड़ की है और उसकी जगह आपने ३५ हजार एकड़ की कमाण्ड कर रखी है उसकी वजह से किसानों की फसलें सूख रही हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : खारी के अन्दर अभी और पानी आने की गुंजाइश है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अब के भी पूरा भरा था वह तो।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कमाण्ड में नहीं रखना चाहते हैं?

(राजकीय दीर्घा से मंत्री महोदय को एक स्लिप प्राप्त होने पर)।

मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि राज्य सरकार उसकी कमाण्ड घटाने का विचार कर रही है और जल्दी ही इस सम्बन्ध में फैसला करेगी।

(हियर-हियर)

एक माननीय सदस्य : यह तो गोलमोल है।

श्री नाथूराम मिर्धा : चाकसू से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन योजनाओं की तरफ ध्यान दिलाया और उनके नाम गिनाए। उनमें एक श्यामपुरा प्रोजेक्ट है। इसका सर्वे पूरा कर लिया गया है और वह सर्वे और एस्टीमेट का काम हो गया है, लेकिन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जब धनराशि उपलब्ध होगी और टैक्निकली फिजिबल होगा तभी बन सकेगा। लेकिन उस योजना का सर्वे पूरा कर लिया गया है। जहां तक दूसरी योजनाओं के नाम गिनाए और उनमें मोहीसैरा डैम भी है। इसमें सोइल का टैक्निकली सर्वे कराया जा रहा है क्योंकि इसकी सोइल की सरटेन्टी नहीं है। सोइल का पूरा टैस्टिग होने के बाद टैक्निकल सर्वे होने के बाद ही यह निर्णय किया जा सकेगा कि इसे रेस्टोर करना पोसिबिल हो सकेगा या नहीं। क्योंकि यहां की जो सोइल है उस सोइल की सैलीविटी की वजह से ही पहले का डैम टूटा है। इसलिए सोइल का सर्वे होने के बाद ही उसको रेस्टोर करने के बारे में विचार होगा।

तीसरा उन्होंने चलाना प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया। अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी प्राप्त करेंगे और अगर यह प्रोजेक्ट फिजिबल हुआ तो इसका सर्वे करवा कर इसकी ओर ध्यान देंगे।

खास तौर से सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा इस विभाग का ध्यान आकर्षित कराया और सिद्धान्त के तौर पर कहा कि जो बेटरमेंट लेवी ली जाती है वह नए प्रोजेक्ट से ही वसूल की जानी चाहिए क्योंकि वहां पर ही खुशहाली होती है और जो पुराने टैंकों के अन्दर किसानों की जमीनें आती हैं और उनसे उनकी जमीनों में सिंचाई करते हैं तो उनकी नहरी रेट होनी चाहिए। जो रेट मुकर्रर की जाती है वह प्रोजेक्ट एरिया की न होकर नहरी एरिया की होनी चाहिए। सिद्धान्त रूप में मुझे इस बात को मानने में एतराज नहीं होना चाहिए लेकिन जो बांध बनाए जाते हैं और दूसरे बारानी एरिया जिसमें उन्हें सिंचाई के साधन मिलते हैं तो वह बारानी ही मानी जाएगी और इसलिए उसी के अनुसार लेवी वसूल करना होगा।

खासतौर से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमेशा की तरह लिफ्ट इर्रिगेशन और नागोर के पानी की तरफ ध्यान खींचा....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : लूणकरणसर के बारे में है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिले से मेरा मतलब है। मैं जिले की बातें कर रहा हूं, इतनी छोटी बातों में आप क्यों जा रहे हैं ?

तो उन्होंने जो लिफ्ट इर्रिगेशन योजना की तरफ ध्यान खींचा है तो मैं इसके बारे में पहले ही काफी डिटेल में निवेदन कर चुका हूं सदन में। करीब २२ करोड़ की योजना बना ली है। इस योजना को राज्य सरकार ने एप्रूव कर लिया है और सी० पी० डब्ल्यू० डी० में जायगा, राजस्थान कैनाल बोर्ड में जायेगा और राजस्थान कैनाल बोर्ड के बनने के बाद जिन प्रोसीजर्स में से गुजरना पड़ेगा उसमें से गुजरेगा। उसकी हम पैरवी करेंगे और जल्दी ही करायेंगे। इससे ज्यादा मैं आश्वासन नहीं दे सकता हूं। इससे ६।। लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई भी होने की गुन्जाइश है। इसमें एक बात है कि वहां पर पीने के पानी को हल करने की बात है। इससे मैं सोचता हूं कि यह काफी फायदा होगा।

मैं सोचता हूं कि जीवराजसिंहजी साहब का कह दिया, गिरधारीलालजी का

(श्री नाथूराम मिर्धा)
कह दिया, उमा माथुरजी का कह दिया, लक्ष्मणजी पटेल ने कुछ योजनाओं की तरफ ध्यान खींचा था । कुछ डिफैक्ट्स थे तो उनकी बहस सुनने के बाद में उनके व्यू पोइंट को देख लेंगे और सुधार करने की आवश्यकता होगी तो उसमें सुधार करेंगे ।

चन्द्रसिंहजी बर्फा की खास बात नहीं है । उन्होंने एक तरफ ध्यान खींचा था सिद्धान्त की तरफ । उन्होंने यह कहा कि हमारे जैसे सूखे एरिया में जहां पर पुराने डैम बने हुए हैं उसके ऊपर के कैचमेंट में नये डेम्स बनाने से पानी कम आता है । उनकी वजह से जिन लोगों के यहां सिंचाई होनी चाहिए उनको पानी नहीं मिलता है । खास तौर से जसवन्तसागर बांध के लिए कहा । बिलाड़ा में रायपुर नदी का पानी बहता है । वह बिलाड़ा में पानी रिलीज़ होता है । उससे कुओं में पानी जाता है । अब रायपुर टैंक बनने से उस इलाके की बेहबूदी में कमी होगी । सिद्धान्त की दृष्टि से वे ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस रायपुर बान्ध को इस तरह से बनाया है कि उसमें से पानी पर्कोलेट होकर नदी में जाता है और ओवर-फ्लो होकर भी जाता है । इसलिए उस एरिया की बेहबूदी का ध्यान रख कर ही इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है उसकी वजह से वहां पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा नीचे के पार्ट में । इस बात को ध्यान में रख कर ही सैन्क्शन की है । आलनिया नदी पर जब कन्स्ट्रक्शन करते हैं तो जालौर और बाड़मेर को ध्यान में रखा जाता है । जालौर टेल एन्ड पर आ जाता है । इसलिए इस सिद्धान्त को जो कि आपने बताया है उसको सिंचाई विभाग ध्यान में रखता है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सिद्धान्त ही नहीं, उससे आगे ज्यादा फायदा हो सकता है, बनिस्बत इसके कि इन छोटी-छोटी योजनाओं पर पैसा खर्च करें अलग अलग । आगे जो हजारों एकड़ जमीन पड़ी है वहां पर पानी पहुंचने से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ सकता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि सब बेलेन्स्ड वे आउट करके रास्ता निकालते हैं । इस बात को महकमा ध्यान में रखता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी समाप्त ही कर रहा हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : एक सवाल पूछना है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जिस योजना का जिक्र किया है, सूकड़ी के ऊपर है, उसका सर्वे करा लिया है और उस योजना का काम धन-राशि मिलने पर शुरू कर देंगे । वह सर्वे पूरा हो गया है ।

श्री जीवराजसिंह (गुढा) : झुन्झुनूं का फर्मावें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : झुन्झुनूं एरिया में और सीकर एरिया में सिंचाई की पोटेन्शियेलिटी की नदियां बहुत कम हैं । नीम के थाने में जो छोटे-छोटे एक-दो डेम्स बनाये गये हैं तो उनको बनाने के बाद पंजाब वालों ने एतराज किया । वे कहते हैं कि जिस इलाके से ये नदियां निकलती हैं वे सूखे इलाके हैं उनसे निकलकर वे महेन्द्रगढ़ के इलाके में जाती हैं जहां कि पीने का पानी भी उनकी वजह से मिलता है । इनके कैचमेंट के ऊपर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किसी प्रकार का डैम बनाते हैं तो उसकी वजह से आपका इलाका तो डूबेगा ही, उसके साथ-साथ हम भी डूब जायेंगे। इसलिए इन योजनाओं को कम से कम आगे हाथ में न लें।

श्री जीवराजसिंह : पानी पंजाब में जा नहीं रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : नदी के जरिये नहीं जा रहा है, लेकिन उसके पेटे में जो पानी भरता है वह पानी अन्दर ही अन्दर आता है....

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री राधाकृष्ण बोयल (टोंक) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर....

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : मंत्रीजी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पंजाब के एतराज से यहां की सरकार बाध्य है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्योंकि पंजाब और राजस्थान का ईरिगेशन और बिजली का बहुत सम्बन्ध है, इसलिए हम हमारी मर्जी आये वैसा करेंगे और वे उनकी मर्जी आये वैसा करेंगे तो काम नहीं चल सकता है।

श्रीमती सुमित्रा : मंत्रीजी यह बतायेंगे कि राजस्थान की बेहबूदी प्रथम है या पंजाब का एतराज ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एतराज का भी ध्यान करना पड़ता है। जब कई प्रकार की योजनाएं बनती हैं तो एक दूसरे के सामने रखते हैं, उनको भी साथ में लेते हैं। एक दूसरे से बात करने के बाद योजनाओं पर फाइनल फैसला किया जाता है। उनको मनवाया जाता है कुछ वे मानते हैं और कुछ हम मानते हैं और आपस में बातचीत करके इस प्रकार के मसले का हल होता है। हम एक दूसरे से बिना पूछे एक तरफा चलना चाहें तो वह नहीं चल सकते हैं।

यह सीकर जिले की नदियों का मैंने बताया। इसमें झुंझुनू इन्वोल्ड नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि जिन छोटी छोटी योजनाओं का झुंझनू के लिए आपने (श्री जीवराजसिंह) ने जिक्र किया है उसकी जानकारी अभी मेरे पास एवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं, उनकी क्या स्टेज है, कितने आकार की योजनाएं हैं, कितना उनका सर्वे हुआ है, इस समय कहने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि यदि उनकी फीजिबिलिटी है और २५ हजार के अन्दर की योजनाएं हैं तो....

श्री जीवराजसिंह : लाख के ऊपर की हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : विभाग उन पर गौर करेगा, विचार करेगा।

श्री जीवराज सिंह : आपको जानकारी नहीं है तो मैं दे दूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे पता नहीं था कि आपका कटमोशन आ जायेगा....

(कुछ माननीय सदस्य प्रश्न पूछने खड़े हुए)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी....

श्री सभापति : One at a time.

श्री मानसिंह महार : आपने कहा कि ऊपर से पानी जाता है और नीचे से पानी जाता है, तो नीचे से पानी का क्या सिलसिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नीचे के पानी से मतलब है अन्डरग्राउन्ड करेन्ट और ऊपर के पानी से मतलब कि जो ऊपर से वहता हुआ दीखता हुआ नदी में जाता है ।

श्री रविशंकर याज्ञिक : मेरा यह निवेदन है कि आपने यह फर्माया है सूकड़ी नदी पर जो डैम बना है, इनन्डेशन डैम बना हुआ है, उससे जमीन खराब होती है इसलिए जल्दी उसको बनावें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : धन कहां है ? जब मौका होगा और धन होगा तो बनेगा । योजना का सर्वे करा लिया है । वह फिजिबल है, और क्या चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने तीन प्रश्न उठाये थे, जिनका जवाब मुझे नहीं मिला है । एक तो यह उठाया था नेखारी का बन्धा बनवाने के सम्बन्ध में....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझ गया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको नहीं बनाना है तो मत बनाइये लेकिन सुनें तो सही ।

नेखारी के बांध के लिए मैं पिछले १० वर्षों से कह रहा हूं । आज भी कहा है, लेकिन उसका जवाब नहीं ।

दूसरा दूधिया की नहर के बारे में है । जिस समय खारी बांध बना था तो वहां से लोगों को हटाकर दूसरी जगह बसाया था और उनको कहा गया था कि यहां तक नहर लायेंगे, लेकिन वह नहर अभी तक नहीं आई ।

तीसरा मैंने वहां एस० डी० ओ० के खिलाफ शिकायत की थी उसकी जांच का आश्वासन दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जांच के सम्बन्ध में आश्वासन पहले दे चुका हूं । अगर किसी के खिलाफ शिकायत है तो जांच होने में मुझे कोई एतराज नहीं है । आपने जब से शिकायत की है उसके ऊपर जो कुछ जानकारी की है तो आपकी शिकायत से पूरी तसल्ली नहीं हुई है । इस वजह से कहा था । आप और कहेंगे तो और करा लेंगे ।

उसके अलावा दूसरी बात जो आपने नेखारी के तालाब के बारे में कही उसमें यह है कि वह नेखारी का तालाब है वह नारायण सागर का जो अजमेर का तालाब है उसके एनकेचमेंट एरिया में आता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नारायण सागर तो खारी पर बना है । वह चालीस मील दूर है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एनकेचमेंट तो सैकड़ों मील मे होता है यह टेक्निकल राय है, मेरी तो राय नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : टेक्निकल राय तो बदलती रहती है । अगर आप कह दें तो····

श्री सभापति : माननीय गिरधारीलाल व्यास । इस पर बहस नहीं होगी ।

श्री बलपतसिंह (ग्राबू) : यह जो शिवगंज तहसील के ग्रन्दर इन्नडेशन डैम की स्कीम है वह टेक्निकली बहुत सुन्दर स्कीम है। वह इस प्रयोजन से स्कीम बनी थी कि पहाड़ों के पानी को रोककर वहां पर ग्रेविटी ग्रॉफ दी सॉइल को बढायें, लेकिन पानी जो ग्राता है उससे रेत ग्रौर कंकड़ ग्रा जाते हैं। इसके ग्राने से बरसात के ग्रन्दर पानी जमा हो जाता है ग्रौर क्रोप खराब करता है। रेत ग्रौर कंकड़ ग्राने से जमीन खराब होती है, इसलिए महरबानी करके क्या टेक्निकल फर्क पड़ गया है जिसके कारण काश्तकारों को खराबी हो रही है। इसको नोट करके देख लीजिये, सर्वे करवा लीजिये ग्रौर इसको रोकने के लिए प्रयत्न कीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इननडेशन से नुक्सान हो रहा है, उसके बारे में डिटेल्स में जाकर इस बारे में सोइल कंजर्वेशन का प्रोग्राम हो या किस तरह से रोका जा सकता है, इस बारे में विचार करूंगा।

(श्री रविशंकर के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री याज्ञिक ग्रापको बोलने का मौका मिल चुका है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : ग्राप यदि ग्राज्ञा दें तो मैं तीन बातें पूछना चाहूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापतिजी इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस विभाग में दिलचस्पी लेकर जनरल बातों को ग्रौर लोकल समस्याग्रों को रखते हुए कटौती प्रस्ताव रखे, उनके बारे में मैंने कोशिश की कि मैं सन्तोष दिला सकूं। ग्रभी भी माननीय सदस्यों के ग्रिवेन्सेज बाकी रह गये हों तो मैं बाहर भाग कर जाने वाला नहीं हूं, वे ग्रपनी बातें कभी भी रख सकते हैं मैं निश्चित तौर पर किसानों की भलाई की बातों पर विचार करने को तैयार हूं ग्रौर रहूंगा।

मैं ग्रन्त में कहूंगा कि सिंचाई के साधन तेजी से बढ़ने चाहिए। ज्यादा धन ग्रौर योजना का विस्तार होना चाहिए, इसके लिए ग्राम तौर पर सोचते हैं। सिंचाई के लिए पैसे की कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं ग्रौर करनी भी चाहिए। इसके ग्रन्दर ग्रापने दिलचस्पी ली है, साधन बढ़ाने का सवाल ग्राया है; उसमें विशेष तौर से रुचि लेकर काम करेंगे क्योंकि साधनों का बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई में खर्च हुग्रा है। ग्रागे भी तरक्की करना चाहते हैं तो ज्यादा प्रावधान जुटाने के लिए इस सदन को ग्रौर भी तेजी से काम करना चाहिए, किया भी है ग्रौर भी ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे ग्रपने कटौती प्रस्ताव वापस लें।

श्री दिग्विजयसिंह : एक जानकारी चाहूंगा।

श्री सभापति : ग्रॉर्डर प्लीज !

श्री दिग्विजयसिंह : मुझे बोलने का मौका नहीं मिला।

श्री सभापति : ग्राप यहां पर मौजूद नहीं थे। जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये उनमें से एक भी ऐसा नही था जो यहां उपस्थित हो ग्रौर उनको बोलने का मौका नहीं मिला हो।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं बोलने को खड़ा हुआ था, पर आपने मौका नहीं दिया।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेरा नाम जयप्रसाद गोयल लिख दिया है, राधाकृष्ण गोयल के बजाय ....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! वह ठीक कर दिया जायगा।

जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनको क्या वे वापिस लेना चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : हम वापिस लेना चाहते हैं अगर हमारा काम हो जाय तो।

श्री सभापति : प्रश्न रख दिया जायगा और मांगें पास होने के साथ ही कटौती प्रस्ताव वापिस लिये समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,३२,३५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

मांग स्वीकृत हुई।

(विराम)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)।

४४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)।

४४–सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६०,८२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २६ स्वीकार की गई

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक :

९८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत।

९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक)।

१००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक)

के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,६३,७१,००० रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४१ स्वीकार की गई।

सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर ३७ मिनट पर १८ मार्च, १९६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE DETAILED INFORMATION IN REGARD TO THE TUBE WELLS AT CHANDAN AND AROUND.

Irrigation Capacity.	Location.	Yield in I.G.P.H.	Draw Down.	Depth.
1	2	3	4	5
680 Acre.	Chandan.	42,200	20'	955'-0"
265 ,,	Barotagon.	16,000	17-17	928'-11"
590 ,,	Bhojak.	35,400	17,3/8	935'-5"
415 ,,	Sodakanwar (M/s 34/4 old on Jaisalmer Pokaran Road).	25,000	11.5"	749'-6"
540	Karmon-ki-Dhani (144/4) M/s from Jodhpur to Jaisalmer Road.)	32,200	18.97	775'-08"
590	Jetha.	35,000	20	910'-11"
500	Lathi.	30,000	15	504'-4"
430	Sodakaur.	25,400	19	730'-0"
580	Bhairwa.	35,000	18.97	860'-0"
330	Jesurana.	20,100	15.36	781'-0"
580	Dhaisar.	35,000	16.5	626'-2"

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

डकैतियां

३२७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नवम्बर, ६५ से अब तक थाना किशनगंज, शाहबाद, इटावा व खानोली (कोटा जिला) में कितनी डकैती हुई तथा उनमें जान व माल का कितना नुकसान हुआ ?

(२) उपरोक्त मामलों में से कितने मामलों में मुलजिमान पकड़े गये व कितनी बरामदगी हुई ?

(३) क्या यह सही है कि डकैती में अपहरण किए गए कुछ व्यक्ति वापस छूट कर भागए हैं ? अगर हां, तो कैसे ?

उत्तर

(१) थाना किशनगंज, शाहबाद, इटावा तथा खातोली (कोटा जिला) में माह नवम्बर, १९६५ से अब तक (२५-२-६६ तक) कोई डकैती की घटना नहीं घटी। अतः उनमें जान और माल के नुकसान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

सोपेज कैनाल का अभाव

३२८. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांगोद, ग्राम गुड़ला में सीपेज कैनाल ठीक से नहीं बनाई जाने के कारण खसरा नं० ३५ व ३६ पर पिछले ३ साल से इससे पानी फैलता है और फसलें बिगड़ती हैं ? सरकार ने नुकसान फसल का क्या मुआवजा व कब तक देना निश्चित किया है व सीपेज कैनाल को ठीक करने की क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सही है कि जमीन खसरा नं० ६५ का, जो रास्ते के लिये सरकार द्वारा छुड़वाई गई है, अब तक भी मुआवजा नहीं दिया गया है ? मुआवजा कब तक दिलवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं, मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) जी नहीं, मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हैडकॉन्स्टेबिल के विरुद्ध रिपोर्ट

३२९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर नगर में नियुक्त हैड कान्स्टेबिल श्री कपूरचन्द जैन के खिलाफ मिस-कन्डक्ट की एक रिपोर्ट वहां के एस. पी. ने सन् ६४ में भेजी ?

(२) क्या यह सही है कि इस व्यक्ति के खिलाफ अनेकों मुकदमें वहां की कोतवाली में दर्ज हुए हैं, तथा अदालतों में चालान हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो जनता के साथ इस प्रकार आए दिन दुर्व्यवहार करता रहता है ? इस व्यक्ति के खिलाफ कुल कितनी रिपोर्ट है जो अलवर कोतवाली में दर्ज हुई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और कितनों में इसके खिलाफ चालान हुआ ?

उत्तर

(१) जी हां, दो बार भेजी थी।

(२) हैड कान्स्टेबिल श्री कपूरचन्द जैन के खिलाफ अलवर कोतवाली में दो रिपोर्ट पेश हुई, और वे दोनों ही काबिल दस्तनदाजी अपराधों की होने से मुकदमें दर्ज किये जाकर अनुसंधान के पश्चात् चालान किये गये।

अच्छी नस्ल के जानवर

३३०. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नगर और कामां पंचायत समितियों को अच्छे नस्ल के मेंढे और बकरे नस्ल सुधार के लिए सप्लाई नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में सप्लाई करने की योजना रखती है?

उत्तर

भेड़ व ऊन विभाग द्वारा नगर तथा कामा पंचायत समितियों को कोई मेंढे नस्ल सुधारने हेतु नहीं दिये गए। पशुपालन विभाग द्वारा पंचायत समिति नगर को दो बकरे नस्ल सुधारने हेतु दिए गए हैं। अब विभागो द्वारा वितरण का कार्य नहो किया जाता बल्कि पंचायत समितियां ही इस कार्य को करती है।

टोंक जिले को विदेशी गेहूं

३३१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

टोंक जिले के लिये सन् ६४-६५ में हर माह कितना कितना विदेशी गेहूँ दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

टोंक जिले को सन् ६४-६५ में दिये गये विदेशी गेहूं की सूची

माह	(क्विन्टल में)
अप्रेल, ६४	—
मई, ६४	—
जून, ६४	—
जुलाई, ६४	३०००
अगस्त, ६४	४६५०
सितम्बर, ६४	४६५०
अक्टूबर, ६४	४६५०
नवम्बर, ६४	२२५०
दिसम्बर, ६४	१०५०
जनवरी, ६५	४५०
फरवरी, ६५	६००
मार्च, ६५	—

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १७ मार्च, १९६६)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३०११	१३	कार्यकम	कार्य क्रम
३०१३	अन्तिम से १	**श्री सतीचन्द्र अग्रवाल**	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**
,,	अन्तिम	बाजार, जयपुर):	बाजार, जयपुर)
३०१५	अन्तिम से ५	**श्री दौलतराम सरण**	**श्री दौलतराम सारण**
३०१७	४	**श्री भेरोंसिह**	**श्री भैरोंसिह**
३०२१	१६	चिठ्ठी	चिट्ठी
३०२३	३	भ्रष्टाचॉर	भ्रष्टाचार
३०२६	अन्तिम से १०	का कम, क	की कमी के
३०२७	२२	**श्री नाथूराम मिर्वा**	**श्री नाथूराम मिर्धा**
३०२८	८	वांघ	बांध
,,	अन्तिम से ६	रशि	राशि
३०३२	८	**श्री भेरोंसिह**	**श्री भैरोंसिह**
३०३३	८	आ ने	आपने
,,	२२	एडवर्टाइजमेन्ट	एडवर्टाइज़मेन्ट
३०३४	२२	ह	ही
३०४१	अन्तिम से २	**श्री कुष्णकुमार गोयलें**	**श्री कृष्णकुमार गोयल**
३०४२	२३	एग्रीमेंट	एग्रीमेन्ट
३०४४	१४	**श्री नाथ्राम मिर्धा**	**श्री नाथूराम मिर्धा**
३०४८	अन्तिम से २	सम्बन्ध म।	सम्बन्ध में
,,	अन्तिम	राज्य	राज्य सरकार
३०४९	२१	**श्रीं हरिदेव जोजी**	**श्री हरिदेव जोशी**
३०५१	११	वैद्य	वैद्य
३०५७	२	प्रवधान	प्रावधान
,,	८, ९	**श्री हनुमानसिंह चौधरी (कुचामनं)**	**श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां):**
,,	१८	नगरपालका	नगरपालिका
३०५९	अन्तिम से १	घतराशि	धनराशि
३०६०	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
,,	अन्तिम से ९	स्थति	स्थिति
३०६२	,, ६	**श्री हुमानसिंह चौर्धरी (कुचामन)**	**श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां)**
३०६३	६	उप-मंत्री	उप-मन्त्री
३०६५	१०	ther fore;	therefore,
,,	१४	टेक्टर	ट्रेक्टर
३०६७	२, ६	होईलिग	हाइलिग

१	२		३	४
३०७०	अन्तिम से ५		का	की
,,	,, ४		साथी	साथ
३०७१	,, ५		श्री दयाचन्द सरे।	श्री दयाचन्द सोन
३०७७	५		आ।	आप
३०८०	६		दुर्भाग	दुर्भाग्य
,,	८		(कृपया तारांकित	(कृपया शेष तारांकित
,,	१३		डवंती	डकैती
३०८६	१६		सामा पर	सीमा पर
३०८८	अन्तिम		प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :]	प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :
३०९२	१८		श्री जुमर सिंह	श्री जुझारसिंह
३०९३	अन्तिम से ८		योजनाप्रो	योजनाओं
३०९४	१२ व १३ के मध्य		—	मांग संख्या २५
,,	१६		मांग संख्या २५	—
३०९९	शीर्ष		(श्री चौसरसिंह बाबेल)	(श्री चौसरसिंह बावेल)
३१०१	१६		श्री जीवराज (गुडा)	श्री जीवराजसिंह (गुढा)
,,	अन्तिम से ६		म ६०	६०
३१०२	१५		श्री गणर्पा लाल वर्मा	श्री गणपतिलाल वर्मा
३१०६	शीर्षक		योजन	योजना
,,	अन्तिम से ३		श्रीजोधसिंह चौ ान	श्री जोधसिंह चौहान
३१०७	शीर्षक		मांग सं. २५, २६ व १४१–	मांग संख्या २५, २६ व ४१–
३११०	अन्तिम से	६	चाहए	चाहिए
,,	,,	८	प्रनुमान	अनुमान
३११४		१	सम्बन्य	सम्बन्ध
३११५		२	गाहरा	गहरा
,,	अन्तिम से	५	मींवना	मीचना
३११६		२०	खाद्यन्न	खाद्यान्न
३१२०		८	हिन्दुस्थान	हिन्दुस्तान
३१२१		३	मैं	में
३१२३	स्कम्भ		३१ ३	३१२३
३१२८		४	श्री लक्ष्मण पटेल	श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
,,	४, ५		सभापेति	सभापति
,,	अन्तिम		पाप	आप
३१२९ व ३१३२	शीर्ष		(श्री लक्ष्मण पटेल)	(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)
३१३०	शीर्षक		योजनएं	योजनाएं
३१३३	अन्तिम से	१	मरा	मेरा
३१३६		७	इस से	इससे
,,	अन्तिम से	२	य	या
३१३८	,,	१०	कोइ	कोई
३१४२	,,	६	पहूंचता	पहुंचता
३१४६		८	वजहू	वजह
३१५०		१७	ली	की

१	२	३	४
३१५५	शीर्ष	(श्री डूंगाराम राजोरिया)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
३१५८	अन्तिम से ८	व होनै	न होने
३१६३	५	थिये	लिये
,,	१८	हर	पर
३१६५	अन्तिम से ७	तौर ले	तौर से
३१७१	१२	अपने	आपने
३१७२	अन्तिम	क	की
३१७५	१८	वक	वर्क्स
३१८४	२६	माफक	माफिक
३१८७	शीर्ष	(श्री देवीलाल)	(कुमारी उमा माथुर)
,,	८	पैसा	पैसा
,,	१४	हाने	होने
३१८८	४	हो।।	होना
३१९१	अन्तिम से ७	छोट सा	छोटा-सा
,,	अन्तिम	चिट्टी	चिट्ठी
३१९४	१६	हैं।	हैं,
३१९५	७	कूए	कुए
३१९७ व ३१९९	शीर्ष	(श्रीचौसरसिंह बाबेल)	(श्री चौसरसिंह बावेल)
३१९७	अन्तिम से ९	क ना	करना
३१९९	,, ९	वारे	बारे
,,	,, २	इनेनडेशन	इनन्डेशन
३२००	३, २६	,,	,,
३२०५	१	श्री जीवराजसिंह (गुडा)	श्री जीवराजसिंह (गुढ़ा)
,,	५	झुन्झुनु	झुन्झुनू
,,	१५	वार्डर	बोर्डर
,,	२६	झुन्झनु	झुन्झुनू
३२०६	१४	श्री मोहनराज (पाली)	श्री मोहनराज (बाली)
३२०७	अन्तिम से ६	लगत	लागत
३२०८	१	वेकार	बेकार
३२०८	अन्तिम से १०	वन्धा	बन्धा
३२०९	१४	सभापात	सभापति
,,	अन्तिम	डिपाटमेन्ट	डिपार्टमेन्ट
३२१५	१५	रिर्सोसेज	रिसोर्सेज
३२१६	१३	पंचर्वीषय	पंचवर्षीय
३२२०	२१	गड़बड़ी	गड़बड़ी
३२२३	१४	समस्माओं	समस्याओं
३२२५	अन्तिम से ३	योयनाऐं	योजनाएं
३२२६	३	चबल	चम्बल
३२२७	५	श्री नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा

१	२	३	४
३२२९	८	प्रेक्टिकल	प्रेक्टिकल
,,	९	श्री नै थूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
३२३१	३	श्री हरि प्रसद शर्मा	श्री हरिप्रसाद शर्मा
३२३२	११	भीं	भी
,,	अन्तिम से ७	वेटरमेंट	बैटरमेन्ट
३२३३	शीर्ष	(श्री नाथूराम मिर्धा	(श्री नाथूराम मिर्धा)
३२४८	अन्तिम	पू	पूरा
३२५०	२३	लेगे	लेंगे
३२५२	१७	**श्री नपूराब मिर्धा**	**श्री नाथूराम मिर्धा**
३२५३	४	(आसिन्द)	(आसीन्द)
३२६०	अन्तिम से	झुन्झुनू	झुन्झुनू
३२६१	१६	(झुन्झुनूं)	(झुन्झुनू)
३२६२	११	झुन्झुनू	झुन्झुनू
,,	२२	**श्री जीवराजसिंह**	**श्री जीवराज सिंह**
३२६५	२	इन्नडेशन	इनन्डेशन
,,	१६	इननडेशन	,,
,,	१९	सकता	सकता
३२६८	अन्तिम से १ व अन्तिम	५ बज कर ३७ मिनट पर १८ मार्च, १९६९ के प्रातः	५ बज कर ३७ मिनट पर सदन की बैठक दिनांक १८ मार्च, १९६९ के प्रातः